

Printed by K Mitra at The Indian Press, Ltd ,
Allahabad

प्रस्तावना

प्रायः लोग शिकायत किया करते हैं कि अंग्रेज, ऐंग्लो-इण्डियन आदि हिन्दुस्तानियों के साथ सामाजिक व्यवहार करने में संकोच करते और उनसे दूर रहते हैं। इस सामाजिक असहयोग के कई कारण हैं। साधारण हिन्दुस्तानियों की योरुपीय शिष्टाचार की अनभिज्ञता भी इस स्थिति का एक विशेष कारण है। प्रत्येक समाज अपने रहन-सहन और शिष्टाचार को अच्छा समझता है और आशा करता है कि दूसरे समाज के लोग उसका स्वयं प्रतिपालन चाहे न करें, किन्तु उसका अन्याय तो न करें। यदि किसी हिन्दू के चौका या पूजागृह में कोई जूता पहनकर घुस आवे तो उसको कैसा कष्ट और क्रोध होता है। यदि कोई जनानखाने में वेधटक घुस आवे तो कैसा बुरा जान पड़ता है। मैंने एक बार अज्ञान के कारण अपने एक सिख मित्र को पान के साथ तंबाकू और सिगार दिखाया, जिससे उसको मानसिक कष्ट हुआ, किन्तु उसने मुझे उपदेश देकर मेरा अपराध क्षमा कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग दूसरे मतों या समाजों के मनुष्यों के साथ मिलते-जुलते हों, उनको उनके शिष्टाचार का व्यावहारिक ज्ञान होना आवश्यक है।

दूसरे समाजों के शिष्टाचारों को समझने और देखने से एक यह भी लाभ हो सकता है कि व्यक्ति अथवा समाज अपने रहन-सहन और शिष्टाचार की त्रुटियाँ भी सुधार सकता है। उठने-बैठने, रहन-सहन, यातचीत और व्यवहार के नियमों पर ध्यान देने से मनुष्य व्यवहार-कुशल और चतुर हो जाता है। उसका मान और आदर बढ़ जाता है। उससे

और किसी को अनुचित क्लेश नहीं पहुँचता। उससे मिलने-जुलने में किसी को संकोच नहीं होता। और वह हरएक के साथ बराबरी का व्यवहार कर सकता है।

हमारे देश में किसी समय हिन्दू और मुसलमानों में शिष्टाचार पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। और अब भी जो लोग कुलीन या खान्दानी हैं, उनके व्यवहारों में उदारता, मधुरता और मोहकता पाई जाती है। किन्तु अशिक्षित अथवा अर्द्धशिक्षित लोगों को शिष्टाचार की बहुत-सी बातों के सीखने की आवश्यकता है। उनके नीख लेने से लाभ ही है, हानि नहीं। अंग्रेज़ी शिष्टाचार और व्यवहार में अनेक बातें हैं जिनको हम लोग ग्रहण कर लें तो बहुत अच्छा हो। भविष्य में स्त्रियों के साथ सामाजिक व्यवहार बढ़ने की अधिकाधिक सम्भावना है। अतएव कुछ नये शिष्टाचार की बातें सीख लेना आवश्यक है। समाज, सभा, थियेटर, सिनेमा, यात्रा आदि में जैसा व्यवहार करना चाहिये, वैसा साधारण हिन्दुस्तानी नहीं जानते। इसका स्वयं मुझको अनुभव है। उन स्थानों या जलसों में जहाँ हिन्दुस्तानी ही जमा होते हैं वहाँ गोलमाल, खिल्ली, ठट्टा और अशिष्टता का व्यवहार देखने-सुनने में आता है।

एक बार मैं प्रयाग शहर के एक सिनेमा में था। मेरे साथ कुछ स्त्रियाँ और बच्चे भी थे। मैं फ़र्स्ट क्लास में बैठा था। कुछ ऐसे आदमी हम लोगों के पास आकर बैठ गये। उनको शायद शिष्टाचार का लेशमात्र ध्यान न था। थूकने, जाँघ खुजाने, ठट्टाकर हँसने और मजाकें करने में उनको किसी प्रकार का सङ्कोच नहीं जान पड़ता था। ऐसी बेहूदगी योरोप में थर्डक्लास के बैठने वाले तक न करेंगे। ऐसी घटनाएँ मैं प्रायः देखता हूँ, जिनमें मुझको बड़ा शोभ होता है। मैं सोचता हूँ कि क्या शायों के वंशज और एंग्लो-प्रिय मुसलमानों के वंशज इय गोचनीय दशा पर पहुँच गये। स्कूल और कालिजों के विद्यार्थियों में भी दर्जे के

बाहर जब ये दोप दिखाई पड़ते हैं तब तो बड़ा दुःख होता है। ये दोप अज्ञानता ही के कारण जान पड़ते हैं। शिष्टाचार का ज्ञान होने से, आशा है, ये शीघ्रता से हट जायेंगे।

भारत में स्वराज्य-स्थापना शीघ्र ही होगी। उस समय देशी और विदेशी आदमियों का सामाजिक सम्पर्क अवश्य बढ़ जायगा। उस समय शिष्टाचार के ज्ञान और शिष्ट आचरण की आवश्यकता और भी बढ़ जायगी। अतएव शिष्टाचार के सम्बन्ध में रोचक, सुलभ और सुपाठ्य साहित्य के तैयार करने और प्रचार करने की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है। हिन्दी में इसकी अभी बड़ी कमी है। इसीलिये मैं प्रस्तुत पुस्तक का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि हिन्दी-भाषा-भाषी उससे अवश्य लाभ उठावेंगे।

रामप्रसाद त्रिपाठी

(एम० ए०, डी० एस०सी० (लंडन))

विषय-सूची

संख्या		पृष्ठ
१—	पहनावा	१
२—	परिचय	६
	परिचय का क्रम	७
	जानने योग्य नियम	७
	मदको में मिलना और परिचय करना	६
	पत्र-द्वारा परिचय	११
३—	मिलने जाने और कार्ड देने की शिष्टता	१३
	विजिटिंग कार्ड	१४
	कार्डों का छोड़ना	१५
	सत्कार के बाद की भेंट	१७
	विदा होने का समय	१८
	बधाई और मातमपुर्सी की भेंट	२०
४—	पहुँचने का समय	२१
	भोज और पार्टियों	२२
	तत्कालीन निमन्त्रण	२५
	पहुँचना	२६
	थोड़ी बात-चीत	२७
	सहभोजी	२७
	भोजन के समय	२६
	शराब की गिलासों	२६
	हाथ से खाये जाने वाले पदार्थ	३६

संख्या		पृष्ठ
	फलों का खाना	३६
	भोजन के पश्चात्	३६
	मध्याह्नोत्तर पार्टी	४०
	सार्वजनिक भोज	४१
	शराब	४२
५—	पेट होम और स्वागत	४६
	बड़े 'पेट होम'	४७
	स्वागत में दी गयी पार्टियों	४८
	सार्वजनिक स्वागत	४६
६—	ब्रिज पार्टियों और ब्रिज-सम्बन्धी चाय पार्टियों	५०
	ताश खेलने की मेज़ पर	५१
७—	नाचो के प्राइवेट उत्सव	५२
	मध्याह्न के बाद और भोजन के समय के नाच	५७
८—	सार्वजनिक बॉल और नृत्य के जलसे	५६
	ज़िले के बॉल	५६
	सहायतार्थ किये गये बॉल-उत्सव	५६
	चन्दे से नृत्य की आयोजना	६०
	सुवस्त्र-बॉल-उत्सव का उद्घाटन	६०
	ग्रामों में चन्दे से किये गये नाच	६१
	निमन्त्रण	६१
	कुछ ध्यान देने योग्य बातें	६२
९—	कूच	६५
	कूच के सदस्य बनने के नियम	६५
१०—	नाटक में	६८
११—	मोटर, गाड़ी और घोड़े की सवारी हाँकना	७१

संख्या		पृष्ठ
	मोटर या गाडी की सवारी ...	७१
	घोड़े की सवारी ;	७२
	शिष्ट मोटर-वाहक	७३
१२—	मैदान के खेल-सम्बन्धी शिष्टाचार	७७
	क्रिकेट (गेंद-बल्ला)	७७
	दर्शकों के ध्यान देने योग्य बातें ..	७६
	गॉल्फ	७६
	क्रोकेट	८३
	टेनिस	८३
	स्केटिंग या वर्फ पर फिसलना ..	८४
१३—	यॉटिंग या छोटे जहाज़ पर समुद्र की सैर	८६
	यॉट पर मित्रों से भेंट-मुलाक़ात	८७
१४—	शृङ्गार के सम्बन्ध में कुछ बातें ...	८८
१५—	पिकनिक और नदी के तैर की पार्टियाँ	९०
	नदी में विहार करनेवाली पार्टियाँ .	९१
१६—	गार्डन पार्टियाँ (उद्यान-भोज) .	९३
१७—	सगाई	९५
१८—	विवाह	१६
	विवाह की घोषणा	९६
	गिर्जे के लाइसेन्स	१००
	नान-क्लार्मिस्ट सम्प्रदाय के गिर्जे में विवाह की रस्में	१०१
	रजिस्ट्री आफिस में विवाह	१०३
	पति के कर्तव्य	१०३
	घर के सखा का उत्तरदायित्व .	१०५
१९—	उहात की यात्रा	१०७

संख्या		पृष्ठ
	प्रातःकाल . . .	१०८
	आखेट	१०९
	क्या पहनना चाहिए .	१११
	रविवार	११२
	वस्त्रादीश	११३
	बन्दूक से निशाना लगाना .	११३
	मांस काटना .. .	११५
२०—यात्रा . . .		११८
	यूरोपीय देशों में भ्रमण .	११९
	बिल अदा करना .	१२१
	होटलों में .	१२१
२१—जहाज़ पर . . .		१२३
	सामान .	१२३
	जहाज़ पर पहनने के वस्त्र ...	१२५
	डेक के शिष्टाचार .	१२६
	डेक की कुर्सियाँ .	१२६
	डेक पर नृत्य .	१२७
	जहाज़ के मित्र .. .	१२७
२२—मृत्यु के जुलूस और मातम . . .		१२८
	शव का जुलूस .	१२९
	मातम .	१३०
३३—चिट्ठी-पत्री . . .		१३३
	चिट्ठी-पत्री के शिष्टाचार .	१३६
	पते के सिरनामे .	१३७
	प्रिवी कौंसिल के सिरनामे .	१३८

संख्या		पृष्ठ
	राजदूत-गण	... १३८
	पत्र का आरम्भ करना	१३६
	चिट्ठी-पत्री के कागज़ इत्यादि	१४३
२३—	पेशे-सम्बन्धी शिष्टाचार	१४४
	डॉक्टरों का बदलना	१४४
	वकील	१४४
	पब्लिक स्कूल	१४५
२४—	गृहस्थों के लिए कुछ हिदायतें	१४६
	ज़मीन्दार और असामी	१४६
	मकानों के दलाल	१४८
२५—	स्वामी और नौकर	... १४६
	स्वामी के कर्तव्य	... १४६
	नौकर के कर्तव्य	... १४६
	नौकरी से बरतारफ़्त करना	... १५०
	नौकर का आचरण	१५१

अंग्रेजी शिक्षाचार

पहनावा

वस्त्रों के चमत्कार को स्त्रियाँ ही समझती हैं। यह भी एक कला है जिसका अध्ययन स्त्रियाँ स्वाभाविक प्रेरणा से करती हैं। साधारणतः पुरुष वस्त्रों के चमत्कार को न तो समझते ही हैं और न समझने की कोशिश ही करते हैं। यही पर वे असफल सिद्ध होते हैं और आकर्षण-हीन बनकर भद्दे दीखते हैं। वस्त्रों की उन्नति और सजावट के विरुद्ध तो मानों वे सदा सत्याग्रह-सा ही किये रहते हैं। कुछ इने-गिने पुरुषों को छोड़कर आजकल के पुरुषों में वस्त्रों के चमत्कार की कला का तो अभाव ही-सा है। वे व्यक्तिगत रूप से वस्त्रों की सजावट का अध्ययन नहीं करते।

इस सम्बन्ध में या तो उनके ज्ञान ही में कमी रहती है अथवा उनको गलत शिक्षा मिलती है। किन्तु इसमें तो किसी का भी मतभेद न होगा कि वस्त्र अतीत काल से आचरण-प्रदर्शक शिष्टाचार और प्रत्येक समय की गति की छाया बना आया है। इतिहास ने इस बात को साबित कर दिखाया है कि वस्त्रों की काट-छाँट में विशेष रुचि दिखाना केवल गुण्डेपन की निशानी नहीं है। इतिहास के प्रत्येक प्रसिद्ध व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की पोशाक में विशेष रुचि रही है। वस्त्रों के सम्बन्ध में डिसरेली तो पूरा गुण्डा ही था। जब प्रथम बार पार्लियामेंट में वह वक्तृता देने के लिये उठा, तब सब लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया था। एक वह भी समय आया, जब सारे इंग्लैण्ड ने उसकी बात ध्यान देकर सुनी। ड्यूमा और गॉटियर भड़कीले रङ्ग के वस्त्रों के बड़े प्रेमी थे और गिवन, ह्यूम, गैरिक और वालपोल अपने समय के सर्वप्रसिद्ध वस्त्रों के प्रेमी माने गये हैं। इस प्रकार प्रत्येक शताब्दी से अनेक उदाहरण पेश किये जा सकते हैं।

अच्छे वस्त्रों के पहनने में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हों, दूसरों को यह न मालूम होने पाये कि पहननेवाले को अपने वस्त्रों पर घमड़ है। घमड़ बड़ी बुरी चीज है। इससे मनुष्य के मस्तिष्क और कला-सम्बन्धों तथा शारीरिक विश्वास में कमी का आभास पाया जाता है।

बस्त्रों को पहनकर विल्कुल साधारण ढंग पर दीख पड़ने की शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है।

चाहे कुछ अधिक ही खर्च क्यों न बैठे, पर कपड़े अच्छे दर्ज़ी से सिलाने चाहिए। ऐसा न करना भारी भूल करना है। यदि अपने को यह न मालूम हो कि निजी कपड़े किस प्रकार के हों, तो दूसरे जानकारों की सलाह से काम करना चाहिए।

शहरों में चार सूटों की आवश्यकता है—लौंज (Lounge), प्रातःकालीन, भोज के समय का और शाम के पहनने के लिए। लौंज तो दिनभर और कतिपय सामाजिक अवसरों पर भी पहना जाता है। शहरों में ट्वीड के कपड़े या वादामी रङ्ग के जूते कभी न पहनने चाहिए।

राजनीतिक मामलों पर विचार करने के अवसर पर अथवा विधियुक्त सामाजिक उत्सवों में शामिल होने के लिए प्रातःकालीन कोट पहनना अधिक अच्छा है। लौंज सूट पहनने से कोई हानि नहीं है; किन्तु तब लोग यही समझेंगे कि बस्त्रों के सम्बन्ध में उक्त पुरुष का पर्याप्त ज्ञान नहीं है।

शाम को फुलड्रेस पहनना चाहिए। फुलड्रेस में टेलकोट (Tail Coat), सफेद वास्कोट, कड़ी कमीज, और सफेद टाई पहननी चाहिए। टाई को बड़ी सफाई से बाँधना चाहिये—चाहे इस कार्य में कितना ही समय क्यों न लगे। बँधी-बँधाई टाई पहनकर कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वास्कोट की काट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह भी आवश्यक है कि कोट की आस्तीन

इस सम्बन्ध में या तो उनके ज्ञान ही में कमी रहती है अथवा उनको गलत शिक्षा मिलती है। किन्तु इसमें तो किसी का भी मतभेद न होगा कि वस्त्र अतीत काल से आचरण-प्रदर्शक शिष्टाचार और प्रत्येक समय की गति की छाया बना आया है। इतिहास ने इस बात को साबित कर दिखाया है कि वस्त्रों की काट-छाँट में विशेष रुचि दिखाना केवल गुण्डेपन की निशानी नहीं है। इतिहास के प्रत्येक प्रसिद्ध व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की पोशाक में विशेष रुचि रही है। वस्त्रों के सम्बन्ध में डिसरेली तो पूरा गुण्डा ही था। जब प्रथम बार पार्लियामेंट में वह वक्तृता देने के लिये उठा, तब सब लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया था। एक वह भी समय आया, जब सारे इंग्लैण्ड ने उसकी बात ध्यान देकर सुनी। ड्यूमा और गॉटियर भड़कीले रङ्ग के वस्त्रों के बड़े प्रेमी थे और गिवन, ह्यूम, गैरिक और वालपोल अपने समय के सर्वप्रसिद्ध वस्त्रों के प्रेमी माने गये हैं। इस प्रकार प्रत्येक शताब्दी से अनेक उदाहरण पेश किये जा सकते हैं।

अच्छे वस्त्रों के पहनने में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हों, दूसरों को यह न मालूम होने पाये कि पहननेवाले को अपने वस्त्रों पर घमड है। घमड बड़ी बुरी चीज है। इससे मनुष्य के मस्तिष्क और कला-सम्बन्धी तथा शारीरिक विश्वास में कमी का आभास पाया जाता है।

बख्तों को पहनकर विल्कुल साधारण ढंग पर दीख पड़ने की शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है।

चाहे कुछ अधिक ही खर्च क्यों न बैठे, पर कपड़े अच्छे दर्जा से सिलाने चाहिए। ऐसा न करना भारी भूल करना है। यदि अपने को यह न मालूम हो कि निजी कपड़े किस प्रकार के हों, तो दूसरे जानकारों की सलाह से काम करना चाहिए।

शहरों में चार सूटों की आवश्यकता है—लौंज (Lounge), प्रातःकालीन, भोज के समय का और शाम के पहनने के लिए। लौंज तो दिनभर और कतिपय सामाजिक अवसरों पर भी पहना जाता है। शहरों में ट्वीड के कपड़े या वादामी रङ्ग के जूते कभी न पहनने चाहिए।

राजनीतिक मामलों पर विचार करने के अवसर पर अथवा विधियुक्त सामाजिक उत्सवों में शामिल होने के लिए प्रातःकालीन कोट पहनना अधिक अच्छा है। लौंज सूट पहनने से कोई हानि नहीं है; किन्तु तब लोग यही समझेंगे कि बख्तों के सम्बन्ध में उक्त पुरुष का पर्याप्त ज्ञान नहीं है।

शाम को फुलड्रेस पहनना चाहिए। फुलड्रेस में टेलकोट (Tail Coat), सफेद वास्कोट, कड़ी कमीज, और सफेद टाई पहननी चाहिए। टाई को बड़ी सफाई से बाँधना चाहिये—चाहे इस कार्य में कितना ही समय क्यों न लगे। बँधी-बँधाई टाई पहनकर कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वास्कोट की काट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह भी आवश्यक है कि कोट की आस्तीन

तङ्ग रहे। यह बड़ा गम्भीर विषय है। ढीली आस्तीन से लोग समझेंगे कि मानो ढीली आस्तीन वाला व्यक्ति आस्तीन में चूहे पाले हुये है।

शाम के साधारण जल्से—नृत्य, थिएटर और अन्य छोटे मोटे मित्रों के जल्से—में भोजन के समय की जाकेट पहनी जा सकती है।

सफ़र के समय ढीले, आराम देने वाले और गर्म ट्वीड के वस्त्र पहनने चाहिए। बड़े सफ़र में सदा लॉज सूट ही पहनना चाहिए।

विवाह के समय प्रातःकालीन कोट और रेशम की हैट पहननी चाहिए। अन्य वस्त्र पहनने से दुलहिन बहुत शर्माती है। फालर डैनेदार हो। जब कभी आप ऐस्कॉट (Ascot) और ईप्सम (Epsom) में जायँ, तो भी यही वस्त्र धारण करना चाहिए। इसमें गलती नहीं करनी चाहिए।

मोटर में यात्रा के लिए मुलायम ऊन का कपड़ा पहनना चाहिए। कड़े और चमड़े के कपड़े बहुत घुरे लगते हैं। मुलायम और खूब ढीला अल्स्टर (एक प्रकार का ओवरकोट) पहनना चाहिए। इसके नीचे जो इच्छा हो, वह पहने।

गॉल्फ (एक प्रकार का गेद का खेल) के अवसर पर गार्डों के वस्त्रों की काट का कपड़ा पहनना चाहिए। सामने बड़े-बड़े पाकेट बने रहे। इस प्रकार के वस्त्र से क्लबघर में बड़ा सम्मान होता है।

टेनिस में पतलून बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको कमर पर एक चमड़े की पेट्टी से खूब कस लेना चाहिए। रङ्ग तो सफेद

अवश्य ही होना चाहिए। टेनिस कोर्ट में ग्रे फ्लैनेल (रङ्गीन फलालैन) पहनकर तो कभी न उतरना चाहिए। कमीज सफेद पतले रेशम की हो। खेलते समय गले का बटन खोल देना चाहिए। इसे शिकारी कमीजों के काट की बनवाना चाहिए। कमीज का पिछला भाग लम्बा रहे, ताकि वह पतलून पहनते समय जॉघो के बीच में लाकर दबा लिया जा सके और आगे वाले भाग में बटन से जुड़ सके।

एक ही पतलून को बराबर दो बार न पहनना चाहिए। खेल कर उनको बख्तालय में उल्टा टाँग देना चाहिए।



परिचय

समाज में किससे, कब और कैसे परिचय कराया जाय ? यह प्रश्न अक्सर लोगों के मस्तिष्क को चकरा देता है। सामाजिक रीति-रिस्म के नौसिखिये को शीघ्र ही जानना पड़ता है कि बहुत कम लोगों से परिचय प्राप्त करना उतनी-ही भारी भूल है, जितनी बहुत अधिक लोगों से परिचय प्राप्त करना। उन्हें जल्दी ही मालूम हो जाता है कि इस सामाजिक उत्तर-दायित्व को बहुत सावधानी और विचार के साथ ग्रहण करना चाहिए।

परिचय प्राप्त करने से यह मतलब निकालना आवश्यक नहीं है कि इसका तात्पर्य मैत्री करना समझा जाय। किन्तु यदि परिचय करने का स्वागत न किया जाय तो इसका मतलब यह है कि उन मनुष्यों में से एक को दूसरे से विमुख हो जाने के लिए बाधित होना पड़ेगा, अथवा अपने स्वभाव के विरुद्ध उसे हमेशा रूक्ष भाव धारण करना पड़ेगा।

यदि परिचय कराने की इच्छा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह हो तो यह आवश्यक है कि एकान्त में अलग-अलग दोनों तरफ की इच्छा जान ली जाय। यदि एक व्यक्ति दूसरे से परिचित होने की इच्छा प्रकट करे तो पहले इस सम्बन्ध में उस दूसरे व्यक्ति की इच्छा जाननी चाहिए। केवल 'बाल'-नृत्य (Ball Dance) के उत्सव के समय का ही एक ऐसा अवसर है

जब परिचय कराने की इजाजत न लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर परिचिति होने से आगे चलकर जान-पहिचान बढ़ाने की कोई संभावना नहीं रहती। नृत्य के बाद किसी अवसर पर कोई महिला, यदि वह ऐसा चाहे तो, अपने नृत्य के साथी को पहचानने के लिए बाध्य नहीं है।

परिचय का क्रम

स्त्रियों का परिचय कराते समय निम्न-श्रेणी की महिला को सदा उस महिला के सामने ले जाकर उससे भेंट कराना चाहिए, जिसका सामाजिक स्थान उक्त महिला से श्रेष्ठतर हो।

अविवाहिता स्त्री को ले जाकर विवाहिता स्त्री से भेंट कराना चाहिए। यदि अविवाहिता महिला का सामाजिक स्थान विवाहिता महिला से उच्चतर हो तो क्रम बदल जाता है।

युवती को ले जाकर वृद्धा महिला से भेंट कराया जाता है।

जानने योग्य नियम

यह स्त्री-जाति का विशेषाधिकार है कि पुरुष ही को सदा ले जाकर महिला से भेंट कराना होता है। राज-घराने के मामले को छोड़कर सर्वत्र इस नियम का सदा पालन करना चाहिए।

पुरुष का नाम पहले इस प्रकार जनाना चाहिए—“क्या मैं मिस्टर जोन्स से परिचय करा सकता हूँ?” मामूली ढग से व्यक्तित्व सम्बन्धी कुछ बातें कह देनी चाहिएँ। तब मि० जोन्स

की तरफ मुख्वातिव होकर, जिस महिला से उनका परिचय कराया जा रहा हो, उसका स्पष्ट नामोच्चार करना चाहिए।

जब किसी पुरुष और स्त्री से परिचय कराया जाता है, तब दोनों सम्मान से झुक जाते हैं, किन्तु साधारणतः वे हाथ नहीं मिलाते। कभी-कभी इस बात का अनुभव किया जाता है कि केवल झुक जाना अहादिक और रूक्ष मालूम पड़ता है; अतएव हाथ बढ़ाए जाते हैं। किन्तु यह विल्कुल ठीक नहीं है। यह सदा स्त्री के द्वारा उसके निजी घर पर ही होता है, पुरुष द्वारा क्यो नहीं। इस सम्बन्ध में आगे बढ़ना सदा स्त्री का विशेषाधिकार है। क्योंकि पुरुष की अपेक्षा स्त्री का सामाजिक स्थान सर्वदा उच्च है।

पुरुषों में तो परिचय के समय सदा हाथ मिलाने की रीति है। यदि दोनों पुरुषों के सामाजिक स्थान में बहुत विभिन्नता हो तो बात दूसरी है।

वहुत ही उच्च सामाजिक स्थान वाले व्यक्ति से मिलने पर जब तक कि वह व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष न आ जाय, तब तक निम्न-श्रेणी के व्यक्ति को प्रतीक्षा करनी चाहिए। इससे जान-पहचान की सूचना ठीक ढंग से स्पष्ट हो जाती है। यदि ऐसा न किया जाय तो निम्न-श्रेणी के व्यक्ति को यह उचित नहीं है कि वह उच्च श्रेणी के व्यक्ति से जान-पहचान रखने का दावा करे।

जवरन् जान-पहचान करना अभद्रता है। पुरुष को सदा सावधान रहना चाहिए और अपने को बहुत दिखलाने की इच्छा न प्रकट करनी चाहिए।

सड़कों में मिलना और परिचय करना

मित्र के साथ टहलते समय दूसरे मित्र से भेट होने पर दोनों का परिचय कराना आवश्यक नहीं है। यदि अवसर से आवश्यक जान पड़े और यह मालूम पड़े कि इससे दोनों की प्रसन्नता बढ़ेगी तो दोनों में परिचय करा देना बड़ी होशियारी और शिष्टता का कार्य है। इस प्रकार परिचय कराये गये व्यक्ति अधिक जान-पहचान न करेगे। कहीं अन्यत्र मिलने पर जान-पहचान बढ़ाने की दोनों की पारस्परिक इच्छा हो तो बात दूसरी है।

जान-पहचान वालों से मिलने पर उनसे शान्त किन्तु प्रसन्नचित्त होकर मिलना चाहिए। उनसे पृथक् होते समय जल्दी से उनसे मैत्री-पूर्ण हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और तब वहीं पर फौरन् विदा लेनी चाहिए, क्योंकि चलते-चलाते कन्धे घुमाकर एक आवाज़ कस देना बहुत बुरा समझा जाता है।

टहलते समय एक महिला जब जान-पहचान के किसी पुरुष से मिले तो उस पुरुष को अपने से बातचीत करने का अधिकार देने का प्रयत्न उस महिला ही को करना चाहिए। इस शिष्टाचार को पूरा करने के लिए पुरुष को अपने सिर से टोपी ज़रा उठाकर तैयार रहना चाहिए और जैसे ही वह महिला इस प्रकार के मिलने के सम्बन्ध में सामाजिक नियमों के अनुसार जान-पहचान स्वीकार करने के लिए सम्मान से झुके, पुरुष को उस स्त्री का हाथ अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अपने वॉल-रूम (नाच घर) या नृत्य के साथी।

के साथ सड़क पर जान-पहचान बढ़ाने के लिए किसी स्त्री से किसी पुरुष को आशा न करनी चाहिए। पुरुष को प्रतीक्षा करनी चाहिए और जब वह फिर सामाजिक उत्सवों में मिले, तब उससे जान-पहचान बढ़ाने की आशा करनी चाहिए। किन्तु यदि वह अपने मित्र को जानती हो और टहलते समय उसका साथ हो जाय, तो वह उससे अपनी जान-पहचान जता सकती है।

प्रत्येक व्यक्ति को इस सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए कि जान-पहचान की दृष्टि घूरने में न परिणत हो जाय। इससे बढ़कर बुरी आदत दूसरी नहीं है।

हाथ मिलाने और सम्मान से झुकने में स्वाभाविक उत्तमता लाने का अभ्यास करना चाहिए। चालाकियों और नखरों का शुमार अभद्रता में है। हाथ इतने जोर से न दबाया जाय कि उँगलियाँ पिस जायँ और न हाथ इस ढिलाई ही से छुआ जाय कि मालूम पड़े मानो चोट लग जाने के डर से ऐसा किया गया है। बढ़ाये गये हाथ को (वेवल उँगलियों को नहीं) दृढता से अपने हाथ में लेकर नम्रता से दवाना चाहिए और तब सहज ही उसे छोड़ देना चाहिए।

जैसा कि लिखा जा चुका है, एक पुरुष जब सड़क पर उस स्त्री से मिले, जिससे उसके नृत्य के साथी के तौर पर उसका परिचय कराया गया हो, तो उसे यह न दिखलाना चाहिए कि मानो उससे उसकी जान-पहचान है। उस पुरुष के लिए उस स्त्री का अभिवादन करना तो बहुत ही बुरा है। यदि वह स्त्री चाहे तो यह

दिखला सकती है कि उस पुरुष से उसकी जान-पहचान है। यद्यपि नियम यही है कि वॉल अथवा नृत्य के समय के परिचय मैत्री की स्थापना नहीं करते।

पत्र-द्वारा परिचय

पत्र-द्वारा परिचय कराने में भी बुद्धिमत्ता और होशियारी की जरूरत होती है। परिचय कराने के सम्बन्ध में लिखे गए पत्रों पर मुहर न लगानी चाहिए। जिसे अपनी सिफारिश से किसी मित्र से किसी का परिचय कराना हो, उसे परिचय के सम्बन्ध में कुछ वाते और उक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रशंसात्मक वाक्य तथा अपने दोनों मित्रों को एक दूसरे से परिचित कराने में जो प्रसन्नता हुई है उसके सम्बन्ध में संक्षेप में एक निजी नोट लिखना चाहिए। यदि कुछ काम कराना हो तो उसे लिखना चाहिए।

जिसमें परिचय प्राप्त किया जाय, उसके परिचय का पत्र देते समय खनामाङ्कित एक कार्ड डाल देना उचित ही है। पत्र पाने-वाले को दूसरे दिन परिचय प्राप्त करनेवाले व्यक्ति के घर पर आकर मिलना चाहिए और सम्भवतः मैत्री के जो भाव वह प्रदर्शित कर सके, उसे करना चाहिए। तब यह परस्पर का मामला हो जाता है कि भविष्य में परस्परमैत्री हो सकती है, या नहीं।

विदेश के यात्रियों को अपने मित्रों से परिचय सम्बन्धी जितने कार्ड मिल सके, उतने उन्हें इकट्ठे कर लेने चाहिए और स्थानों पर पहुँचकर इन कार्डों को डाक-द्वारा भेज देना चाहिए।

किसो स्थान पर पहुँचने पर उक्त स्थान के समश्रेणी के निवासी उक्त यात्री से उसके वासस्थान पर मिलने आते हैं। यदि यात्री के पास परिचय-सम्बन्धी कोई कार्ड रहा, तो वह उस व्यक्ति के घर जाकर अपने कार्ड और अपने कुटुम्ब के कार्ड के साथ उक्त पत्र को वहाँ डाल आता है। किन्तु उस व्यक्ति के घर में प्रवेश नहीं करता और अपने घर पर उस मनुष्य के मिलने आने की प्रतीक्षा करता है।

वदले को यह भेट दो-एक दिन में जितनी जल्दी हो सके, करनी चाहिए। दूसरी भेट में वह यात्री परिचित मनुष्य के घर जाकर आतिथ्य ग्रहण करता है।

लन्दन-निवासियों के नाम परिचय के पत्र बहुत कम दिये जाते हैं। किन्तु कुछ काट-छाँट के साथ इस नियम का पालन सभी बड़े शहरों में लोग किया करते हैं।



मिलने जाने और कार्ड देने की शिष्टता

कुछ लोगो को स्वनामाङ्कित कार्ड देना यदि घृणोत्पादक कार्य नहीं, तो बड़ा भार-सा तो अवश्य ही लगता है। लज्जाशील लोगो की भी यही हालत होती है। पहले मिलने आने वालों का नाम लिखने के लिए एक स्लेट रहती थी। बाद के स्लेट का स्थान विजिटर-बुक (Visitors' Book) ने लिया। राज-प्रासादो, दूतावासों और महत्व-पूर्ण व्यक्तियों के स्थानों पर तो अब भी मिलने आने-वालों के नाम लिखने की एक पुस्तक रहती है। इस पुस्तक पर नाम लिख देने से कार्ड भेजने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि लोगों से मिलना-जुलना सामाजिक धर्म का पालन करना है तो यह तो प्रत्येक मनुष्य को समझना चाहिए कि मित्रों और जान-पहचान के व्यक्तियों के पास कागज़ का एक छोटा-सा टुकड़ा भेज देने से इस बात का पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति उत्तरदायित्व-पूर्ण सामाजिक धर्म का नियमपूर्वक पालन करने के लिये तैयार है।

अंग्रेज़ लोग कार्ड देना बहुत अच्छा समझते हैं। मोटर और गाड़ियों में बैठे-बैठे भी वे नौकर के हाथ स्वनामाङ्कित कार्ड देकर चले जाते हैं। फ्रांस के लोग स्वयं जाकर कार्ड नहीं देते। वे अपने नौकर के हाथ कार्ड भेज देते हैं और स्वयं उसके साथ नहीं जाते।

कार्ड भेजने का यह अर्थ होता है कि अमुक व्यक्ति अपने जान-पहचान के दायरे को बढ़ाना चाहता है। अतएव यह आवश्यक है कि इस सामाजिक रस्म का पालन बड़ी मृदुमता और होशियारी से

करना चाहिए। कार्डों से एक पुरुष की मैत्री की गहराई का पता चलता है।

विज़िटिंग कार्ड

विज़िटिंग कार्ड या मिलन-पत्र बहुत ही सादे होने चाहिए। स्टेशनरों के यहाँ से लेकर उन पर अपना नाम छपा लेना चाहिए। ठोक ढग और छोटाई-बड़ाई के बारे में स्टेशनर उचित सलाह देगा।

नाम के आगे मिस्टर या सर का खिताब अङ्कित किया जाता है। पता हमेशा बाईं तरफ़ कोने पर मुद्रित किया जाता है। उन युवकों को, जिनका कोई ठीक पता-ठिकाना न हो, अपना पता न छपाना चाहिए। वल्कि कार्ड देते समय पेन्सिल से उस पर अपना तत्कालीन पता लिख देना चाहिए। केवल सेना-सम्बन्धी पद या व्यापार-सूचक उपाधियाँ ही—यथा, कर्नल ब्राउन, रेवरेण्ड डब्ल्यू० ब्राउन या डा० ब्राउन—छपाने की रीति है। वी० ए० या एल-एल० डो० जैसी उपाधियाँ अपने नाम के पीछे कभी न छपानी चाहिए। यदि इनसे कुछ व्यापारिक तात्पर्य निकलता हो तो बात दूसरी है। जहाजी अफसर अपने नाम के आगे 'आर० एन०' छपाते हैं और एक वैरोनेट के नाम के आगे 'वार्ट' लिख देने से उसके और साधारण नाइटों के मध्य का पार्थक्य स्पष्ट हो जाता है। उच्च श्रेणी के लोगों के पदों में से केवल 'दि आनरेबुल' (माननीय) पद कार्ड पर नहीं छपाया जाता। 'दि आनरेबुल जान ब्राउन' का 'मि० जान ब्राउन' हो जाता है।

कार्डों का छोड़ना

किसी के मकान पर कार्ड डालते समय उस कार्ड पर उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता। किन्तु यदि जान-पहचान के बहुत से लोग किसी होटल में ठहरे हों, तो गड़बड़ी न होने देने के लिए कार्ड पर उस व्यक्ति का नाम अवश्य लिख देना चाहिए, जिसके लिए वह डाला जाय। यात्रा के समय कार्ड डालनेवाले का अस्थायी पता कार्ड पर अवश्य स्पष्ट अंकित रहना चाहिए।

किसी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए जब कोई पुरुष किसी का निमन्त्रण स्वीकार करता है तो वह चाहे साधारण आदमी का निमन्त्रण ही क्यों न हो, उस पुरुष को भी निमन्त्रण देना चाहिए और यदि वह चाहे तो दूसरे मौसम में उस पुरुष के यहाँ कार्ड डाल आये। कार्ड को स्वीकार करना, न करना उस व्यक्ति के अधीन है। यदि वह स्वीकार न करे तो यही समझना चाहिए कि जान-पहचान का अन्त होगया।

यदि पति अपनी पत्नी के साथ कार्ड डालने जाय तो जिस स्त्री के लिए कार्ड डालने की इच्छा हो, यदि उस अवसर पर उस का पति घर में न रहे तो उसके लिए भी एक कार्ड डालना चाहिए। स्त्रियाँ पुरुषों के लिए कार्ड नहीं डालतीं।

अधिक समय के लिए घर जाते समय जिस व्यक्ति के यहाँ कोई पुरुष अतिथि के रूप में ग्रहण किया गया हो, उस गृह में 'पी० पी० सी०' कार्ड के कोने में लिखकर डालना चाहिए।

इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति उस घर से वाक्कायदा विदाई ले रहा है। यदि थोड़े समय के लिए ही स्थान छोड़ने की मंशा हो, तो कार्ड डालने की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार के कार्ड डाक-द्वारा भेजे जाते हैं।

किसी स्थान पर नये-नये आवाद होने पर जब स्त्री पहले कार्ड डालने जाय तो नव-विवाहित पुरुष को उसके साथ जाना चाहिए। यदि घर पर मकान-मालिक और मालकिन दोनों मिलें, तो पहली भेट में स्त्री ही अपना कार्ड डालती है। यदि मकान-मालिक अनुपस्थित रहे तो पुरुष अपना एक कार्ड उसके लिए डाल देता है। यदि दोनों अनुपस्थित रहे, तो एक स्त्री का और दो पुरुष के, इस प्रकार तीन कार्ड डाले जाते हैं।

नये स्थान पर बसने पर नवागन्तुक वहाँ के वाशिन्दी के कार्डों अथवा उनके भेंट के लिए आने की अपेक्षा करते हैं। किसी हालत में भी नवागतों को पहले भेट करने न जाना चाहिए। पुराने वाशिन्दी ही को इस सम्बन्ध में आगे बढ़ना चाहिए। यदि कार्ड डालने पर नवागत मुलाकात करने न आवे और मुलाकात करने आने की वजाय कार्ड डाले तो जान-पहचान का अन्त कर देना चाहिए।

किसी स्थान के व्यापारियों या नौकरो से उस स्थान के विषय में बहुत पूछ-ताछ नहीं करनी चाहिए। पुराने घरानों पर किसी प्रकार का आक्षेप भी नहीं करना चाहिए, चाहे उस कुटुम्ब से दूर रखे जाने पर उसे कितना ही बुरा क्यों न लगे।

सत्कार के बाद की भेंट

बॉल-नृत्य के उत्सव के बाद अभ्यागत स्वयं उत्सव के दूसरे दिन मकान-मालिक के यहाँ जाता है और अपना कार्ड डालकर उसका आतिथ्य ग्रहण करने की सूचना देता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि कार्ड डालने वाला मकान-मालिक के घर पर ही जाय। भोज के बाद यह निजी भेंट मकान-मालिक के “एट होम” (मित्र-सम्मेलन) दिवस पर करनी चाहिए। किन्तु यदि इस विशेष दिवस का प्रबन्ध न किया जाय तो यह भेंट तीन दिन के भीतर ही करनी चाहिए। अमेरिका में इस प्रकार की भेंट को “डाइजेशन कॉल” (Digestion Call) कहते हैं।

भेंट ४ और ६ बजे के बीच में सन्ध्या को करनी चाहिए। जहाँ मैत्री बहुत बढ़ गई हो, वहाँ ६। और ७ बजे सन्ध्या तक भेंट की जा सकती है।

द्वार पर जाने पर जब यह उत्तर मिले कि श्रीमती ए० घर पर हैं और मुलाकात करना चाहती हैं तो भेंट करने वाला अन्दर जाकर अपना ओवरकोट, छड़ी, छाता और हैट उतार कर कायदे से रख देता है। नौकर के पीछे-पीछे वह मकान-मालिक के पास जाता है। मकान-मालिक उससे हाथ मिलाती है और कमरे में पहुँचने पर यदि वहाँ कोई जान-पहचान का हुआ तो अभ्यागत उससे भी हाथ मिलाता है। जिनसे उससे खूब जान-पहचान है, उनसे तो वह स्वयं बढ़कर हाथ मिलाता है और कम

जान-पहचान के व्यक्तियों के प्रति वह सम्मान से केवल थोड़ा झुक जाता है। बैठकर जितनी सहूलियत से हो सके, वह बातें करने लगता है। यदि कोई खुश-ख़बरी इत्यादि हुई तो उसे सुनाता है।

उत्सव-सम्बन्धी भेंट में बार-बार अपनी घड़ी में समय देखना एकदम मना है। जमुहाई लेना और अप्रसन्न या घबड़ाया-सा दीखना भी बुरा है। इन गलतियों से अपने को ख़ूब बचाना चाहिए।

विदा होने का समय

जैसे ही नवागत के आने की सूचना दी जाय, पहले आये हुए अतिथि को फौरन-ही नहीं, किन्तु कुछ मिनटों के बाद उस स्थान से चल देने का उपक्रम करना चाहिए। बात-चीत को समाप्त करके सहूलियत से उठकर विदा लेनी चाहिए।

पहली भेंट में पुरुष केवल १५ मिनटों तक ठहरता है। एक शान्त अवसर को पाकर, जब कि बात-चीत का सिलसिला टूटा हो, वह धीरे से उठकर “मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई,” या “पुराने मित्र, अमुक श्रीमती अथवा अमुक श्रीमान् से मिलना सर्वदा बड़े सौभाग्य की बात है,” “अच्छा अब विदा लेता हूँ,” “आज्ञा दीजिए” इत्यादि नम्र शब्दों से विदा लेनी चाहिए। कमरे में बाहर जाते समय एक तरफ खड़े होना चाहिए, जिससे नवागन्तुक को कमरे में घुसने में बाधा न पड़े। यदि नवागत से जान-पहचान हो तो सम्मान में उसके प्रति थोड़ा झुककर दो-बार

मैत्री-सूचक वाते करके तुरन्त चल देना चाहिए और वापस जाकर कोट, टोपी इत्यादि धारण कर लेना चाहिए।

मकान से रुखसत होते समय कमरे में रक्खे हुए पात्र में एक कार्ड मकान की महिलाओं और एक मकान-मालिक के लिये डाल देना चाहिए। यदि मकान की मालकिन घर में न हों तो ये कार्ड नौकर के हाथ में दिये जाते हैं।

घर की लड़कियों के निमित्त पुरुष अपने कार्ड नहीं डालते। माँ के कार्ड में ही लड़की का निमन्त्रण शामिल रहता है। घर से बाहर रहने पर जिस स्त्री-मित्र के यहाँ वह ठहरे, उसका कार्ड उस स्त्री-मित्र के नाम डाला जाता है।

'एट होम' के अवसर पर शहरों में डाइङ्ग-रूम (सजाया हुआ कमरा) के पास वाले कमरे में चाय और जल-पान का प्रबन्ध किया जाता है। इस कार्य के लिए भोजन करने का कमरा सबसे अच्छी जगह है। कुमारी नौकरानियाँ चाय और कहवा परोसती हैं। वटलर (खानसामाँ) या पारलॉर मेड (कुमारी नौकरानी) जिसका कार्य अभ्यागतों के आने की सूचना देना है, इस अतिथि-मेवा में कोई भाग नहीं लेती।

यदि घर में कई लड़कियाँ हुईं तो अभ्यागतों की सेवा का विशेष ध्यान रखने के लिए एक जलपान-गृह में अवश्य रहती हैं। अभ्यागतों के स्वागत करने के अवसर पर इस लड़की का स्थान कोई दूसरी वहन अथवा स्त्री-मित्र ग्रहण करती हैं। जिसमें वह डाइङ्ग-रूम में अतिथि-सत्कार के कार्य में अपनी माँ की भी सहायता कर सके।

स्वास्थ्य-लाभ के लिए बाहर ठहरी हुई यदि कोई कुमारी स्त्री टहलने के लिए निकले और यदि किसी जान-पहचान के पुरुष से मार्ग में उससे भेट हो जाय और लौटते समय यदि वह पुरुष उसके अस्थायी वास-स्थान तक पहुँचाने आवे तो उस पुरुष को यह आशा न करनी चाहिए कि वह कुमारी स्त्री उसे अपने मकान के अन्दर भी लिवा ले जायगी। उसे उस स्त्री से मिलने का भी तब तक प्रयत्न न करना चाहिए, जब तक उस स्त्री के रक्तक अथवा माता-पिता उसको मिलने के लिए कहकर अपनी प्रसन्नता न प्रकट कर दें।

बधाई और मातमपुर्सी की भेंट

सुसमाचार के मिलने के बाद जितनी जल्दी अवसर मिले इस सामाजिक कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए। यही नियम मातमपुर्सी की भेंट के लिए भी है। मातमपुर्सी के मामले में केवल कार्ड डालना चाहिए। क्रिया-कर्म के बाद कुछ दिनों तक भेट करने जाकर शोक-संतप्त परिवार को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कार्ड पाकर हाल-चाल जानने और कृपापूर्ण समवेदना प्रकट करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इससे यह अर्थ निकलता है कि गमगीन परिवार अब फिर लोगों से मिलने-जुलने के लिए तैयार हो गया है।

पहुँचने का समय

अभ्यागतों के सम्बन्ध में सब से मार्के की बात तो वह समय है जब वे निमन्त्रक के घर में पधारते हैं। एक भोज ही का निमन्त्रण लीजिए, मकान-मालकिन ने पौने आठ बजे का समय नियत किया है। इस प्रकार के अवसरों पर विज्ञ व्यक्ति आठ बजते-बजते पहुँचता है। वह समझ लेता है कि १५ मिनट पहले यों ही बुलाया गया है। किन्तु किसी प्रकार भी इससे अधिक देर न होने पाये।

वाँल या नृत्य में जाने वालों को इस प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि नौसिखिये भी जल्दी पहुँचना नहीं चाहते। अनेक सत्कार करने वाली महिलाएँ जरूर चाहती हैं कि नियत समय के १५ मिनट पहले ही उनके कुछ मित्र आकर समय को विताने का प्रयत्न करें, जब तक कि अधिक कलाविज्ञ नाचने वाले न आ जायँ।

देहातों में तो नाचने आने का अन्तिम समय ११ बजे रात है। किन्तु शहरों में इससे भी अधिक देर करके आने का शुमार अशिष्टता में नहीं किया जाता। क्योंकि प्रायः यह होता है कि उसी सन्ध्या को एक या दो नृत्यों में लोगों का निमन्त्रण रहता है। अतएव केवल एक ही मित्र के निमन्त्रण में जाने की अपेक्षा

स्वास्थ्य-लाभ के लिए वाहर ठहरी हुई यदि कोई कुमारी स्त्री टहलने के लिए निकले और यदि किसी जान-पहचान के पुरुष से मार्ग में उससे भेट हो जाय और लौटते समय यदि वह पुरुष उसके अस्थायी वास-स्थान तक पहुँचाने आवे तो उस पुरुष को यह आशा न करनी चाहिए कि वह कुमारी स्त्री उसे अपने मकान के अन्दर भी लिवा ले जायगी। उसे उस स्त्री से मिलने का भी तब तक प्रयत्न न करना चाहिए, जब तक उस स्त्री के रक्तक अथवा माता-पिता उसको मिलने के लिए कहकर अपनी प्रसन्नता न प्रकट कर दें।

बधाई और मातमपुर्सी की भेंट

सुसमाचार के मिलने के बाद जितनी जल्दी अवसर मिले इस सामाजिक कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए। यही नियम मातमपुर्सी की भेंट के लिए भी है। मातमपुर्सी के मामले में केवल कार्ड डालना चाहिए। क्रिया-कर्म के बाद कुछ दिनों तक भेंट करने जाकर शोक-संतप्त परिवार को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कार्ड पाकर हाल-चाल जानने और कृपापूर्ण समवेदना प्रकट करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इससे यह अर्थ निकलता है कि गमगीन परिवार अब फिर लोगो से मिलने-जुलने के लिए तैयार हो गया है।

पहुँचने का समय

अभ्यागतों के सम्बन्ध में सब से मार्के की बात तो वह समय है जब वे निमन्त्रक के घर में पधारते हैं। एक भोज ही का निमन्त्रण लीजिए, मकान-मालकिन ने पौने आठ बजे का समय नियत किया है। इस प्रकार के अवसरों पर विज्ञ व्यक्ति आठ बजते-बजते पहुँचता है। वह समझ लेता है कि १५ मिनट पहले यों ही बुलाया गया है। किन्तु किसी प्रकार भी इससे अधिक देर न होने पाये।

वाँल या नृत्य में जाने वालों को इस प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि नौसिखिये भी जल्दी पहुँचना नहीं चाहते। अनेक सत्कार करने वाली महिलाएँ जरूर चाहती हैं कि नियत समय के १५ मिनट पहले ही उनके कुछ मित्र आकर समय को विताने का प्रयत्न करें, जब तक कि अधिक कल-विज्ञ नाचने वाले न आ जायँ।

देहातों में तो नाचने आने का अन्तिम समय ११ बजे रात है। किन्तु शहरों में इससे भी अधिक देर करके आने का शुमार अशिष्टता में नहीं किया जाता। क्योंकि प्रायः यह होता है कि उसी सन्ध्या को एक या दो नृत्यों में लोगो का निमन्त्रण रहता है। अतएव केवल एक ही मित्र के निमन्त्रण में जाने की अपेक्षा

लोग सभी जगह जाने का प्रयत्न करते हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि नाचने वालों के दो एक जोड़े रात को बहुत देर में आये।

खाने के निमन्त्रण (Luncheon) में तो केवल ५ मिनट ही की देरी का अवसर दिया जाता है। नियम यह है कि इस भोज में सम्मिलित होने वालों को ठीक समय पर भोजन के लिए बैठा देते हैं और देर करके आने वाला व्यक्ति अन्य लोगों को भोजन करता हुआ पाता है।

विवाह के लिए जो समय नियत किया जाय, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक नियत समय पर पहुँचना चाहिए। आगतों से नियत समय से वाद की अपेक्षा पहले ही पहुँचने की आशा की जाती है।

भोज और पार्टियाँ

सामाजिक उत्सवों में भोज का स्थान शायद सब से अधिक महत्त्वपूर्ण है। किसी अन्य सामाजिक जमाव में निमन्त्रण की अपेक्षा भोज में निमन्त्रित करने में अधिक मैत्री और आदर के भाव व्यक्त होते हैं। सबसे बड़ा सामाजिक आदर जो एक व्यक्ति दूसरे के प्रति प्रकट कर सकता है वह है उस व्यक्ति को भोज में निमन्त्रण देना। यह ऐसी भद्रता है जिसका बदला भी शीघ्र दिया जा सकता है। इसका स्थान सभी सामाजिक भद्रताओं में उच्चतम है।

भोज देना भी एक कला है, जो आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में भोज देने वाले की सहूलियत और योग्यता का बहुत कुछ सम्बन्ध है।

यदि कोई पुरुष भोज, शाम की पार्टी, नृत्य या डॉल की आयोजना करे, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों निमन्त्रित हो, तो उसके लिये यह आवश्यक है कि मालकिन के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए वह अपने साथ अपने कुटुम्ब की किसी स्त्री को सम्मिलित कर ले। यदि कुटुम्ब की कोई स्त्री न हो, तो अपने किसी स्त्री-मित्र ही को सम्मिलित करे। किन्तु इस स्त्री-मित्र को विवाहित होना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उसकी अवस्था काफी होनी चाहिए।

नियत तिथि से तीन सप्ताह पहले निमन्त्रण-पत्र भेज देना चाहिए। लन्दन के कारवार में बहुत-ही व्यस्त भाग में तो पाँच छः सप्ताह पहले सूचना दे दी जाती है। इतने पहले से अपने को बाँधने में आमंत्रित लोग कड़ी आपत्ति तो करते ही हैं, किन्तु इस प्रकार के निमन्त्रण को स्वीकार करने के लिए प्रत्येक शिष्ट पुरुष बाध्य है। खराब स्वास्थ्य, मातमी या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ही इस प्रकार के निमन्त्रण को स्वीकृति में बाधक हो सकते हैं।

जो लोग इतने विचारहीन हैं कि आखिरी मौके पर छोटे-मोटे वहाने करने लगते हैं वे शीघ्र ही देखेंगे कि भोजों की सूचियों में से उनका नाम निकाल दिया गया है।

मैत्री के एक छोटे भोज के लिए ५ से १० दिन तक की सूचना काफी समझी जाती है। आमतौर से मालकिन पहले लिखकर एक सूचना निकालती है। बड़े-बड़े भोजों में छपा हुआ कार्ड काम में लाया जाता है। नाम लिखने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ दिया जाता है। ये कार्ड मालिक और मालकिन के संयुक्त नाम से इस प्रकार छपाये जाते हैं:—

मि० और मिसेज़ ब्राउन

श्रीमान् से

शुक्रवार, मार्च २० को ८ बजे

१०००, पोर्टमैन प्लेस, डबल्यू०आई० में

भोज में सम्मिलित होने की कृपा करने के लिए

प्रार्थना करती हैं।

कृपया उत्तर दीजिए।

निमन्त्रण की स्वीकृति या अस्वीकृति को यथा-सम्भव शीघ्राति-शीघ्र भेज देना चाहिए।

उपरोक्त निमन्त्रण-पत्र का जवाब इस प्रकार देना चाहिए:—

मि० हेनरी स्मिथ को

मि० और मिसेज़ ब्राउन के २० मार्च के भोज के

कृपापूर्ण निमन्त्रण को स्वीकार करने में

बड़ी प्रसन्नता है।

सादे निमन्त्रण-पत्र का छोटा-सा जवाब सीधे सम्बोधन के साथ देना चाहिए।

यदि कोई बहुत ही बड़ा कारण उपस्थित न हो तो किसी हालत में भी स्वीकृत निमन्त्रण को अन्तिम समय पर अस्वीकार न करना चाहिए। उस समय पर इन्कार कर जाने से सारे प्रबन्ध में गड़बड़ी पड़ जाती है और भोज में वह वात नहीं रह जाती, क्योंकि दो घण्टे की सूचना किसी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है।

तत्कालीन निमन्त्रण

उपरोक्त विषय के साथ तत्कालीन निमन्त्रण का नया सवाल उठता है। अन्तिम समय पर निमन्त्रित किये जाने पर नवयुवकों को दुखी नहीं होना चाहिए और न यही सोचना चाहिए कि उनका तिरस्कार किया गया है। जो लोग मालकिन की कठिनाइयों को जानते हैं वे इन आकस्मिक अवसरों पर उसकी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे और बहुत पहले निमन्त्रण न पाने के लिए अप्रसन्न न होंगे। मालकिन के लिए यह तो असम्भव है कि अपनी जान-पहचान के सभी मित्रों को भोज में सम्मिलित कर सके। अतएव जो पुरुष आकस्मिक निमन्त्रण को खुशी से स्वीकार कर लेगा, उसके लिए मालकिन बहुत ही कृतज्ञ होगी। दावत की प्रसन्नता के अतिरिक्त वह पुरुष अनेक अन्य रूपों में भी इस सत्कार्य का प्रतिफल लाभ करेगा।

भोज के समयों में बहुत भेद हुआ करता है। किन्तु नियत समय के १०।५ मिनटों के भीतर ही नियत स्थान पर पहुँचना

चाहिए। ठीक समय पर न पहुँचना अक्षन्तव्य है। बहुत देर करके पहुँचने की अपेक्षा बहुत पहले पहुँच जाना अधिक अच्छा है। क्योंकि अच्छे अवसर पर पहुँचने पर मालकिन को अपने मेहमानों को एक दूसरे से परिचय कराने का मौका मिलता है।

भोज की पार्टी के अवसर पर सन्ध्या के समय पहनने के कपड़े ही पहनने चाहिए।

पहुँचना

भोज होने वाले मकान पर पहुँचकर कमरे में नौकर को अपना कोट और हैट आदि उतार कर दे देना चाहिए। मालकिन को एक कमरा इसलिए भी रख छोड़ना चाहिए, जहाँ अतिथि-गण ड्राइङ्ग-रूम में जाने से पहले एकान्त में साफ-सुथरा हो सके।

यदि वटलर (खानसामों) रहा तो वह अतिथि के आगमन की सूचना मालकिन को देगा। वटलर की अनुपस्थिति में नौकर अतिथि को ड्राइङ्ग-रूम में लिवा ले जाता है और अतिथि का नाम पूछकर, किवाड़ खोलकर अतिथि के आगमन की सूचना देता है।

जिस स्त्री के साथ किसी पुरुष को भोज में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, उसे उस स्त्री से कई कदम पीछे चलना चाहिए। यदि उस स्त्री के साथ लडकियाँ हो या साथ में कोई युवती-मित्र हो तो वह जो उस स्त्री-मित्र से दो चार कदम पीछे चलती है और साथ का पुरुष इस युवती स्त्री से भी कुछ फासले पर पीछे चलता है।

थोड़ी बात-चीत

ड्राइज़-रूम में दाखिल होकर नियों तो अपने स्थान पर बैठ जाती हैं। पुरुष भोज के १० मिनट पहले तक खड़े-खड़े बात-चीत करके समय वित्ताते हैं। किसी अतिथि से परिचय करा दिये जाने पर वे फौरन् उसने बात-चीत करना प्रारम्भ कर देते हैं। इसी स्थान पर नये अथवा शर्मिले आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि सम्भव हो तो 'मौसम अच्छा है या खराब', 'सुदिन है अथवा दुर्दिन' इस विषय पर बात-चीत न छेड़नी चाहिए। बात-चीत आरम्भ करने के लिए नाटक, पुस्तक और खेल-कूद के विषय उपयुक्त होंगे। इन्हीं विषयों से आरम्भ करके होशियार पुरुष अन्य विषयों पर भी बात-चीत छेड़ देगा। जहाँ तक हो सके, विवादग्रस्त विषय कभी न छेड़ना चाहिए, क्योंकि जिससे बात-चीत की जा रही हो, सम्भव है उसके विचार उसके साथी के विचार से मेल न खाते हो और बात-चीत के आवेश में सन्ध्या का सारा आनन्द किरकिरा हो जाय।

सहभोजी

भोज के लिए उठाने के पहले मालकिन या उसके पति प्रत्येक पुरुष को यह सूचित कर देते हैं कि किस स्त्री के साथ उन्हें भोजन करना होगा। जिन अतिथियों से अधिक मित्रता हुई वे मालिक और मालकिन के अत्यन्त रूनेही मित्र होने के कारण सब से नीचे

स्थान पर बैठते हैं जिससे अजनबी और विशेष आदरणीय अतिथियों को बैठने के लिए उचित स्थान मिल सके।

क्रम का नियम बड़ी कड़ाई से पालन किया जाता है। भोज-गृह में प्रवेश के अवसर पर पार्टी के सबसे अधिक आदरणीय अतिथि मालकिन को साथ लेकर आगे चलते हैं। उनके पीछे अन्य लोग चलते हैं। सर्वोच्च सामाजिक स्थान वाली स्त्री अथवा सब की अपेक्षा अधिक अजनबी स्त्री को मालिक अपने साथ लेकर भोज-गृह में प्रवेश करता है और उसे अपनी दाहिनी ओर बिठलाता है। सीढ़ी से उतरते समय वह उसे अपने हाथों का सहारा भी देता है।

पुरुष अपनी सहभोजिनी महिला को उसके स्थान पर ले जाता है और मालकिन के आने तक क्षण भर ठहरता है। मालकिन के आने पर उस महिला के बगल में अपना स्थान ग्रहण करता है और मेज के तैलिये को खोलकर भोजन की सूची पर निगाह डालता है और उसे अपनी साथिन को दिखलाता है।

भोजन करने समय सदा वह अपनी साथिन से मधुर भाषण करता है और बीच-बीच में दूसरी तरफ बैठी स्त्री से भी सम्भाषण करता जाता है।

अच्छा भोजन करनेवाला वही है जो अपने प्रतिभापूर्ण वार्तालाप में अपने साथी का मनोरञ्जन किया करता है और जब कभी अवसर मिलता है, सर्वसाधारण को भी रोचक वार्तालाप में लगा रक्वता है।

भोजन के समय

सबके बैठ जाने पर मेज के तौलिए में लपेटी रोटी को होशियारी से उठा लेना चाहिए। रोटी को एक तरफ रखकर तौलिए को अपनी गोद में बिछा लेना चाहिए।

खाद्य पदार्थों की सूची का कार्ड भी मेज पर पडा होगा। उसको लेकर पढ़ने में लज्जा न करनी चाहिए। वे तो वहाँ पढ़ने के लिए ही डाले जाते हैं जिससे अतिथियों को मालूम हो जाय कि उनको क्या-क्या चीजें खाने को मिलेगी। कार्ड को पढ़कर रुचिकर चीजों को ग्रहण करने और अरुचिकर चीजों को लौटा देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस प्रकार की सूची को अँगरेजी में मेनू कार्ड (Menu Card) कहते हैं। इस मेनू शब्द का वर्णन आगे अन्यत्र किया जायगा।

शराब की गिलासे

एक नये आदमी को अक्सर घबड़ा देने वाली चीज शराब की गिलासे होती हैं। प्रत्येक अतिथि के सामने तीन या अधिक गिलासे रखी जाती हैं। सबसे पहले सबसे छोटी गिलास शेरिष् पीने के काम में लाई जाती है। शेरि शोरेवे और मछली के साथ ग्रहण की जाती है। अन्य गिलासों में एक बड़ा गिलास अंगूर की शराब पीने के लिए होगा। इसमें

क्षशेरी स्पेन की बनी हुई एक मदिरा-विशेष का नाम है।

श्वेत या रङ्गीन क्लैरेट^१, वर्गएडी^२ या हॉक^३ ग्रहण की जाती है। एक अत्यन्त सुन्दर छिछला और चौड़े मुँह का गिलास शैम्पेन^४ पीने के लिए रहता है।

यदि यह याद न रहे कि कौन-सा गिलास किस काम में लाया जायगा, तो जो शराब पीने की इच्छा हो, नौकर से कह देना चाहिए और वह ठीक गिलास में वही शराब डाल देगा।

यदि शराब के बदले जल पीने की इच्छा हो, तो शराब परोसते समय जल माँग लेना चाहिए। आजकल भोज के अवसर पर इतने अधिक लोग शराब न पीनेवाले मिल जाते हैं कि जल ग्रहण करने वाले व्यक्ति की तरफ कोई आक्षेप नहीं करता और तरह-तरह के गैसदार पानी ऐसे अवसरों के लिए तैयार रक्खे जाते हैं। जल पीते समय गिलास एक ही घूँट में खाली न कर देना चाहिए। ऐसा करना बड़ी असभ्यता का परिचय देना है। पीने के पहले और बाद में ओठों को पोछना न भूलना चाहिए। जो इसमें भूल करते हैं उनकी शराब के गिलासों का दृश्य सुख-वर्द्धक नहीं होता।

^१ क्लैरेट फ्रान्स देश की बनी हुई एक शराब को कहते हैं।

^२ वर्गएडी, इसी नाम के एक प्रान्त की बनी मदिरा का नाम है।

^३ हॉक जर्मन देश की एक खास शराब है।

^४ शैम्पेन एक खास शराब है जो पूर्वी फ्रान्स में बनाई जाती है।

दूसरी बात जिसपर सावधान रहने की आवश्यकता है, वह है मुँह वन्द करके भोजन करना। इस बात की शिक्षा शिशुओं को बचपन ही से देनी चाहिए। किन्तु इसमें त्रुटि की जाती है जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सब से पहले हार्स, डूवरीज परोसा जाता है। इनमें कुछ आँयस्टर्सी, सार-डीन्स, एड्कोवीज, ओलिव्स, और तरह-तरह की तरकारियाँ होती हैं। ये चीजें एक छोटे चाकू और काँटे द्वारा खाई जाती हैं। खाने के ये औजार भी सामने मेज पर रक्खे जाते हैं। यदि हार्स डूवरीज में घोंघे हो तो उनको छोटे काँटे से खाना चाहिए। प्याली में घोंघे को वाएँ हाथ की उँगली और अँगूठे से सीधा करके काँटे की सहायता से आँयस्टर को निकालना चाहिए। इसे समूचा खाना चाहिए। यदि ओलिव परोसे जायँ और खाने की इच्छा हो तो एक-एक कर के उन्हे उँगलियों से खाना चाहिए।

शोरवा—इसके बाद शोरवे का नम्वर आता है। जिसे खाने के लिए मेज पर एक चम्मच रक्खा जाता है। यदि भुने हुए रोटो के छिलके या पिसी हुई पनीर परोसी जाय तो चम्मच से उसे भी ग्रहण करना चाहिए।

ॐ भोजन का सब से अधिक स्वादिष्ट अंश।

† मांस द्वारा प्रस्तुत खाद्य विशेष।

‡ सार्डीनियाँ की मछलियों में बना हुआ भोज्य पदार्थ।

†† छोटे मछलियों से बनाया हुआ खाद्य।

‡‡ जैतून।

शोरवा खाते समय मुँह से किसी प्रकार की आवाज न होने पाये और प्याली को अपनी तरफ न रखकर उसे थोड़ा अपने से दूर ही रखनी चाहिए। विना किसी प्रकार की आवाज किये चम्मच को काम में लाना चाहिए। चम्मच की वस्तु चम्मच की नोक से नहीं, वरन् चम्मच के वगल से ग्रहण करनी चाहिए। यदि रोटी की आवश्यकता हो तो मेज पर उसे काट कर दूर—अन्य खाद्य पदार्थों से कुछ अलग—छोटे-छोटे टुकड़े करके चुपचाप मुख में डाल लेना चाहिए। रोटी को तोड़ने के अतिरिक्त किसी भी हालत में उसे मेज पर काटना, रगड़ना या हाथ में नहीं लेना चाहिए।

मछली—मछली भी परोसी जाती है। मछली खाने के लिए चाकू और फोर्क मेज पर रखे जाते हैं। चाकू का फल लोहे का नहीं, वरन् चाँदी का होता है। होशियारी से हड्डी से मांस को अलग करके उसे प्याली में एक तरफ डाल देना चाहिए। मछली का मांस छोटे-छोटे निवालों में खाना चाहिए। कभी-कभी मछली के साथ साँस भी परोसी जाती है। इसे चटनी के प्याले से चम्मच द्वारा निकाल लेना चाहिए। नौकर प्याले को लेकर मेज के चारों तरफ घूमता रहता है। जब आवश्यकता पड़े, इसमें से ले लेना चाहिए।

साधारणतः हाइटवेट‡ समूची ग्रहण की जाती है। चाकू में काँटे पर एक या दो डाल दी जाती हैं। या केवल काँटा ही

‡काँटा।

†चटनी।

‡दो इञ्च लम्बी मछली।

काम मे लाया जाता है। ऐसी हालत मे काँटे को सीधे उठाकर छोटी-छोटी मछलियों को वेध देते हैं।

इसके बाद एण्ट्रीके सामने लाई जाती है। इसको सम्भवतः केवल काँटे द्वारा ग्रहण करना चाहिए। कटलेट्स†, स्वीट ब्रेड्स‡, या गेमकेके को खाने मे तो चाकू की जरूरत पडती ही है, किन्तु रिस्सोल्स††, कनिल्स‡‡, पैट्स‡‡ या टिम्बेल्स‡‡ केवल काँटे से खाये जाते हैं। करी को खाने का ठीक ढङ्ग चम्मच और काँटे द्वारा है।

साधारणतः एण्ट्री के बाद मांस, गाँठ, पोल्ट्री० या शिकार परोसे जाते हैं। आजकल भारी मांस के स्थान पर हलके क्रिस्म के मासों के परोसने की चाल हो रही है। इसके लिए बड़े चाकू और काँटे मेज पर रखे जाते हैं।

केके मछली के बाद का खाद्य।

† मांस-द्वारा प्रस्तुत भोज्य विशेष।

‡ मीठी रोटी।

केके शिकार में मारे हुए जन्तु का पकाया हुआ मांस।

†† मांस की बनी हुई रोटी।

‡‡ मछली से लेई की शक्त का बनाया हुआ खाद्य पदार्थ।

‡‡ वत्तख का कलेजा।

†† मछली और अण्डे की सफेदी से तैयार किया हुआ खाद्य विशेष।

० मुर्गावी का गोशत।

जब तक कि भिन्न-भिन्न तरकारियाँ और चटनियाँ सामने न लाई जाँय, मांस खाना आरम्भ न करना चाहिए। भोजन कर चुकने पर तश्तरी में काँटे और चाकू पास-पास डाल देना चाहिए। चाकू का दाहिना भाग ऊपर हो और काँटा उल्टा रहे।

छोटी-छोटी चिड़ियों के खाने में बड़ी दिक्कत पडती है। इनका बहुत कम भाग काम में आता है। अतएव ये बहुत स्वादिष्ट चीजें समझी जाती हैं। भोजन करनेवाले को गाँठ पर ही विशेष ध्यान रखना चाहिए।

तरकारियाँ सदा काँटे द्वारा ग्रहण की जाती हैं। ऐस्परेगस भी कोई विशेष औजार न रहा तो काँटे द्वारा ही खाया जाता है। ऐस्परेगस को तश्तरी से उठाकर उँगलियों में लेने का फैशन नहीं रहा। खाने का नया और अधिक उत्तम ढंग तो यही है कि काँटे से इसके टुकड़े-टुकड़े कर के मुँह में डाल लिये जायँ। आजकल भी इनको हाथ से उठाकर खाने की रीति है। थोड़ी सी तश्तरी में लेकर प्रत्येक कली को घी में डुबाकर मुख में डाल लेना चाहिए। ऐस्परेगस के साथ ही घी भी परोसा जाता है। कली के किनारे के गोले-गोले टुकड़े तश्तरी में डाल दिये जाते हैं।

ग्लोव आर्टीचोक्स में बहुत कम खाद्य पदार्थ मिलता है। काँटे में उठाकर पत्ती दाँतो में दबाई जाती है। जूस काट

ऋभाजी विशेष।

गुणक प्रकार का फूल जिसकी तरकारी बनाई जाती है।

कर काँटे के अन्त-भाग से पत्ती हटा दी जाती है। इसे खाना आसान काम नहीं। और इस थोड़े लाभ के लिए बहुत-से लोग इतनी मिहनत करना पसन्द नहीं करते।

सलादः उसी तश्तरी से खाना चाहिए जिसमें यह परोसा जाय। किन्तु खीरा भोजन की तश्तरी में से खाया जाता है। मछली के साथ परोसे जाने पर इसे मछली की तश्तरी से खाना चाहिए।

मटर काँटे की नोक पर धीरे से उठाकर मुख में डाल लेनी चाहिए।

स्वीट्सों को खाने के लिए भिन्न चम्मच होते हैं, जिनसे फल इत्यादि भी खाये जाते हैं। जहाँ मिठाई आसानी से काँटे द्वारा खायी जा सके, वहाँ उसे उसी के द्वारा खाना चाहिए।

चीज़ों विस्कूट या रोटी के टुकड़े पर लेकर खाई जाती है। चाकू से उठाकर इसे कभी नहीं खाते। स्टिलटनॉ का साधारणतः एक इञ्च का टुकड़ा लिया जाता है।

यह मध्य से खरोँच ली जाती है। काटी नहीं जाती, और अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ली जाती है।

ः एक प्रकार की तरकारी जो कच्ची-ही खाई जाती है।

‡मिठाइयों।

‡पनीर।

‡हॉटिंगडनशायर की बनी हुई बढिया पनीर।

डेज़र्टस्क्व—फल थोड़े लिये जाते हैं—ये बहुत बाद को परोसे जाते हैं ।

हाथ से खाये जाने वाले पदार्थ

फिगर बावल[†] फलो के पात्र से अलग किये जाते हैं । तश्तरी से पहले प्याले को उठाकर इसके नीचे के लेसड्वायली[‡] को हटा देते हैं । फिर इस को मेज़ पर बाईं ओर रख देते हैं और तब इस पर फिगर बावल को रख देते हैं । फलो का खाना समाप्त कर के एक एक कर के अपना हाथ इसमें डालना चाहिए । केवल उँगलियों को डुबोकर उनको हलके से तौलिये में पोंछ लेना चाहिए । तौलिये को बिना तह लगाये ही तश्तरी के वगल में सफाई से डाल देना चाहिए ।

फलों का खाना

आडू खाना तो बहुत ही आसान है । काँटे को उठाकर धीरे में फल में चुभो देना चाहिए और तब इसे तश्तरी के मध्य में रखकर उपर में झिलका चाकू से छीलकर निकाल देना चाहिए । फल को छीलकर बीज के पास से इसके दो बराबर टुकड़े कर लेने चाहिए और तब इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में करके मुँह में ले लेना चाहिए ।

क्षुभोजन के साथ जो फल परोसे जाते हैं उन्हें डेज़र्ट कहते हैं ।
[†]फल-पात्र जिम्में काँटे की वजाय उँगली से गवाया जाता है ।
[‡]गिलाम विशेष ।

अंगूर को मुख में डालकर धीरे से उसका छिलका निकाल लिया जाता है। बीजो को निकालने के लिए काँटा मुख के पास लगा लिया जाता है। और उसी में मुख से निकाल कर बीज ले लिया जाता है। बीजो को फलों की तश्तरी में एक तरफ डाल देना चाहिए।

नारङ्गियाँ खाना कुछ मुश्किल है। सबसे अच्छा ढङ्ग तो यह है कि नारङ्गी को बायें हाथ में लेकर धीरे से छिलका सिरे से काट कर चाकू से उतार लेना चाहिए। एक-एक फाँक लेकर अंगूर की तरह मुख में डालकर बीजो को काँटे में ले लेना चाहिए। टंजे-रिन्सके के भी छिलके उतार कर नारङ्गियों की फाँक की तरह खाना चाहिए।

अनन्नास तो रस-भरा रहता है। अतएव खाते समय एक बार में इसका केवल एक ही टुकड़ा लेना चाहिए। इन टुकड़ों को बीच से लेकर खाना चाहिए और बाहर का टुकड़ा फेंक दिया जाता है।

सेब काँटे द्वारा दृढ़ता से पकड़कर चाकू से तराशे जाते हैं।

अखरोट तोड़ने वाला जो औजार दिया जाय, उसी से उसको ताडना चाहिए और खाने वालों को चाहिए कि वे सम्भवतः जितना कम हो सके, उतना कम कूड़ा-करकट तश्तरी में एकत्र करें।

अफरोका प्रदेश की एक प्रकार की नारङ्गी।

फलो को धीरे-धीरे बिना किसी तरह की आवाज निकाले और मुँह बन्द करके खाना चाहिए। न तो रुकना चाहिए और न लम्बे-चौड़े तर्क छेड़कर यह भूल जाना चाहिए कि खाद्य सामग्रियों भक्षण की राह देख रही हैं।

पानी का गिलास उठाते और उमे टेबिल पर रखते समय तौलिये को कास में लाना चाहिए। शोरबे को लेने के बाद भी फौरन ही इसका व्यवहार करना चाहिए।

प्रत्येक पदार्थ के खाने के बाद कटि और चाकू को पास-पास डाल देना चाहिए। उनको एक दूसरे के ऊपर रखने का यह अर्थ होता है कि खाने वाले को और भी फलों की आवश्यकता है और व्यावहारिक भोजों में इस प्रकार की इच्छाओं का दमन करना चाहिए।

जब स्त्रियाँ कमरे से बाहर जाने लगे तो द्वार के पास वाले पुरुष को उठकर उनके लिए द्वार खोल देना चाहिए। कार्य करने का अधिकार तो भोजन कराने वाले का है; किन्तु किसी युवक के लिये यह कार्य कर देना नम्रता का प्रदर्शन करना है।

स्त्रियों के चले जाने के बाद न्यौता देने वाला अपने अतिथियों को शराब इत्यादि पिलाता है और लोग बात-चीत में अधिक स्वतन्त्रता लेने लगते हैं। किन्तु आजकल तो इस प्रसन्नता में स्त्रियाँ भी भाग लेती हैं। वे कहने को भोजगृह में न पीकर पुरुषों के साथ ही पीना पसन्द करती हैं। इस नियम में स्त्री-पुरुषों में शीघ्र मिलाप होता है और इसमें लाभ ही होता है।

भोज के पश्चात्

भोज के बाद यदि समय रहा तो कुछ गान-वाद्य अथवा वायरलेस कन्सर्ट^१ होता है। यदि भोज वास्तव में मजेदार हुआ तो वात-चीत में ९ या ९। वज जाते हैं। चतुर मकान-मालिक और गृहिणी ऐसा प्रबन्ध करते हैं कि समय कटते देर नहीं लगती और कभी-कभी तो अभ्यागतों के विदा होते-होते १० वज जाते हैं।

विदा होते समय सभी जान-पहचान के लोगों से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं। सम्मान से झुककर जरा-सा मुस्करा देना ही पर्याप्त होता है। विदा इस प्रकार चुपचाप हो जाना चाहिए कि पार्टी टूटने न पावे।

किन्तु गृहिणी से विदा लेना भूलना न चाहिए। जब वह हाथ-मिलावे तो कुछ शब्दों में सन्ध्या को सुख से विताने के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।

अक्सर ऐसा होता है कि भोज के उपरान्त चाय पीने के लिए लोग स्वागत-गृह में एकत्र होते हैं। पुरुष को चाहिए कि इस समय भी वह उन महिलाओं के साथ रहे जो भोज के समय उसके बगल में बैठी रही हों। क्योंकि सम्भव है विदा होते समय टैक्सी तक अथवा पास के स्टेशन तक पहुँचाने के लिए उन्हें उस पुरुष की सहायता की आवश्यकता हो।

^१विना तार के यंत्र द्वारा प्रतिध्वनित गायन-वाद्य।

गाँवों में तो ऐसा होता है कि भोज के बाद मकान-मालिक महिला अतिथियों को मोटर तक पहुँचा आते हैं। शहरों के भोज में मकान-मालिक यह कार्य अपने नौकरों से करवाते हैं।

जब तक विशेष कारण न हो, दस बजे से पहले किसी भोज पार्टी से विदा न होना चाहिए। पार्टी से विदा होने का ठीक समय १० बजे रात है।

वरुशीश देने के प्रश्न पर लोग बहुधा ग़लती कर बैठते हैं। यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस मकान में भोज हो, उस मकान के नौकरों को भूलकर भी वरुशीश न देनी चाहिए। यदि कोई नौकर टैक्सी ला दे, या इसी प्रकार की और भी कोई छोटी-मोटी सेवा कर दे तो उसे दो-चार पैसे दिये जा सकते हैं, किन्तु यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए।

मध्याह्नोत्तर पार्टी

भोज की पार्टियों की अपेक्षा इस पार्टी में नियमों की उतनी कठिनता नहीं रहती। निमन्त्रित होने पर यह पूछने की जरूरत नहीं कि मालकिन घर पर हैं या नहीं। यदि कहना ही पड़े तो नौकरानी से केवल इतना कह दिया जाता है कि “श्रीमती मेरा इन्तज़ार करती होंगी।”

यदि मकान-मालिक भी उपस्थित रहे तो डाइज़ रूम में भोज-गृह में वे अपने साथ विशेष रूप से निमन्त्रित अभ्यागत अथवा महिला को ले जाते हैं। किन्तु उमें सहाय देने के लिए

अपना हाथ नहीं बढाते। इनके पीछे अन्य मेहमान चलते हैं। पुरुष लोग स्त्रियों के साथ नहीं बैठते। किन्तु मेजों पर इस तरह बैठते हैं कि सभी उपस्थित स्त्रियों की सेवा के निमित्त वे ठीक-ठीक बँट जाँय।

विवाहिता स्त्रियाँ कुमारी स्त्रियों से आगे चलती हैं और सबसे पीछे पुरुष चलते हैं।

खाद्य पदार्थों की सूची साधारण होती है। शोरवा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अन्त में कहवा परोसी जाती है। यह उस स्थान पर दी जाती है जहाँ यह आशा की जाती है कि अभ्यागत २० मिनट अथवा आधा घण्टा बैठेंगे। तत्पश्चात् अभ्यागत मकान-मालिक मालकिन से विदा होते हैं और जिन लोगो से प्रथम वार परिचय हुआ हो, उनके प्रति झुककर सम्मान प्रदर्शन करते हैं।

सार्वजनिक भोज

सार्वजनिक भोजों में उन भोजों की गणना होती है जो सोसाइटियों, सार्वजनिक संस्थाओं अथवा शहर की कम्पनियों द्वारा दिये जाते हैं। जब किसी एसोसिएशन द्वारा भोज दिया जाता है तो प्रबन्ध एक कमेटी के हाथ में रहता है। यह कमेटी ही खाद्य पदार्थों की सूची, शराव, गान-वाद्य के प्रोग्राम और भाषणों की आयोजना करती है। विशेष सम्मानित अतिथियों को छोड़कर, जिन्हे उच्च स्थल पर बैठने का अधिकार होता है

और जिनसे एक व्याख्यान देने की आशा की जाती है, साधारण अतिथियों से सब से पहले यह आशा की जाती है कि जिस होटल अथवा स्थान में भोज का प्रबन्ध किया जाय, वहाँ पहुँच कर पहले अपना निमन्त्रण-पत्र दिखलावे। इसके बदले में खाद्य पदार्थों की सूची का एक कार्ड इस अतिथि को दिया जाता है।

इस कार्ड पर भोज का सारा प्रोग्राम अङ्कित रहता है। लवादे उतारकर रखने के कमरे में हैट और ओवरकोट उतारकर नौकर के हाथ में देना चाहिए। इसके बदले में एक नम्बर लगा हुआ टिकट मिलता है। यहाँ से स्वागत-गृह अथवा डाइइंग-रूम में जाना चाहिए। कमेटी को अतिथि का नाम बतलाया जाता है। नाम घोषित होने के बाद ही कमरे में स्वागत-कारिणी समिति के चेयरमैन के पास जाकर हाथ मिलाना चाहिए। कमेटी के सदस्य-गण तो सम्मान करने के लिए पहले ही से खड़े रहते हैं। उनसे हाथ मिलाकर या सिर झुकाकर यहाँ से शीघ्र ही उस कमरे में चले जाना चाहिए, जहाँ अन्य अतिथि गण आगमन में खड़े बात करते हैं। वहाँ पहुँचकर बैठक के नकशे से यह मालूम करना चाहिए कि उसके बैठने का प्रबन्ध कहाँ किया गया है। वे नकशे दीवार पर लगा दिये जाते हैं।

कुछ देर के बाद यह खबर दी जाती है कि भोजन मेज पर परोस दिया गया है और विशेष निमन्त्रित अतिथि अन्य अतिथियों का नेतृत्व ग्रहण करके भोज-गृह में प्रवेश करते हैं। अति-

थियों के बैठ-जाने पर भोजनाचार्य (Toast Master) अथवा अन्य अफसर महिलाओं और पुरुषों से ईश-प्रार्थना के निमित्त खामोश हो जाने की प्रार्थना करते हैं ।

प्रार्थना के बाद लोग खाने लगते हैं । इसके अनन्तर यहाँ वे ही सब नियम लागू होते हैं जो भोज के सम्बन्ध में पीछे लिखे जा चुके हैं ।

बादशाह के सुस्वास्थ्य की कामना के बाद ही धूम्रपान की विधि है, तो भी आम तौर से जब चेयरमैन यह सूचित करें कि अब लोग धूम्रपान कर सकते हैं तभी धूम्रपान करना चाहिए । इसके बाद प्रोग्राम के अनुसार विभिन्न वक्ता-भाग अपना व्याख्यान सुनाते हैं ।

शराब

यदि भोज वास्तव में निमन्त्रण न हो अथवा जब किसी जलसे में भाग लेने के लिए, या किसी यात्री के सम्मानार्थ आपने भोज में सम्मिलित होने के लिए टिकट खरीदा हो, तो शराब का जिम्मेवार खानसामों प्रत्येक अतिथि से उसकी अभिलषित शराब लाने की आज्ञा माँगता है ।

कई अतिथि मिलकर एक बोतल शराब पी सकते हैं ।

किन्तु यदि भोज वास्तव में निमन्त्रण हो तो खाद्य पदार्थों की सूची ही में जिन शराबों का उल्लेख होगा वे समयानुसार खाद्य पदार्थों के साथ ही परोसो जायँगी ।

भोज के अन्त में आमतौर से अपने मित्रों ही से विदा ली जाती है।

इस प्रकार के सार्वजनिक भोजों में जान-पहचान के लोगों से भी वार्तालाप हो सकता है। भोजन के परोसने के साथ ही साथ किस्से-कहानियाँ भी छिड़ती रहती हैं, किन्तु भाषण के समय इन सब वार्तालापों को बन्द कर देना चाहिए।

किसी संस्था के सहायतार्थ दिये गये भोजों में चेक या चन्दे की रकम को साथ लेकर जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे अवसर पर चन्दे उगाहे जाते हैं। चन्दा देने की असमर्थता होने पर ऐसे भोजों में न जाना ही अच्छा है।

वख्शीश देने के विषय में चाल यह है कि कपडे पहनने के कमरे में एक तश्तरी रखी रहती है। उसी में चाँदी के सिक्के डाल देने चाहिए। नौकरों की वख्शीश के लिए कभी-कभी एक तश्तरी अभ्यागतों में घुमाई जाती है। इस रकम की कोई नियत फीस नहीं है, किन्तु इस बात का खयाल रखकर कुछ देना चाहिए कि नौकरों ने प्रत्येक अभ्यागत की माँग को पूरा करने का खूब खयाल रक्खा है।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी समाचार-पत्र के सञ्चालक अथवा कोई अमीर सज्जन अपने घर पर पत्र के सारे स्टाफ को भोज देते हैं। ऐसे भोजों में मकान-मालिक अपने मेहमानों के साथ मित्र के तौर पर वर्ताव करते हैं और उन्हें अपने बराबर का समझते हैं। ऐसे अवसरों पर कारवार-सम्बन्धी बातें न करके ऐसी बातें छेड़नी चाहिए, जो सबको रुचिकर हो।

यद्यपि मकान-मालिक लोगों को अपनी वरावरी का समझते हैं तथापि मेहमानों को अपने मालिकों से स्वतन्त्रता-पूर्वक वात-चीत न करना चाहिए। नये आदमियों को इन मामलों में कभी-कभी बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। यह समस्या तब तो और भी जटिल हो जाती है जब अभ्यागत जन्म से अपने मालिक के वरावर की श्रेणी का हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि अत्यन्त निकृष्ट श्रेणी का व्यक्ति भी अध्यवसाय से बड़ा धनी हो जाता है। ऐसी हालत में धन के सिवा उसके सारे नौकर-चाकर अन्य सभी बातों में उससे उच्च होते हैं। किन्तु इन सब बातों की बिना पर यदि कोई यह समझे कि अपने मालिक से उसे स्वतन्त्रतापूर्वक वात करने का हक हो जाता है, तो वह सख्त गलती करता है। मालिक के सम्बन्ध में एक नौकर का वही स्थान है जो उसके फर्म में नौकरी के लिहाज से उसका होना चाहिए। एक भले आदमी को इन सब बातों का खूब ख्याल रहता है और वह अपनी श्रेष्ठतर शिक्षा और जन्म के कारण अपने स्थान को अपने मालिक के स्थान से उच्चतर नहीं मानने लगता।

इन सब बातों के अतिरिक्त भी निमन्त्रण देने वाला व्यक्ति अक्सर वयोवृद्ध होता है और वयोवृद्ध लोगों के प्रति सम्मान दिखाना नवयुवकों को सदा ही शोभा देता है।

ऐट होम* और स्वागत

छपे हुए “ऐट होम” कार्डों द्वारा निमन्त्रण दिया जाता है। अथवा मकान-मालकिन के विजिटिंग कार्ड पर नाम के नीचे “ऐट होम” और निमन्त्रण की तारीख और दिन लिख दिया जाता है। कार्ड के निचले-कोनों पर पता और गान वाद्य आदि होने वाले किसी विशेष उत्सव का जिक्र रहता है। निमन्त्रित अतिथि का नाम कार्ड के ऊपर बाईं तरफ कोने में लिखा रहता है।

‘ऐट होमों’ का समय मध्याह्न के बाद अथवा सन्ध्या का है। इनमें बहुधा मित्रगण ही निमन्त्रित किये जाते हैं। डाइङ्ग-रूम में मकान-मालकिन प्रत्येक अतिथि से मिलती हैं और बाट को सभी आगतों के बीच में जाकर उनको हर प्रकार से प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हैं। साधारणतः ऐसे मौकों पर गान-वाद्य का प्रबन्ध नहीं किया जाता। खाद्य-पदार्थ भी साधारण ही होते हैं। यथा—चाय, कढ़वा, पतली रोटी और मक्खन, बर्फदार शरबत और केक आदि। इस के अलावा सिगरेट भी होता है। ये सब चीजें डाइङ्ग रूम में नौकरानियों द्वारा परोसी जाती हैं। घर की लडकियाँ भी इस काम में हाथ बँटाती हैं।

कृपारिचित मित्रों का तीसरे पहर या शाम को जो दावत दा जाता है उसे ‘ऐट होम’ कहते हैं।

कायदा यह है कि 'ऐट होम' के अवसर पर जब कोई महिला बैठी हो और उसी समय यदि कोई नयी महिला आ जाय तो पहले ने बैठी महिला को उठकर नवागता महिला का सम्मान कर के उससे हाथ मिलाना चाहिए। किन्तु किसी पुरुष के आने पर उसे उठने की जरूरत नहीं।

किसी महिला के आते ही पुरुष को उठ खड़े होना चाहिए और जब तक उस महिला को स्थान न मिले, तब तक उसे अपना स्थान ग्रहण नहीं करना चाहिए।

छोटे 'ऐट होमों' में मकान-मालकिन जहाँ उचित समझती है आगतों में परस्पर वार्तालाप करा देती है।

'ऐट होमों' में आगतों को बहुत जल्द न आना चाहिए। जल्द आने से आध घण्टे तक व्यर्थ ही रुकना पड़ता है। यह व्यर्थ का रुकना बड़ा घुरा मालूम पड़ता है।

बड़े 'ऐट होम'

बड़े 'ऐट होमों' में मकान-मालकिन ड्रइज़ रूम के द्वार ही पर रहती हैं और आगत लोग ही परस्पर एक दूसरे की अभ्यर्थना करते हैं। गान-वाद्य के अवसर पर सब को चुप हो जाना चाहिए। यदि वाद्य रुचिकर न हो तो चाय पीने के कमरे में चले जाना चाहिए। यदि मकान-मालकिन पास न रहे, तो उनसे विदा माँगने की जरूरत नहीं। जब आमतौर से अतिथि-गण विदा देने लगें, तो स्वयं भी विदा हो जाना चाहिए।

अतिथियों के विदा लेते समय मकान-मालकिन इस बात की सूचना अपनी दासियों को नहीं देतीं। मोटर या गाड़ी की प्रतीक्षा करने के लिये अतिथि-गण भोजन-गृह अथवा हॉल में ठहरते हैं। गाड़ी आने पर उनको सूचना दी जाती है। मोटरों और गाड़ियों में बैठने में पुरुषगण स्त्रियों की सहायता करते हैं।

स्वागत में दी गयी पार्टियाँ

इन पार्टियों को 'शाम की पार्टियाँ' भी कहते हैं। ये पार्टियाँ ५०।६० और सौ-दो सौ अतिथियों की भी हो सकती हैं। प्रबन्ध देना में एक ही तरह का होता है।

मकान-मालकिन डाइङ्ग-रूम के बाहर सीढ़ी पर खड़ी होकर अतिथियों का स्वागत करती हैं। गृह-स्वामी डाइङ्ग-रूम में रहते हैं।

अपना नाम घोषित किये जाने के बाद अतिथि को पहले गृह-स्वामिनी से मिलकर गृह-स्वामी से मिलने चले जाना चाहिए। यदि अतिथि के साथ कोई महिला हो तो पुरुष को महिला के पीछे-पोछे जाना चाहिए।

मेल-मिलाप इस अवसर पर मित्रो ही में होता है। गृह-स्वामिनो को तो अतिथियों के स्वागत ही से इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वे अतिथियों में परस्पर मेल-मुलाकात करा दे।

शाम को गान-बाद्य का प्रबन्ध किया जाता है। वाद को खाद्य सामग्रियाँ लायी जाती हैं और गृह-स्वामी प्रधान अतिथि

को भोजन कराने स्वयं लिवा ले जाते हैं। पार्टी की छुट्टाई-वड़ाई के अनुसार ही टेविलों का प्रबन्ध किया जाता है। इस प्रकार की पार्टी और वॉल (नृत्य-महोत्सव) में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। केवल शाम की पार्टी में नृत्य के बदले गान-वाद्य का प्रबन्ध किया जाता है।

भोजन के बाद ११॥ से १२ बजे तक बहुतेरे अतिथि तो डाइङ्ग-रूम में न लौटकर सीधे अपनी मोटर या गाड़ी का इन्त-जार करते हैं। अतएव इस भोज में विदा लेने की प्रथा नहीं है। शाम की बहुतेरी पार्टियाँ तो एक-एक बजे रात को समाप्त होती हैं। शनिवार को जो पार्टियाँ दी जाती हैं वे तो आधी रात से पहले समाप्त होती ही नहीं।

सार्वजनिक स्वागत

इसी प्रकार सार्वजनिक भोज देकर सार्वजनिक स्वागतों की आयोजना की जाती है। भेद केवल इतना ही है कि सार्वजनिक स्वागत बड़ी चीज़ है। केवल वे ही मित्र निमन्त्रित किये जाते हैं जो एक दल के होते हैं और जैसे-जैसे जान-पहचान बढ़ती जाती है, मित्रों का यह समूह भी बढ़ता जाता है।

ब्रिज पार्टियाँ और ब्रिज-सम्बन्धी चाय पार्टियाँ

विजिटिङ्ग कार्ड भेजकर अथवा एक चिट्ठी लिखकर मित्र निमन्त्रित किये जाते हैं। विजिटिङ्ग कार्ड पर 'ऐट होम' लिख कर तारीख और दिन लिख दिया जाता है। जिस कोने में पता अङ्कित हो उसके सामने वाले कोने पर लिख दिया जाता है—“ब्रिज, ३॥ वजे सन्ध्या।” ये निमन्त्रण भी गृह-स्वामिनी के नाम से भेजे जाते हैं। आजकल पुराने ढङ्ग के ब्रिज की अपेक्षा 'आक्शन ब्रिज' के खेलने ही की अधिक चाल है।

गृह-स्वामिनी केवल थोड़े ही लोगों को आमन्त्रित करती हैं और उसी के अनुसार टेविल इत्यादि का प्रवन्ध किया जाता है।

अतिथियों को बतला दिया जाता है कि किस टेविल पर किसके लिये प्रवन्ध किया गया है। अतिथि-गण नियत टेविलो पर अपने साथियों के साथ बैठ जाते हैं। स्वयं गृह-स्वामिनी भी खेल में शामिल होती है। ऐसे समय पर बात-चीत आरम्भ करने की एक-दम आवश्यकता नहीं होती।

आते ही अतिथि-गण केवल हैट और कोट उतार देते हैं।

शाम की ब्रिज-पार्टियों के लिए गृह-स्वामिनी विशेष प्रवन्ध करती है। वे स्वयं छोटी-छोटी मेजों को मजाकर एक-एक पर

चार-चार अतिथियों के बैठने का प्रबन्ध करती हैं। अतिथियों के आते ही उनके लिए नियत स्थान की सूचना दे दी जाती है। अतिथि-गण अपने साथियों को स्वयं चुन लेते हैं और अपने साथियों के साथ ही भोजन करते हैं।

९ वजे के खेल के लिए अतिथि-गण ८॥ वजे ही से आने लगते हैं। खेल तीन घण्टे तक जारी रहता है। यदि खाद्य पदार्थ न परोसे गये हो, तो बढ़िया-बढ़िया चीजे एक स्टूल पर रख दी जाती हैं और कभी-कभी अतिथियों के भोजन करने के लिए खेल बीच ही में रोक दिया जाता है। किन्तु ऐसा हमेशा नहीं किया जाता। क्योंकि खेल में बाधा डालना अक्सर बहुत बुरा माना जाता है।

कार्ड (ताश) पार्टियों में तो एक दम खामोश रहने की जरूरत होती है।

ताश खेलने की मेज़ पर

अनेक ऐसे भी खिलाडी होते हैं जो यों वड़े सभ्य और नम्र होते हुए भी त्रिज की मेज पर अपनी सारी भलमन्सी ताक पर रख देते हैं। ज़रा-ज़रा सी बात पर नाराज होकर सारा मज़ा किर-किरा कर देते हैं, और ऐसा मालूम पड़ता है कि इनाम मिले चाहे न मिले, मगर उनकी हार या जीत पर जीवन और मरण की बाज़ी लगी है। बहुतेरे ऐसे भी खिलाडी होते हैं, जो जब तक जीतते जाते हैं तब तक तो बड़ी संजीदगी से पेश आते हैं, किन्तु दो-एक बार

हारते ही झुँझला कर कार्ड ज़मीन पर पटक कर कहते हैं कि 'अब दूसरे बाजी नहीं खेलेंगे।' प्रत्येक खेल के बाद वे मानो "शव-परीक्षा" करके अपने साथी से कहते हैं कि फ़लों मौके पर उसे फ़लों चाल चलनी चाहिए थी। फ़लों चाल चलने पर अवश्य जीत होती अथवा वे ऐसी-ऐसी वे सिर-पैर की वाते सुनाते हैं कि नया खिलाड़ी तो भौचक्का-न्सा होकर बड़ी भद्दी-भद्दी ग़लतियाँ करने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में खेल का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। इस प्रकार के खिलाड़ियों को चाहिए कि वे या तो खेलना छोड़ दें अथवा घर पर बैठकर आत्म-संयम करना सीखें।

नाचों के प्राइवेट उत्सव

नाच के उत्सवों में शामिल होने के लिए भी निमन्त्रण “ऐट-होम” के कार्डों ही पर भेजा जाता है। केवल कार्ड के कोने पर “नाच” शब्द छाप दिया जाता है। चाहे कितना ही बड़ा जल्सा क्यों न हो, कार्ड पर “नाच” के स्थान पर “वॉल” (नृत्य-सहोत्सव) शब्द कभी न लिखना चाहिए। नृत्य के साथ “शीघ्र” अथवा “लघु” शब्द का प्रयोग कर देना चाहिए जिससे अतिथियों को मालूम हो जाय कि जल्सा बड़ा होगा अथवा छोटा।

निमन्त्रण गृह-स्वामिनी के नाम ही से भेजे जाते हैं। किन्तु यदि गृह-स्वामी की पत्नी जीवित न हो और उनके कोई लड़की हो तो कार्ड पर गृह-स्वामी और उनकी लड़की के नामों को छापने की चाल है। यदि गृह-स्वामी अविवाहित हुए तो कार्ड पर अकेले उन्हीं का नाम छपना चाहिए।

निमन्त्रण के साथ यदि कोई मैत्रीपूर्ण पत्र भी लिखा जाय तो उसमें “वॉल” शब्द का प्रयोग किया जा सकता है; किन्तु कार्ड पर तो इस शब्द को कभी न छपवाना चाहिए।

हारते ही झुंझला कर काँड जमीन पर पटक कर कहते हैं कि 'अब दूसरी बाजी नहीं खेलेंगे।' प्रत्येक खेल के बाद वे मानो "शव-परीक्षा" करके अपने साथी से कहते हैं कि फ़लों मौके पर उसे फ़लों चाल चलनी चाहिए थी। फ़लों चाल चलने पर अवश्य जीत होती अथवा वे ऐसी-ऐसी वे सिर-पैर की वाते सुनाते हैं कि नया खिलाड़ी तो भौचक्का-सा होकर बड़ी भद्दी-भद्दी गलतियाँ करने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में खेल का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। इस प्रकार के खिलाड़ियों को चाहिए कि वे या तो खेलना छोड़ दें अथवा घर पर बैठकर आत्म-संयम करना सीखें।

नाचों के प्राइवेट उत्सव

नाच के उत्सवों में शामिल होने के लिए भी निमन्त्रण “ऐट-होम” के कार्डों ही पर भेजा जाता है। केवल कार्ड के कोने पर “नाच” शब्द छाप दिया जाता है। चाहे कितना ही बड़ा जल्सा क्यों न हो, कार्ड पर “नाच” के स्थान पर “बॉल” (नृत्य-महोत्सव) शब्द कभी न लिखना चाहिए। नृत्य के साथ “शीघ्र” अथवा “लघु” शब्द का प्रयोग कर देना चाहिए जिससे अतिथियों को मालूम हो जाय कि जल्सा बड़ा होगा अथवा छोटा।

निमन्त्रण गृह-स्वामिनी के नाम ही से भेजे जाते हैं। किन्तु यदि गृह-स्वामी की पत्नी जीवित न हो और उनके कोई लड़की हो तो कार्ड पर गृह-स्वामी और उनकी लड़की के नामों को छापने की चाल है। यदि गृह-स्वामी अविवाहित हुए तो कार्ड पर अकेले उन्हीं का नाम छपना चाहिए।

निमन्त्रण के साथ यदि कोई मैत्रीपूर्ण पत्र भी लिखा जाय तो उसमें “बॉल” शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु कार्ड पर तो इस शब्द को कभी न छपवाना चाहिए।

आम तौर से निमन्त्रण के कार्ड इस प्रकार से छपे होते हैं—

श्रीमती

गेट हेम

मङ्गलवार, जून ३

नृत्य ९॥ वजे
१०००, पोर्टमैन स्टेस, डब्ल्यू० आर्इ०

कृपया सूचित
कीजिये ।

अतिथि का नाम कार्ड के ऊपर लिखा जाता है ।

बड़े और महत्वपूर्ण जल्सों में मित्रों की सलाह से स्त्रियाँ उन पुरुषों को भी निमन्त्रित करती हैं जिनसे उनसे पहले कभी भी जान-पहचान न रही हो । ऐसे मामलों में कार्डों में यह भी लिखा रहता है—“अमुक श्रीमती की प्रार्थना से ।” इस प्रकार से निमन्त्रित अतिथि के आने पर गृह-स्वामिनी और उनकी लडकियाँ उनसे हाथ मिलाती हैं । इनसे मिलकर ये अतिथि उन मित्रों के पास चले जाते हैं जिनके द्वारा वे निमन्त्रित होते हैं ।

नाच के मामूली जल्सों का आरम्भ विशेष महत्वपूर्ण अतिथियों द्वारा ही किया जाता है । जहाँ कहीं सम्भव होता है, गृह-स्वामिनी बड़े कौशल और चतुराई से अपने अतिथियों की जान-पहचान एक दूसरे से कराती हैं । नृत्य के जल्से की सफलता का विशेष श्रेय भी उन्हीं के चातुर्य पर निर्भर रहता है ।

शहरों में परस्पर जान-पहचान कराने की विशेष रीति नहीं है । क्योंकि वहाँ प्रायः सभी एक दूसरे से मिलते-जुलते रहते हैं ।

शिष्टाचार यही है कि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अतिथि को गृह-स्वामी अपने साथ लेकर चलते हैं। काउण्टी (जिले) में जिसका जैसा स्थान रहा, उसी के क्रम से गृह-स्वामिनी अन्य अतिथियों का प्रवन्ध करती हैं। भोजन के समय जो पुरुष जिस स्त्री के पास बैठता है, उसे ही उस स्त्री को नाच-घर में अपने साथ लिवा ले जाने की विधि है। यदि वह किसी दूसरे पुरुष के साथ नाचना चाहे, तो नृत्य-गृह में अपने भोजन के साथी के साथ न जाकर उस दूसरे पुरुष के साथ जाती है।

भोज के नृत्य में किसी महिला के साथ नाचने वाले पुरुष का यह कर्तव्य है कि नाच समाप्त होते ही उक्त महिला को वह भोज-गृह में लिवा ले जाय और वहाँ मेज इत्यादि सजाकर उस स्त्री की सेवा में लग जाय। मेज पर उसे बहुत देर न लगा देनी चाहिए। क्योंकि इससे अन्य लोगों के भोजन करने में बाधा पड़ती है। कहीं भी बहुत देर तक भोजन करते रहना और विशेषतः नृत्य के जल्से में तो बहुत ही बुरी आदत है। सम्भव है कि उक्त स्त्री भी किसी अन्य पुरुष के साथ नाचने वाली हो और ऐसी स्थिति में जलपान के बाद नृत्य-गृह में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता हो। पुरुषों को अपनी साथिनी स्त्रियों के साथ बड़ा ही नम्र व्यवहार करना चाहिए। पुरुष को यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि उक्त स्त्रीने उसकी सेवाओं को स्वीकार करके उसके ऊपर विशेष कृपा की है और उसे यह सोचकर अधिक से अधिक जितना सम्मान उस स्त्री के प्रति दिखला सके, प्रकट करना चाहिए। नृत्य-गृह

मे लौटकर उसे तब तक उस स्त्री का साथ न छोड़ना चाहिए, जब तक कि वह पुरुष उसे ढूँढ न ले जिसके साथ उसे दूसरी बार नाचना पड़ेगा। और यदि उसे स्वयं अपने साथ नाचने के लिए किसी महिला को ढूँढ निकालना हो तो उस महिला को उसके रक्षक के पास उसके नाचने वाले साथी की प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ देना चाहिए।

बार-बार उसी साथी के साथ नाचना ठीक नहीं। किन्तु यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ अपने मित्रों पर विशेष जान-पहचान प्रकट करने के लिए बार-बार एक ही महिला के साथ नाचे और उस महिला को इसमें कोई आपत्ति न हो तो वह ऐसा कर सकता है। अतिथियों को गृह-स्वामिनी की लड़कियों के साथ नाचने का प्रस्ताव सन्ध्या को करना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि वे प्रत्येक उपस्थित पुरुष के साथ नहीं नाच सकतीं। अतएव इसके लिए उनसे सन्ध्या को प्रस्ताव करना अधिक बुद्धिमानी है। यह उनके प्रति विशेष आदर-प्रदर्शन भी होगा।

प्रसिद्ध अमरीकन ढङ्ग के नृत्यों के नाचते समय हँसोडों की तरह न नाचकर एक ऐसे सभ्य पुरुष की तरह नाचना चाहिए जो अपनी सङ्गिनी के मोद को बढ़ाने की चेष्टा कर रहा हो।

लन्दन में नृत्य-महोत्सव के बाद गृहस्वामिनी से विदा माँगने की प्रथा नहीं है। किन्तु गाँवों में ऐसा करना चाहिए।

गाँवों में नवम्बर में फरवरी तक नृत्य का मौसम है।

मध्याह्न के बाद और भोजन के समय के नाच

मध्याह्न के बाद के नृत्यों का जल्सा वड़, "एट होमो" की तरह ही होता है। निमन्त्रण 'एट होम' के कार्डों द्वारा ही दिया जाता है। इन कार्डों पर लिखा रहता है—“नृत्य ४ से ७ बजे तक।” मकान पर पहुँचकर अतिथि कोट उतारकर सीधे नृत्य-गृह में पहुँच जाते हैं।

भोज के साथ जो नृत्य के जल्से किये जाते हैं उनमें बड़ा मजा आता है। ये जल्से बहुधा व्यक्तिगत होते हैं और इनकी आयोजना अनेक महिलाओं द्वारा की जाती है। ये महिलाएँ वारी-वारी से अपने यहाँ जल्सों की आयोजना करती हैं। कभी अनेक स्त्रियाँ मिलकर चन्दे से नाच का जल्सा करती हैं। नाच के लिए किराये पर एक 'हॉल' (कमरा) ले लिया जाता है। भोज के बाद अतिथि गृह-स्वामिनी के मकान पर जाते हैं।

भोज तो नाममात्र का और साधारण ही होता है। सभी अतिथियों की नज़रे अधिक रुचिकर प्रोग्राम की तरफ लगी रहती हैं।

नृत्य के समय साधारण खाद्य सामग्रियाँ—जैसे, चाय, कढ़वा, बर्फ, शर्वत, सैडविचक्ले और केके दी जाती है। नाच बहुत देर तक नहीं होता रहता।

एक प्रकार की कचौड़ी जो पाव रोटी में कवाव, मछली या पनीर भरकर बनायी जाती है।

नव-युवको को तो इन जल्सों में बड़ा ही सुख मिलता है। लड़कियों की देख-भाल करने वाले रक्तक भी नहीं रहते और ऐसे बड़े लोग भी नहीं रहते जो शीघ्र ही सन्ध्या हो जाने की प्रतीक्षा करें। अतएव मनोहर परिस्थिति में बड़े आनन्द से लोगों के समय कटते हैं।

साधारण वाद्य का ही प्रबन्ध किया जाता है। बड़ा सजावट इत्यादि भी करने की चाल नहीं है। अतएव ऐसे जल्सों में व्यय भी कम होता है।

इस प्रकार जल्सों में शामिल होने के लिए अतिथियों को दो-तीन सप्ताह पहले से सूचना दी जाती है जिससे वे नियत तारीख पर बिना किसी रुकावट के आने का प्रबन्ध कर सकें। नियम तो यह है कि हर दो सप्ताहों के बाद ही नृत्य के जल्सों की आयोजना की जाती है। इस बीच में गृह-स्वामिनियों नये-नये जोड़ों को उपस्थित करने का प्रबन्ध करती हैं।

सार्वजनिक बॉल और नृत्य के जल्से

ज़िले के बॉल

जिले के बॉलों और गाँव के बॉलों में भेद है। इन बॉलों में स्त्रियाँ अड़ोस-पड़ोस के मित्रों को जल्से में बुलाती हैं। जल्से की सफलता बहुत कुछ उस स्थान पर निर्भर रहती है जहाँ इनकी आयोजना की जाती है। लन्दन के लोग इन बॉलों में बहुत कम जाते हैं। जल्सा १० वजे आरम्भ होता है और अच्छे नाचने वाले भी दो वजे तक विदा हो जाते हैं।

शहर के बॉल के जल्से कुछ देर में आरम्भ होते हैं और कुछ देर बाद समाप्त होते हैं।

सार्वजनिक बॉलों के निमन्त्रण के कार्ड नृत्य के स्थान पर पहुँचने पर दिखलाने पड़ते हैं।

सहायतार्थ किये गये बॉल-उत्सव

जो बॉल किसी संस्था की सहायतार्थ किये जाते हैं उनकी आयोजना उन स्त्रियों की अध्यक्षता में की जाती है जो इन मामलों में नेतृत्व ग्रहण कर सकें। बहुधा ऐसा होता है कि इस प्रकार के उत्सवों में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली स्त्रियाँ अपने नाम से जल्सा करने की आज्ञा दे देती हैं।

ऐसी हालत में यह आवश्यक है कि व्यय में यदि कुछ कमी पड़ जाय तो उसकी पूर्ति उस महिला को कर देनी चाहिए जिसकी अर्थक्षमता में उत्सव किया जाय।

इन उत्सवों का प्रबन्ध करने के लिए अड़ोस-पड़ोस की स्त्रियाँ एकत्र होकर एक ऐसे प्रोग्राम की आयोजना करती हैं जो उनके मित्रों को रुचिकर हो।

प्रत्येक नृत्य के बाद लड़कियों को उनके रक्तकों के हाथ सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है। जल्से के अन्त में किसी लड़की के साथ नाचने वाले पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह उसे उसके रक्तक के पास पहुँचा दे। इसी रक्तक के साथ वह लड़की जल्से से विदा होती है।

चन्दे से नृत्य की आयोजना

अच्छी ऋतु में कभी-कभी एक पार्टी के द्वारा चन्दा करके वॉल की आयोजना की जाती है। कई मित्र आपस में सलाह करके आम तौर से एक पार्टी बना लेते हैं।

क्लबों के वॉल अक्सर इसी प्रकार के होते हैं। इन जल्सों में एक दूसरे के साथ जान-पहचान कराने की विधि है।

सुवस्त्र-वॉल-उत्सव का उद्घाटन

सुवस्त्र-वॉल-उत्सव (Fancy Dress Ball) का उद्घाटन कमेटी उस उपस्थित व्यक्ति द्वारा कराती है जिसको वह विशेष

माननीय समझकर आदर करना चाहती है। चतुर्दिक नृत्य (Square Dance), चार जोड़ों का नाच (Quadrille), घूम-घुमैया नृत्य (Waltz) अथवा लोमड़ीवत् नाच (Fox-trot) से इन जल्सों का आरम्भ किया जाता है।

ग्राहकों से चन्दे से किये गये नाच

इस प्रकार के नृत्यों की आयोजना स्थानीय सोसाइटियों द्वारा की जाती है। प्राचीन और बड़े कुटुम्बों के अध्यक्षों का नाम ही सूची के प्रमुख लोगों में लिखा जाता है। इनके बाद अन्य लोगों का नाम सूची पर चढ़ाया जाता है। इन उत्सवों में बड़ा आनन्द आता है।

निमन्त्रण

यदि चन्दे से किये गये किसी नृत्य का जलसा किसी घर में हुआ तो निमन्त्रण 'ऐट होम' के कार्डों पर दिया जाता है। कार्ड पर कौने में लिख दिया जाता है—

चन्दे से आयोजित नृत्य,

८ से १२ बजे रात तक।

चन्दे से आयोजित इस प्रकार के नृत्य का भार बहुधा दो-तीन कुटुम्ब अपने ऊपर ले लेते हैं। ये लोग अपने मित्रों में टिकटों को बाँट देते हैं।

कभी-कभी स्त्रियाँ इस प्रकार के बडे जल्से करती हैं और कुछ टिकटो को अपने मित्रो मे बेच देती हैं। नृत्य सार्वजनिक ढङ्ग के होते हैं और इनकी आयोजना किसी बडे मकान अथवा सार्वजनिक स्थान मे की जाती है। इन्ही मकानो के कमरो मे कुछ जलपान का भी प्रबन्ध किया जाता है।

सार्वजनिक चन्दे के नृत्य की आयोजना सार्वजनिक भवनो ही मे की जाती है। जो स्त्रियाँ जलसे की आयोजना के लिए कमेटी मे शामिल रहती हैं, वे ही नृत्य के लिए किराये पर स्थान लेती हैं। इस प्रकार के जलसे अक्सर किसी संस्था ही की सहायतार्थ किये जाते हैं। आम तौर से टिकट बड़ी तादाद ही मे बेचे जाते हैं। किन्तु ये फुटकर भी खरीदे जा सकते हैं। आम जनता अतिथि बनकर इन नृत्यो मे शामिल नही हो सकती। किन्तु किसी मित्र के द्वारा टिकट खरीदकर नृत्य मे शामिल हो जाना मुश्किल काम नही है।

चन्दे के नृत्यो में सार्वजनिक नृत्यो के शिष्टाचारो का ही व्यवहार होता है।

जल्से से विदा होते समय अतिथि लोग गृह-स्वामिनी से विदा नही लेते और न उनके लिए अपने कार्ड ही डालते हैं।

कुछ ध्यान देने योग्य बातें

नृत्य के लिए दस दिनो और वॉल के लिए तीन सप्ताह पहले से मृचना देनी जरूरी है।

यदि वॉल किसी सार्वजनिक भवन में हो तो कपड़े पहनने के कमरे में पहुँचकर विदा होते समय वस्त्रों की रखवाली करने वाले नौकर को चाँदी का एक सिक्का देना चाहिए।

सार्वजनिक वॉलो में कारिन्दे (Steward) के आम कर्तव्यों के विषय में लोग बहुधा गलती कर बैठते हैं। अजनबियों को यह अधिकार नहीं है कि वे कारिन्दे से यह आशा करें कि वह लोगों से उनकी जान-पहचान कराता फिरेगा। कारिन्दा तो प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण जल्से की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए चुन लिये जाते हैं। जिससे उनके नाम के प्रभाव से ही जल्सा सफल हो जाय। अक्सर यह भी होता है कि कारिन्दे अनेक अतिथियों को जानते रहते हैं और उनमें आपस में जान-पहचान भी करा सकते हैं। किन्तु यह उनका कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह उनकी इच्छा पर निर्भर है।

सार्वजनिक वॉलो में मित्र-भाण अपनी-अपनी टोलियाँ बना लेते हैं और उन्हीं में अपने नृत्य के साथियों को ढूँढ़ लेते हैं। इस प्रकार ऐसी अनेक टोलियाँ बन जाती हैं। सार्वजनिक वॉल उन्हें कहते हैं जिनमें शामिल होने के लिए दाम देकर टिकट खरीदना पड़ता है। जो लोग टिकट वेंचते या वितरण करते हैं उनका यह कर्तव्य है कि प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति की प्रतिष्ठा की कद्र करें।

अनेक ऐसे नृत्य भी हैं जिनका एक विशेष ढङ्ग होता है और जो खास-खास जातियों में प्रचलित है। जैसे 'लान्सर्स' अक्सर

'हण्ट वॉलो' मे नाचे जाते हैं और चार जोड़ो के नाच तो अब भी राजकीय वॉलो मे नाचे जाते हैं ।

ग्राम के वॉलों मे लन्दन के वॉलों की अपेक्षा शिष्टाचार का विशेष खयाल रक्खा जाता है ।

क्लब

क्लबों को लोग दिन पर दिन आवश्यक समझते जा रहे हैं। व्यवसायी मनुष्य, एकाकी और वे घर-द्वार के मनुष्य के लिए क्लब सुख की आवश्यक चीज हो गयी है।

क्लब के सदस्य बनने के नियम

क्लब के सदस्य बनने के इच्छुको को चाहिए कि वे पहले सेक्रेटरी को लिख कर उक्त क्लब के नियमों को मँगा ले। यदि क्लब नया हो तो इसके दो सदस्यों से मैत्री करके उनके द्वारा सदस्य बनना चाहिए। पुराने क्लबों के सदस्य बनने में केवल दो सदस्यों की साधारण जानकारी कर लेना ही पर्याप्त होता है।

मेम्बरी का फार्म भरकर और दो मित्र सदस्यों से हस्ताक्षर करा कर उसे सेक्रेटरी के पास भेज देना चाहिए। क्लब की दूसरी मीटिंग में सेक्रेटरी उस आवेदन-पत्र को कमेटी के सामने उपस्थित करेगा। निर्वाचित हो जाने पर उक्त मनुष्य के पास एक सूचना भेजी जायगी और तब उसे आवश्यक शुल्क दे देना चाहिए।

सदस्य निर्वाचित हो जाने पर क्लब के नियमों को ध्यान से पढ़ कर उन पर बड़ी कड़ाई से अमल करना चाहिए। नये सदस्य को चाहिए कि पुराने सदस्यों के साथ बड़े सम्मान से पेश आयें और सबसे सहयोग करके सार्वजनिक आनन्द को बढ़ायें।

आपस में बर्ताव ऐसा करना चाहिए मानों एक मित्र के घर में सभी सदस्य अतिथि बनकर निमन्त्रित किये गये हैं।

बात-चीत में दखल देने में भी लोग गलती कर बैठते हैं। यदि डाइङ्ग-रूम में दो-तीन सदस्य बैठकर बातें करते हों तो उसमें घुसकर फौरन् बात-चीत न करने लगना चाहिए। यदि वे लोग बात-चीत करना चाहेंगे तो कोई बात छोड़ देंगे। इस प्रकार बात-चीत में शामिल हो जाने का मौका मिल जायगा।

क्लब का सफल सदस्य तो वही व्यक्ति कहा जाता है जो सदा नम्र रहता है, हर मामलों में अपनी राय देने की उत्सुकता नहीं दिखलाता और न किसी की पीठ-पीछे बुराई करता है। कायदा तो यह है कि किसी भी मनुष्य के बारे में केवल वही बात कहिये जो आप उस व्यक्ति के मुँह पर भी कह सकें।

क्लब के शृङ्गार-गृह को उसी प्रकार सजा-सजाया छोड़ना चाहिए जिस प्रकार उस गृह को स्वयं पाने की इच्छा रहती है। वहाँ ब्रुश, कढ़ी और तैलिये सदस्यों के व्यवहार के लिए सफाई से रखे रहते हैं। सदस्यों को चाहिए कि इन चीजों के व्यवहार के बाद इनको पूर्ववत् फिर सजाकर रख दें।

क्लब के सदस्यों को किसी से उधार देने-लेने का व्यवहार न रखना चाहिए।

ताश और विलियर्ड्स खेलते समय खेल को समाप्त करके छोड़ना चाहिए।

♣ एक प्रकार का गेंद का खेल, जो मेज पर खेला जाता है।

तदल दूसरे सदस्य रुपये उधर तँगे तो हलतत करके रुपये देने से इतनकर कर देना तलहलए । उधर लेनेवलले ये वततत तनुष्येँ के पहतलनने कल अततल तलन रखते है और वड़ी ततुरलई से अपने शलकर के फँसलकर उससे धन ऐठते हैं । ऐसे वतततयेँ से ऋतव के तुक्त रखनल तलहलए । स्वयं अततले आतरणेँ के दलखतल कर अपने ऋतव की तुरतलषुतल वढलने के अततरलक्त अनत सदस्येँ की नलनुदलतुतक आलुलतनल कतुी न करनी तलहलए ।

ऋतव के नुकरेँ के इनलत इतुतलदल न देनल तलहलए । ऋतवघर के कलसी तुरसलदुध तलग—तुलजनललय इतुतलदल—ते ऐक “हलँलीडे वलँकुस” रख दलतल तलतल है । सततत-सततत तुर सदस्यगण इसते कुलुषु सलवुके डलल दलतल करते हैं । इस तरह तल धन ऐकतुर हलतल है वल नुकरेँ ते वरलवर-वरलवर वलँट दलतल तलतल है ।



नाटक में

थियेटरों में अभद्र मनुष्य अक्सर कम दाम की जगहों में ही नहीं, बल्कि थियेटर के अन्य भागों में भी देखे जाते हैं। व्यक्तिगत वाक्सों में भी अभद्र दर्शक मिलते हैं। एक बार जब एक प्रसिद्ध अभिनेत्री गा रही थी, कुछ अभद्र मनुष्य जोर-जोर से वाते कर रहे थे। ये मनुष्य वाक्सों में बैठे थे। अभिनेत्री ने भी गाना वन्द कर दिया और उस वाक्स की तरफ देखकर कहा—“कृपया एक-एक मूर्ख एक ही बार बोले।” इस प्रकार उसने उनको अच्छा भेपाया। थिएटरों में देर करके जाना जनता और अभिनेताओं के कामों में खलल डालना है। इसी प्रकार इण्टर्वल (मध्यावकाश) के पहले थिएटर से उठ जाना भी खराब आदत है। कन्सर्ट (गायन-वाद्य) में तो बीच में उठ जाना बहुत ही अशिष्ट समझा जाता है। क्योंकि इनमें अनेक ऐसे कला-प्रेमी मनुष्य रहते हैं जो वाक्य की प्रत्येक गति को दत्तचित्त होकर सुनते रहते हैं। गानेवालो, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का स्वभाव बहुत ही कोमल और कला-पूर्ण होता है। अतएव जब वे भरसक जनता को खुश करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं, लोगो को वाते करते, आपस में लड़ते, हँसते और खलल डालते देखकर उन्हें बहुत दुःख होता है। अरुचि दिखलाना अशिष्टता है। नाटक और गान-वाद्य के व्यवसायियों को ज़रा-सो तारीफ़ से भी बड़ी प्रसन्नता होती है।

थिएटरो मे महिलाओं को साथ ले जाते समय पुरुष मोटर, टैक्सी अथवा गाड़ी मे स्त्रियों को पहले बैठा कर तब स्वयं सबसे पीछे बैठते है। थिएटर भवन मे पहुँचकर गाड़ी से पहले उतरकर स्त्रियों को उतारते हैं और किराया इत्यादि चुकाकर, जो कुछ कहना सुनना होता है, गाड़ी वाले से कह-सुन देते हैं। गाड़ी वाले से लौट कर चलने का ठीक समय पहले से बता देना चाहिए। बाहर तो पुलिस का कड़ा प्रबन्ध रहता ही है। अतएव सडक पर गाड़ी खड़ी करके गाड़ीवान से बात-चीत करने का मौका नहीं रहता। यदि कोई साथ मे नौकर रहा तो अधिक सुभीता रहता है। क्योकि जो कुछ कहलाना हो गाड़ीवान को उसके द्वारा कहलाया जा सकता है।

यदि किराये की मोटर या गाड़ी मे कही जाना पडे तो ड्रूइवर को बोर्ड रङ्गीन रुमाल देकर उसे ऊपर रखने को कह देना चाहिए। जिससे लौटते समय उसे पहचानने मे दिक्कत न उठानी पडे। वर्षा की रात मे अँधेरी सडकों पर सवारी ढूँढने मे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्त्रियाँ भी वर्षा के दिनों मे थिएटर के बाहर बहुत देर तक ठहरना पसन्द नहीं करती।

द्वार का चपरासी कुछ इनाम पाने पर खुशी से टैक्सी बुलाने जा सकता है।

यहाँ भी जरा होशियारी की आवश्यकता है। कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं जो अपनी स्त्रियों की रक्षा में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हे यह एकदम भूल जाता है कि दूसरे दल की स्त्रियों के प्रति भी उनका कुछ कर्त्तव्य है। बहुत से लोग अपनी स्त्रियों को

अच्छा स्थान दिलाने की चेष्टा में दूसरे दल की स्त्रियों को धक्के देते देखे गये हैं। अपनी स्त्रियों की रक्षा की चिन्ता करनी बड़ी अच्छी बात है। किन्तु ऐसी स्त्रियों के प्रति रुखाई में पेश आना, जिनका कोई रक्षक न हो, अशिष्टता है।

नाटक के अङ्कों के बीच में पुरुष सिगार और शराव पीने के निमित्त उठ जाया करते हैं। किन्तु थिएटर के गर्म वातावरण में स्त्रियों के साथ के उन पुरुषों की बड़ी कदर होती है जो तम्बाकू की दुर्गन्ध से आस-पास की वायु को सिगरेट पीकर दूषित नहीं करते।

वार-वार आने-जाने से स्त्रियों के अतिरिक्त अन्य दर्शकों को भी बड़ी असुविधा होती है। किन्तु इसका तो बड़ा चलन है। इसी-लिए प्रत्येक थिएटर में सिगरेट पीने के लिए एक स्थान अलग बना दिया जाता है। पर्दा उठने के कुछ पहिले दर्शकों को सूचित करने के लिए एक घण्टी बजा दी जाती है।

प्राइवेट वाक्सो और थिएटर के अन्य भागों में नौकरो द्वारा जलपान और चॉकलेट॥ घुमाये जाते हैं। चाय भी खूब दी जाती है। जलपान के आने पर पुरुष को चाहिए कि पहले वह स्त्रियों से पूछ ले और यदि वे इन्हे लेना पसन्द करे तो उनके दाम आदि चुकता कर दें। टिकट इत्यादि के खर्च का भी दाम पुरुष हो चुकाता है। यदि स्त्रियों के पास दूरवीन इत्यादि न रही तो वह उसे भी लाकर उनको देता है।

॥ एक प्रकार की मिठाई ।

मोटर, गाड़ी और घोड़े को सवारी हाँकना

विलायत में सड़क के बायें तरफ चलने का कायदा है। खराब तौर से हाँकी जाती हुई मोटर या गाड़ी से आगे निकल जाते समय बड़ी हेगियारी से दाहिने से हाँकना चाहिए। हाँकते समय हैट को जरा-सा उठाकर नमस्कार ग्रहण करना चाहिए। ठीक समय पर हाथ में चाबुक लेकर नम्रता से हैट उठाना जरा कठिन काम है और अभ्यास से आता है।

स्त्री के साथ सैर करते समय अब सिगरेट पीना अशिष्ट नहीं समझा जाता। यदि साथ की महिला को पहचान का आदमी मिल जाय और उससे वह बातें करने लगे तो बीच में उस स्त्री से अपरिचित पुरुष को दखल न देना चाहिए। परिचित करा दिये जाने पर बात-चीत की जा सकती है। यदि वह स्त्री परिचय कराने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट समझती है, तो धीरे से अपने मित्र को नमस्कार करके आगे बढ़ जाती है, बातें करने के लिए रुकती नहीं।

मोटर या गाड़ी की सवारी

मोटर या गाड़ी में सवार करते समय पुरुष अपने साथ की स्त्रियों को दाहिने हाथ के सहारे से गाड़ी में बैठते हैं। पार्टी की सबसे बड़ी स्त्री को पुरुष पहले अपने साथ ले जाकर गाड़ी या मोटर का दरवाजा खोलकर अन्दर आराम से बैठता है। शेष

स्त्रियाँ स्वयं आकर मोटर में अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाती हैं। यदि पानी बरसता हो तो पुरुष ही स्त्रियों के ऊपर छाता लगाकर साथ ले जाते हैं। दरवाजा बन्द करके स्त्रियाँ जो आज्ञा देती हैं उसे वह कोचवान या ड्राइवर को सुना देता है। यदि साथ में पुरुष को भी चलने का हुक्म हुआ तो वह गाड़ी में पीछे की बैठक अर्थात् घोड़े की तरफ पीठ करके बैठता है। जबतक आगे की बैठक पर उसे बैठने का आदेश न मिले, उसे वहाँ कभी न बैठना चाहिए और जब तक कहा न जाय पुरुष को खिड़कियाँ खोलना अथवा बन्द करना नहीं चाहिए। सिगरेट इत्यादि बाहर फेककर तब गाड़ी में बैठना चाहिए। यदि उस महिला से खूब जान-पहचान हो तो गाड़ी में धूम्र-पान करने के लिए उसकी आज्ञा माँगनी चाहिए। क्योंकि स्त्रियाँ फौरन धूम्रपान करने की इजाजत दे देती हैं, चाहे उससे उनके कष्ट ही क्यों न हो।

घोड़े की सवारी

घोड़े पर चढ़कर यदि किसी घुड़-सवार स्त्री के बगल से निकलना पड़े तो चुपचाप धीरे से उसके आगे निकल जाना चाहिए।

सदा सड़क की बाईं तरफ चलना चाहिए। पुरुष का घोड़ा स्त्री के घोड़े की दाहिनी तरफ रहता है।

यदि किसी सवारी के आगे अपने घोड़े को ले जाना हो तो दाहिनी तरफ जरा मुड़कर आगे निकल जाय और मौका पाते ही फिर सड़क के बाईं तरफ आ जाना चाहिए।

जिस पुरुष को स्त्रियों के साथ घोड़े की सवारी करने की आदत नहीं है उसे अस्तवल में जाकर घोड़े पर स्त्रियों को चढ़ाने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह तो बड़ा ही आसान काम है। स्त्री अपने घोड़े की जीन पर हाथ रखकर खड़ी रहती है। वह अपना बायाँ पैर बढ़ाकर उस पुरुष की हथेली पर रख देती है जो घोड़े पर उसे चढ़ाने आता है। स्त्री ज़रा-सा उछलकर घोड़े की पीठ पर सवार हो जाती है। इस उछल में पुरुष उसे कुछ ऊपर उछाल कर सहायता करता है। इसके बाद उसके पैरों को रिकव में लगा देता है और तब सवार आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है।

शिष्ट मोटर-वाहक

मोटर चलाते समय जितना हो सके उतना हॉर्न इत्यादि कम बजाना चाहिए। अड़ियल घोड़े के सवार को चलने के लिए काफी स्थान छोड़ देना चाहिए। मार्ग में यदि अन्य मोटर चलाने वाले मिलें और उन्हें कोई दिक्कत हो तो मोटर रोककर उनकी सहायता करनी चाहिए।

यदि कोई अपनी मोटर आगे निकालना चाहे तो अपनी मोटर खूब वाईं तरफ करके दूसरी मोटर वाले को आगे बढ़ जाने के लिए हाथ से इशारा करना चाहिए।

इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक हाथ से इशारा न किया जायगा पीछे मोटर हाँकने वाले यही समझेंगे

कि आगे की मोटर ठहरने या वाये-दाहिने मुड़ने की वजाय सीधी आगे को जायगी ।

जब रास्ते पर बहुत-सी गाड़ियाँ चलती हो और अपनी मोटर आगे ले जानी हो तो जब तक काफी रास्ता न मिले तब तक रुकना चाहिए । आमने-सामने आती हुई दो मोटरों के बीच से अपनी मोटर निकालकर उन दोनों के तरद्दुद मे न डालना चाहिए । इससे आकस्मिक घटनाओं के होने का खतरा रहता है । ये दोनों मोटरे तो ठीक रास्ते पर रहेगी और उनके बीच मे पड़ जाने से अपनी ही गलती साबित होगी ।

सड़को पर अपनी मोटर इस ढङ्ग से खड़ी करनी चाहिए कि अन्य मोटरों को निकलने के लिए काफी रास्ता रहे और रास्ता खोलने के लिए अपनी मोटर हटानी न पडे ।

साइकिल पर अथवा पैदल चलने वालों के पास से धूल वाली या कीचड़दार सड़क पर चलते समय मोटर की चाल धीमी कर देनी चाहिए । कीचड़ के छीटो को कोई भी नहीं पसन्द करता और धूल उड़कर पैदल चलने वालो के ऊपर पड़ सकती है ।

किसी ऐसे स्थान पर पहुँचने पर, जहाँ पेट्रोल आसानी से न मिल सके कभी भी दूसरे मित्र मोटरवालों से पेट्रोल उधार न माँगना चाहिए । इससे मैत्री मे फर्क पड जायगा । सम्भव है, उधार देने के बाद उसे भी पेट्रोल की सख्त आवश्यकता पडे । अतएव ऐसे मौके पर पेट्रोल माँगना अनुचित भी है ।

मोटरों में बैठने के सम्बन्ध में उन्हीं शिष्टाचारों का व्यवहार किया जाता है जो गाड़ी में बैठने के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई मित्र जब बाहर जा रहे हों तो उनसे अपने को भी बैठा लेने के लिए कभी प्रार्थना न करनी चाहिए। किसी कारण-वश आपके प्रस्ताव से उस मित्र को तरद्दुद भी हो सकता है।

जब किसी खराब सड़क पर मोटर जा रही हो तो पैदल यात्री कोई ऐसी हरकत न करे जिससे ड्राइवर का ध्यान मोटर के सञ्चालन से हटकर उनकी तरफ लग जाय।

सदा बड़ी होशियारी से मोटर चलाना चाहिए। अपने जीवन को यदि विशेष परवा न हो तो भी दूसरों के प्राणों की प्रतिष्ठा का ध्यान तो सदा ही रखना चाहिए।

कुशलतापूर्वक मोटर-सञ्चालन से मोटर के व्यक्तियों ही को नहीं आराम पहुँचता, बल्कि मोटर की रक्षा में भी बड़ी सहायता मिलती है। बड़े वेग से मोटर दौड़ाकर अचानक ब्रेक से उसे रोकने से मोटर के सवारों को तो धक्का पहुँचता ही है मोटर के टायर भी खराब हो जाते हैं और मशीन पर भी बुरा असर पड़ता है।

मोटर के अच्छे वाहक जल्दवाजी नहीं करते, बल्कि सारा काम बड़ी सफाई से करते हैं। एक चाल में चलकर मोटर करीब-करीब उतनी ही देर में अपने नियत स्थान पर पहुँचती है जितनी देर में वेग से चलने वाली मोटर ऊँचे-खाले कूदते-फाँदने पहुँचती है।

मोटर-सञ्चालन में खूब निपुण होने पर भी खतरे को अपने सिर न बुलाना चाहिए। सम्भव है, मार्ग में मिलने वाले मोटर के अन्य सञ्चालक उतने निपुण न हों और वैसी करामातें न दिखा सकें जिनकी उनसे आप आशा करते हैं। ऐसी दशा में आकस्मिक घटनाएँ अनिवार्य हो जाया करती है।

सड़क के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों को पढ़कर उनका व्यवहार करना चाहिए।

मैदान के खेल-सम्बन्धी शिष्टाचार

जिस समाज में किसी पुरुष को रहना पड़े, उसे उस समाज के रहन-सहन से खूब अभिज्ञ हो जाना चाहिए। शिष्ट पुरुष को बन्दूक, गॉल्फ के डण्डे, टेनिस के रैकेट, डॉड, बल्ले और छोटे-मोटे अन्य खेलों के औजारों को व्यवहार में लाने की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। इस प्रकार पुरुष छोटी-बड़ी अनेकों कठिनाइयों का अनायास ही सामना कर लेता है। बाक्सिङ्ग (घुंसेवाजी की कला) को भी न भूलना चाहिए। हम लोग उस युग में तो रहते ही नहीं, जब लोग अपनी वीरता को सिद्ध करने के लिए ज़रा-ज़रा-सी बातों पर पिस्तौल लेकर युद्ध कर बैठते थे। किन्तु आत्म-रक्षा की कला का ज्ञान होना तो अत्यन्त आवश्यक है।

खेल-कूद में रुचि रखने से बढ़कर मनुष्यों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अन्य साधन नहीं हैं। खेल ही के लिए अंग्रेज लोग सारे संसार में प्रसिद्ध हो गये हैं।

क्रिकेट (गेंद-बल्ला)

क्रिकेट-सम्बन्धी शिष्टाचारों से तो खिलाड़ियों ही को जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु अक्सर सर्वसाधारण को भी क्रिकेट के खिलाड़ियों से व्यवहार करने की आवश्यकता

पड़ती है, अतएव कुछ थोड़े-से निपेथो से अवगत हो जाना बुरा न होगा ।

विकेट^१ के बीच में न दौड़कर अगल-बगल से दौड़ना चाहिए ।

खेल खेलते समय अपने साथी से गेंद मारने के लिए आवाजे न कसना चाहिए । गेंद पर हिट लगाना उसका काम है ।

यदि अपना साथी बहुत पास तक दौड़ आवे और यदि उसके लौटने से उसके आउट हो जाने की सम्भावना हो तो उसे लौटाना न चाहिए, बल्कि स्वयं उसकं स्थान की तरफ दौड़कर आउट हो जाने के खतरे का सामना करना चाहिए ।

गेंद को खराब तरीके से मारकर और अपनी बैट से ज़मीन को पीटकर दर्शकों पर यह न सूचित करना चाहिए कि अपने मारने में नहीं, वरन् ज़मीन के दोष ही से हिट अच्छी न लग सकी । इससे ज़मीन को तैयार करने वाले के दिल पर चोट लगती है । यह ध्यान रखना चाहिए कि वह भी मनुष्य है, अपना भाई है और शायद खेल का निर्णायक भी है ।

पहली गेंद पाकर यह न कहना चाहिए कि —

(क) अच्छा गेंद था या

(ख) बुरा गेंद था ।

^१ गेंद-बल्ले की लकड़ियों जिस पर लक्ष्य करके गेंद मारते हैं ।

यह कहकर अपनी बड़ाई हाँकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि अन्य अवसरों पर मैंने बहुत अधिक रन (दौड़) किये थे ।

विजय प्राप्त करने पर यह कहकर कि जिस गेद से दूसरा दल हार गया है उसको किस प्रकार खेलकर वाजी जीती जा सकती थी, दूसरों के दिल पर चोट न करनी चाहिए ।

यदि आप किसी दल के कप्तान हों तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पहले खेल में जो आउट नहीं हो सके और जिन्हें अपना कौशल दिखाने का पूरा अवसर नहीं मिला, दूसरे खेल में उन्हें सबसे पहले खेलने जाने का स्वाभाविक अधिकार है ।

सिद्धान्त की बात जाने दीजिये; किन्तु यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि किसी दल को दिन भर पदाने से मैत्रीपूर्ण क्रिकेट का खेल असम्भव हो जाता है ।

दर्शकों के ध्यान देने योग्य बातें

गेद फेकने वाले के पीछे से कभी न निकलना चाहिए । इससे बैट पकड़ने वाले का ध्यान वँट सकता है ।

दोषों को ढूँढ़ने में ज़रा कम निपुणता दिखलानी चाहिए । अज्ञानवियों को तो कभी भी निन्दात्मक आलोचना न करनी चाहिए ।

गॉल्फ

गॉल्फ के शिष्टाचार तो अत्यन्त सरल हैं । इस खेल के नियम इत्यादि इस दृष्टि से बनाये गये हैं कि खेलने वालों को कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े ।

ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि गेंद मारते समय शोर-गुल न हो। खेलने वाला जब गेंद पर निशाना लगाने के लिए अपनी छड़ी घुमाता रहे, तब उभय पक्ष के लोगों को चुपचाप उसके अगल-बगल खड़े होजाना चाहिए। उसके पीछे खड़े होने से सम्भव है, खेलने वाले का दृष्टि पीछे वाले लोगो पर पड़े और इस प्रकार उसका ध्यान बँट जाय तथा वह गेद पर अच्छा निशाना न लगा सके। गॉल्फ़ का प्रत्येक खिलाड़ी यह जानता है कि गेंद पर नज़र रखना परमावश्यक है और थोड़ी-सी बात-चीत से भी ध्यान बँट जाने से उसका निशाना ख़राब हो सकता है। प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं चुप रहे और अपने छड़ी लेने वाले नौकरों को भी ख़ामोश रक्खे।

जो व्यक्ति गड्ढे (Dip) में पहले गेद डालने में सफल होता है उसी को टोले से गेद उछालने का प्रथम सम्मान मिलता है।

टोले से गेद मारने के बाद गड्ढे से जिसकी गेद अधिक दूर जाती है उसी को मैदान में पहले गेद पर निशाना लगाने का अधिकार हाता है।

यदि गेंद खो जाय तो उसको ढूँढते समय दूसरे खिलाड़ियो को अटका न रखना चाहिए। उन्हे खेलते रहने का इशारा कर देना चाहिए। दूसरे लोग जब खेलते रहे तो विना उनकी आज्ञा उनके बोच में स्वयं न खेलने लगना चाहिए।

खेलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैदान की घास बरबाद न होने पाये। बहुधा लोग गड्डे के चारों तरफ की बराबर कटी घास पर गड्डे इत्यादि बना देते हैं। इससे वाद में खेलने वाले खिलाड़ियों को असुविधा होती है।

छड़ी के सिरे से जो घास कट जाय, उसे वही पर पीटकर छोड़ देना चाहिए। गेद में निशाना लगाते समय घास नुच ही जाती है और नये खिलाड़ी तो बिना गेद में निशाना लगाये ही बहुत सी घास नोच डालते हैं। यदि नोची गई घास ठीक तौर से उस स्थान पर रख कर पीट न दी जायगी तो धीरे-धीरे सारी घास स्र्राव हो जायगी।

खेल के आरम्भ में गेद में जो पहले निशाना लगाता है उसके निशाने पर दर्शकों की खूब टीका-टिप्पणी होती है। इन टिप्पणियों से नये खिलाड़ी तो एकदम घबड़ा जाते हैं। उनके वेढङ्गे खेल से अन्य अच्छे खिलाड़ियों के आनन्द में बाधा भी पड़ती है। अतएव नये खिलाड़ियों को उन दिनों खेलने के लिए मैदान में उतरना चाहिए जब बहुत से खिलाड़ियों के आने की सम्भावना कम हो।

अन्य खेलों की तरह गॉल्फ में भी बहुत दिखावा करना खेल के शिष्टाचारों के विरुद्ध है। नये खिलाड़ी को छड़ियों से भरे झोरे को लेकर मैदान में न उतरना चाहिए। उसके लिए तो चार-पांच छड़ियाँ ही काफी हैं।

खेल में तरद्दुद को दूर करने के लिए यह जान लेने की चेष्टा करनी चाहिए कि खेल के सम्बन्ध में कोई स्थानीय पृथक् नियम तो नहीं है।

निम्न बातें खूब ध्यान में रखनी चाहिए :—

जब तक मैदान के खिलाड़ी दूसरी बार निशाने लगाकर अपनी हृद से बाहर न चले जायँ, टीले से गेद न उछालनी चाहिए।

डिप (गड्ढे) में स्वयं तब तक गेंद डालने का प्रयत्न न करना चाहिए जब तक पहले के खिलाड़ी ऐसा करके अलग न हो जायँ।

दूसरे लोग जब प्रतीक्षा करते रहे तो डिप पर गेद के निशाने के सम्बन्ध में बहस न करने लगना चाहिए।

गेद मारने वाले साथी का ध्यान बँटाने के लिए कोई भी कार्य न करना चाहिए। खिलाड़ी की पहुँच से दूर खड़ा होना चाहिए।

साथी खिलाड़ी की आज्ञा के बिना, जहाँ गेद पड़ी हो, वहाँ से उसे हटाना न चाहिए।

यदि भोरे उठाने वाले नौकर न हों तो पुरुष-खिलाड़ी को स्त्री-खिलाड़ी के भोरे लेकर उसकी सहायता करनी चाहिए।

जो खिलाड़ी न हों, उन्हें गॉल्फ के मैदान में चलकर खिलाड़ियों के खेल में अड़चन न डालनी चाहिए। डिप के पास की घास को ठीक रखने में बहुत खर्च पड़ता है। उस पर चलकर उसे नष्ट न करना चाहिए। गेंद में जब निशाना लगाया जा रहा हो तब सामने से हट जाना चाहिए, नहीं तो चोट लगने का भय रहता है।

क्रिकेट*

इस प्राचीन खेल को लोग नापसन्द करने लगे थे । किन्तु हाल में लोग इसे फिर पसन्द करने लगे हैं । गार्डन-पार्टियो में तो इसका बड़ा चलन है । यद्यपि यह खेल बहुत ही आसान है; तथापि इसमें भी नम्रता और आत्म-संयम की बड़ी आवश्यकता पड़ती है । ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि स्वयं खेल में लगे रहने पर भी अपने साथी की हर प्रकार से सहायता करते रहना चाहिए ।

टेनिस

टेनिस के मैदान में भी दूसरों के प्रति सद्ब्यवहार का सदा ध्यान रखना चाहिए ।

टेनिस पार्टी में निमन्त्रित होने पर मैदान में जाते ही अपनी आतिथेया से मिलना चाहिए । ये वाग ही में उपस्थित मिलेगी । आतिथेया की लड़की अथवा लड़का खिलाड़ियों की पार्टी बनाने में लगे रहते हैं ।

जो स्त्री आपकी खेल की साथिनी चुनी जाय, उसके प्रति खूब सम्मान दिखलाना चाहिए । इससे उसके आनन्द में वृद्धि हो सकती है, और आपका भी आगत-स्वागत विशेष रूप से किया जा सकता है । अपने साथी के चातुर्य अथवा अपने विपत्ती की

* एक प्रकार का लकड़ी के गेंद का खेल ।

कमजोरी से अनुचित लाभ न उठाना चाहिए। खेल के अन्त में अपने साथी और विपक्षियों को खेल में आनन्द देने के लिए धन्यवाद देने में भूल न करनी चाहिए।

खेलते अथवा देखते समय लोगों को सुना-सुना कर टीका-टिप्पणी न करनी चाहिए।

यदि दूसरे लोग खेल की प्रतीक्षा करते हो तो एक खेल खतम होजाने पर दूसरा खेल न आरम्भ करना चाहिए। क्लब में सब से बढिया कोर्ट (टेनिस-मैदान) पर स्वयं न दखल जमा लेना चाहिए।

अच्छे खिलाड़ियों को कमजोर खिलाड़ियों के साथ भी खेलकर उनका उत्साह बढ़ाते रहना चाहिए।

स्केटिङ्ग या बर्फ पर फिसलना

स्केटिङ्ग में शिष्टाचार के नियमों का बड़ी कड़ाई से पालन किया जाता है। इस खेल में अपने करतव बहुत न दिखाना चाहिए। खूब निपुण खिलाड़ी होने पर भी फिसलते समय बड़े जोरों से न फिसल पड़ना चाहिए। विशेषतः उस समय जब यह खेल एक स्त्री के साथ खेला जाता हो। साथ की स्त्री का मोद बढ़ाना पुरुष का कर्त्तव्य है।

अपने पैरों में स्केटों को बाँधने के पूर्व पुरुषों को अपने हाथ से स्त्रियों के पैरों में स्केट बाँधने चाहिए। बर्फ पर बड़ी होशि-

एक प्रकार का पहियेदार खडाऊँ, जिसे पैरों में बाँधकर चिकनी सतह या बर्फ पर फिसलने का खेल खेला जाता है।

यारो से स्त्री की सहायता करनी चाहिए, विशेषतः यदि स्त्री नयी खिल्लाडिनी हो ।

गाँवों में तो अड़ोस-पड़ोस के सभी लोग पार्टी बनाकर बर्फ पर स्केटिङ्ग के लिए जाते हैं । कभी-कभी बर्फ के मैदान के समीप रहने वाले लोग जल-पान का प्रबन्ध करके मित्रों को स्केटिङ्ग के लिए निमन्त्रण भेजते हैं । इस प्रकार के निमन्त्रण मामूली ढङ्ग से दिये जाते हैं । किन्तु यदि व्यक्ति-गत गृहों में आइस कार्निवल (बर्फ पर फिसलने का बड़ा जल्सा) हुआ तो बा-क्लायदा 'एट होम' कार्डों पर इस प्रकार छपाकर निमन्त्रण दिया जाता है :—

आइस कार्निवल

९ बजे से १२ बजे रात तक

इस जल्से में नृत्य की तरह खाने-पीने का भी प्रबन्ध किया जाता है ।

खेलने वालों के लिए स्केटों को खोलने-बँधने के लिए एक पृथक् कमरे का प्रबन्ध करना चाहिए ।

शिंकार और निशानेवाजी के शिष्टाचारों का वर्णन गाँवों की सैर में किया गया है ।



यॉटिङ्ग या छोटे जहाज़ पर समुद्र की सैर

समुद्र के किनारे यॉट^१ पर सवार होकर सैर करने जाने में बड़ा आनन्द मिलता है। आतिथेय एक यॉट का प्रबन्ध करते हैं। समुद्र के किनारे अथवा यॉट ही पर वे खाने-पीने का प्रबन्ध करते हैं। साथ में एक गरम कोट ले लेना चाहिए। इससे लाभ हो सकता है। शायद अपने साथ की स्त्री के बैठने के निमित्त सूखे स्थान की आवश्यकता पड़े अथवा लौटते समय मौसम खराब हो जाय और गर्म कोट की जरूरत पड़े। अक्सर पिकनिकों का भोजन तो लोग किनारे ही ले लेते हैं। जहाज़ पर केवल हल्का-सा भोजन लिया जाता है। इस अवसर पर गान-वाद्य अथवा ताश भी होता है।

इन जल्सों में उपस्थित पुरुष-गण स्त्रियों की अभ्यर्थना करते हैं। जब तक सगार्ड की बात पक्की न हो गई हो या चल न रही हो तब तक किसी एक स्त्री के प्रति विशेष ध्यान देना किसी पुरुष के लिए अच्छा नहीं समझा जाता।^१

किनारे उतर कर ठीक समय पर जहाज़ पर लौट आने का ध्यान रखना चाहिए। यॉट में कोयला बहुत नहीं रहता। अतएव वह देर तक खड़ा नहीं रखा जा सकता।

१ इञ्जन से पानी में चलनेवाली छोटी जहाज़।

१ एक प्रकार की गोंठ जो शहर के बाहर मित्रों को दी जाती है।

मामूली जूते पहनकर याँट मे जाना अक्षम्य अपराध है । इनसे डेक की पालिश खराब हो जाती है और कड़ी एँड़ी और तल्लो की रगड़ से डेक का सुन्दर मैदान जहाँ-तहाँ छिल जा सकता है । ऐसे अवसरो पर केवल रबड के जूते काम में लाये जाते हैं ।

शहर मे लौटकर पुरुष-गण स्त्रियो को उनके मकानो पर पहुँचा आते हैं ।

याँट पर मित्रों से भेट-मुलाकात

यदि मित्र-गण अपना याँट किसी बन्दर में ठहरावे तो भण्डे को देखकर तुरन्त उनसे मिलने जाना चाहिए । यदि भण्डा गिरा हो तो समझ लेना चाहिए कि जहाज के लोग किनारे उतर गये है और उनसे याँट पर मुलाकात का कोई नियत समय नही है । क्योंकि याँट के ठहरने का समय अनिश्चित रहता है ।

अजनवियों को जहाज के उस भाग में न जाना चाहिए, जिसमें जहाज चलाने वाले रहते हैं ।



शृङ्गार के सम्बन्ध में कुछ बातें

सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले पुरुष को अपने शरीर के शृङ्गार के सम्बन्ध में भी कुछ कष्ट उठाना चाहिए ।

बाल, दाँत और नाखून तो स्त्री और पुरुष दोनों ही के होते हैं । इनके सम्बन्ध में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए :—

बालों को खूब देर तक अथवा जोर से ब्रुश न करना चाहिए । इससे बाल जल्द झड़ जाते हैं ।

नाखूनों से मैल साफ़ करने के लिए उनको खरोचना नहीं बल्कि ब्रुश करना चाहिए । हर हफ्ते उन्हें रेत देना चाहिए, काटना न चाहिए ।

आज-कल दाँतों को साफ़ रखना परमावश्यक है । कुछ महीनों के बाद अपने दाँतों को किसी दन्त-विशेषज्ञ को बराबर दिखला देना चाहिए ।

कहा जाता है कि महान् सिकन्दर दाढ़ी पकड़कर गिरफ्तार किये जाने के भय से अपने सैनिकों की रक्षा के लिए उनकी दाढ़ियाँ बनवा देता था । प्लैण्टाजेनेट्स और स्टुअर्ट घराने के बादशाहों के जमाने से बालों की सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है । यह विलक्षण बात है कि बालों को एकदम घुटा देने के सम्बन्ध

में धार्मिक नियम बनाये गये हैं। प्योरिटिनो^१ के जमाने से इस सम्बन्ध में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है।

यात्रा करने वाले पुरुषों को बाल इत्यादि साफ करने के सम्बन्ध में स्वयं खूब होशियार रहना चाहिए। कारण कि बहुतेरे स्थानों में अच्छे नाई नहीं मिलते और दूसरे यह कि मामूली बाल बनाने के लिए लोग (खास कर अमरीका और कनाडा में) बहुत दाम माँगते हैं।

आज-कल सेफ्टी रेजरो से तो बाल बनाने का काम बहुत आसान हो गया है। बाल प्रतिदिन प्रातः काल बनाना चाहिए।



पिकनिक और नदी के सैर की पार्टियाँ

पिकनिक (मैदान की पार्टियाँ) भी गार्डन पार्टियों की तरह अच्छे मौसम पर निर्भर रहती हैं। सुहावने दिन में किसी मशहूर स्थान में भले लोगों के साथ पिकनिक के लिए जाने में बहुत कम लोग आत्म-संवरण कर सकते हैं।

खाद्य और चाय की सामग्रियाँ लेकर मोटर-द्वारा यात्रा की जा सकती है। ऐसे अवसरों पर पार्टी के सभी लोग खाने-पीने में सङ्कोच त्याग देते हैं।

सबसे अच्छा प्रबन्ध यह है कि एक मोटर पर नव-युवक और दूसरी में वृद्ध जन नियत स्थान पर पहुँचते हैं। नव-युवक पहले से पहुँचकर सब ठीक कर रखते हैं। इस ठीक-ठाक करने ही में नव-युवकों और युवतियों को आनन्द में मग्न होने के अनेकों अवसर मिल जाते हैं। ऐसे अवसरों पर बड़े शानदार भोज के प्रबन्ध की आशा ही नहीं की जा सकती। बढ़िया खाद्य सामग्रियों का तो प्रबन्ध किया ही जाता है।

पिकनिक सामाजिक जत्सों में सबसे अधिक आनन्द-दायक उत्सव है।

ऐसी पार्टियों में खाद्य पदार्थ के पिटारे जाते हैं और यदि आतिथेया विशेष धनी हुई तो नौकरों के द्वारा भोजन परोसा जाता है।

पार्टी के सदस्यों की सहायता से अत्यन्त सुस्वादु भोजन परोसा जाता है।

सैनिक अफसरों द्वारा आयोजित पिकनिक पार्टियों में बड़ा आनन्द आता है। रेजीमेण्ट की मोटरे अतिथियों को नियत स्थान पर पहुँचाने के अतिरिक्त वहाँ से लौटा कर स्टेशन पर भी उन्हें उतार आती हैं। रेजीमेण्ट द्वारा ही निमन्त्रण भेजा जाता है।

नदी में विहार करने वाली पार्टियाँ

नदी में नाव पर जिन पार्टियों की आयोजना की जाती है वहाँ भी खाने-पीने में बड़ा मजा आता है। कागज़ की तश्तरियों को व्यवहार में लाने के बाद उन्हें तैरने के लिए जल में न फेंक देना चाहिए। इससे अन्य बोट वालों को बुरा लगता है।

नदी की पार्टियों में नवागतों को निम्न नियम सदा ध्यान में रखना चाहिए :—

वहाव के साथ आते समय धारा के बीच में रहना चाहिए।

वहाव के विरुद्ध नाव ले जाते समय किनारे के, जितना हो सके, उतना पास रहना चाहिए।

पीछे आने वाली दूसरी नावें जो अगली नाव के आगे निकल जाना चाहे उनको नाव घुमाकर आगे ले जानी चाहिए। उस किनारे को न पकड़ना चाहिए जिस पर होकर अगली नाव जा रही है।

मछली पकड़ते समय किसी अन्य शिकारी को तरद्दुद में न डालना चाहिए। अपना काँटा दूसरे शिकारियों के काँटे से अलग फेंकना चाहिए।

स्टीमर तो अपने आप ही ध्यान खींच लेते हैं। किन्तु तब भी उसके मार्ग से दूर रहने की फ़िक्र करना चाहिए।

तङ्ग स्थानों पर पहुँचने पर अगली नावों के आगे अपनी नाव निकालने की चेष्टा न करनी चाहिए। इसमें खतरा भी है और यह कार्य शिष्टाचार के विरुद्ध भी है। नावें निकालने और खेने में पुरुषों को सदा स्त्रियों की सहायता करनी चाहिए।

गार्डन पार्टियाँ (उद्यान-भोज)

इङ्गलैण्ड में मौसम अक्सर खराब रहता है। अतएव गार्डन पार्टियों के लिए बहुत कम अवसर मिलता है। यदि दिन अच्छा रहा तो गार्डन पार्टियों में बड़ा ही आनन्द आता है।

गार्डन पार्टी में मकान के भोजों की अपेक्षा अधिक मित्र निमन्त्रित किये जा सकते हैं। मैदान में जगह बहुत रहती है और अतिथियों को बैठाने का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया जा सकता है। गार्डन पार्टियों में आतिथेया की आवश्यकता नहीं होती। एक पुरुष अपने नाम से भी निमन्त्रण दे सकते हैं। किन्तु अक्सर आतिथेया रहती ही है।

निमन्त्रण-पत्र में “ऐट होम” के स्थान पर गार्डन पार्टी लिखा रहता है। तीन सप्ताह पहले से निमन्त्रण भेजना चाहिए। यदि भोज में टेनिस के खेल का भी प्रबन्ध किया गया हो तो कार्ड पर उसका भी जिक्र रहना आवश्यक है। यदि बड़ी गार्डन पार्टी हो तो जिसके साथ खेलना हो उसका भी नाम कार्ड पर लिख देना चाहिए।

यदि मैदान बड़ा न हो तो ग्राच सामग्रियों को वाग के दरवाजे के पास के किसी कमरे में रखने का प्रबन्ध करना चाहिए। गाँव में तो लोग अपने वाग में फूले हुए मौसम के अच्छे-अच्छे फूलों

की प्रदर्शनी के लिए गार्डन पार्टियां देते हैं। आतिथेय और आतिथेया दोनों को अपने सुन्दर फूल दिखलाने की रुचि रहती है।

बड़ी गार्डन पार्टियों में बैण्ड का प्रबन्ध अवश्य किया जाता है और यदि कटी घास के अच्छे और बड़े मैदान मिल सकें तो नृत्य का भी प्रबन्ध किया जाता है।

ऐसे अवसरों पर टेनिस, गॉल्फ और क्रिकेट खेलने का नियम है।

पानी बरसने पर 'गार्डन पार्टी' 'ऐट होम' पार्टी में आप से आप परिणत हो जाती है। ऐसे ही अवसर आतिथेया के चातुर्य की परीक्षा के हैं। आकस्मिक वर्षा के लिए कमरे में खेल कूद और आमोद-प्रमोद के साधनों का प्रबन्ध कर रखना चाहिए।

गार्डन पार्टियों का समय ३॥ या ४ बजे से ७ बजे शाम तक है।

मित्रों के साथ यदि अजनबी आवे तो उनको आतिथेय और आतिथेया से परिचित करा देना चाहिए।

यदि सम्भव हो तो चलते समय अतिथियों को गृह-स्वामिनी से मिल लेना चाहिए। यदि वे जल्दी में मिल न सकें तो उनकी बहुत खोज करने की आवश्यकता नहीं है।

मित्रों की मोटरों और गाड़ियों के ठहराने के लिए भी एक स्थान नियत कर देना चाहिए। उनके नौकरों और शोफरों के लिए भी कुछ जल-पान का प्रबन्ध कर देना चाहिए।

सगाई

पुराना नियम तो यह था कि नवयुवक लड़की के पिता से आज्ञा लेकर उससे शादी का प्रस्ताव करते थे। पर अब यह नियम लुप्त हो गया है। कुटुम्बियों की विरुद्ध राय के होते हुए भी किसी लड़की से शादी का प्रस्ताव करना तो आजकल भी सम्मान के खिलाफ समझा जाता है। छिपी हुई कोर्टशिप (गांधर्व-विधान) भी आजकल के विरुद्ध समझा जाता है। यदि लड़की कष्ट में हो और उसे अपना उद्धार कराने के लिए किसी पुरुष की सहायता की आवश्यकता हो तो गांधर्व-विधान का भी उपयोग किया जा सकता है। अपनी प्रेयसी से विवाह का प्रस्ताव स्वयं करना चाहिए। बहुतेरे लोगों को प्रस्ताव करने की हिम्मत नहीं रहती और वे पत्र-द्वारा प्रस्ताव करते हैं। पहला तरीका दूसरे तरीके से अधिक उत्तम है। लड़की जब प्रस्ताव मंजूर करले, तब उस भाग्यशाली युवक को फौरन् उसके पिता अथवा कुटुम्ब के किसी उत्तरदायी व्यक्ति से मिलकर सगाई स्वीकार करने को प्रार्थना करनी चाहिए। यदि स्वीकृति मिल जाय तब तो कोई बात ही नहीं, किन्तु यदि उनकी सम्मति न हो तो उन्हीं के निर्णय को मान लेना चाहिए। किसी लड़की को उसके कुटुम्बियों की आज्ञा के विरुद्ध विवाह के लिए प्रतिज्ञाबद्ध कर लेना उस लड़की को

गलत स्थिति में डालना है। कुटुम्बियों के निर्णय को चुपचाप मान लेने से उसका तीव्र विरोध करने की अपेक्षा उस निर्णय में बहुधा परिवर्तन हो जाता है। नवयुवकों के लिए सत्र करना तो अवश्य ही मुश्किल है। किन्तु यदि उनमें ज़रा भी सत्र रहा तो उनको इस कहावत की सच्चाई में विश्वास हो जायगा कि 'सत्र का फल मीठा होता है'।

सगाई ठीक होने पर युवक अपनी प्रेमिका को एक अँगूठी देता है। इसे सगाई की अँगूठी कहते हैं। यह उपहार जितना मूल्यवान हो सके, उतना ही अच्छा। सगाई भङ्ग हो जाने पर अन्य उपहारों और चिट्ठी-पत्रियों के साथ यह अँगूठी भी लौटा देने का नियम है।

जिस पुरुष की सगाई हो जाय उसे दिन में अवकाश का विशेष भाग अपनी प्रेमिका के साथ ही बिताना चाहिए। बिना उसकी आज्ञा लिये विदेश में सैर के लिए न जाना चाहिए। ऐसा करना उस लड़की के पक्ष में बहुत खराब होता है। एक बार यह खबर सुनकर कि फलाँ-फलाँ युवक और युवती में शादी होने वाली है और दूसरी बार यह सुनकर कि उक्त युवक संसार-भ्रमण के लिए जा रहा है, समाज को ठट्ठा करने का काफी सामान मिल जाता है। इसका सर्वदा यही मतलब होता है कि उक्त पुरुष किसी प्रकार इस भ्रमे में पड़ गया था, अब सम्मान के साथ इससे बाहर हो जाना चाहता है। ऐसी घटनाएँ अक्सर होती हैं। इन मामलों में लड़की की माँ का उत्तरदायित्व अधिक रहता है। कभी-

कभी चतुर लड़कियाँ बड़ी बुद्धिमानी से युवको को अपने वश में करके अपने विवाह की पक्की सगाई की घोषणा करवा देती हैं। वस, उस युवक के लिए निकल जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।

कभी-कभी लड़की किसी पुरुष से बेतरह प्रेम करने लगती है। इससे पुरुष इस कदर रोमाञ्चित-सा हो जाता है कि सच्चे प्रेम के अभाव में भी वह उस लड़की के शारीरिक सौन्दर्य पर मुग्ध हो कर यही समझता है कि वह उस लड़की से प्रेम करता है। ऐसी हालत में यदि लड़की के कहने से उन दोनों का विवाह हो गया तो इस विवाह में सुख नहीं मिलता। पत्नी को यह कभी विश्वास नहीं होता कि उसका पति उससे प्रेम करता है। अथवा यदि वह स्वतन्त्र होता तो विवाह के लिए उसे ही चुनता। वह तो यही समझती है कि इस पुरुष को मैंने चुना है, मुझे इसने नहीं चुना। इन विचारों से उसे जो डाह होती है वह उसे ही नहीं जलाकर उसका जीवन दुःखपूर्ण बनाती, बल्कि पति को भी बड़ी सङ्कटमय परिस्थिति में डाल देती है। वाद को जब कोई चारा नहीं रह जाता तो पुरुष को भी मालूम पड़ जाता है कि उसकी पत्नी उसके आदर्शों के नितान्त प्रतिकूल है। वह समझने लगता है कि यदि वह उस लड़की के फेर में न पड़ जाता तो जिस लड़की को अपने पत्नीत्व के लिए चुनता, वह उक्त लड़की से एकदम भिन्न होती। वह अक्सर यह भी सोचता है कि कौन जाने यह मेरी ही तरह किसी अन्य पुरुष से भी तीव्र प्रेम न करने लग जाय। वह सोचता है

कि तोत्र अग्नि जल्द बुझ जाती है। किसी पुरुष को किसी लड़की से विवाह का वादा बहुत दिनों तक न रख छोड़ना चाहिए। जब तक खाने-पीने का ठिकाना न हो जाय, अथवा जल्द ही होने की आशा न हो जाय, किसी लड़की से विवाह का प्रस्ताव न करना चाहिए। युवक प्रेमी धन और आराम को अनावश्यक समझ सकते हैं। कम से कम उसे वे अपने प्रेम की तुलना में तो बहुत ही हेय समझते हैं। उस समय लड़की के भी विचार ऐसे ही हो सकते हैं। किन्तु पुरुष को परिपक्व विचारों का होना चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि दरिद्रता प्रेम को भी नष्ट कर देती है।

घर में लगाये गये अभियोग को सहन करना बड़ा ही कठिन है। और तब भी संसार के आदि से कितनी स्त्रियों ने अपने पतियों से कहा है—“हाय ! मैंने क्यों तुमसे विवाह किया ? मैं क्वारंटी ही क्यों न रही ?”

अथवा कितने पुरुषों ने अपनी वीधियों से कहा है—“हाँ, तुम तो मुझ से विवाह करने के लिए तुली थी, अब मेरा उचित व्यवहार करो।”

विवाह

वित्तीयत मे विवाह तब तक जायज़ नहीं माना जाता जब तक निम्न प्रकारो से उनके सम्बन्ध मे कार्रवाइयाँ नहीं कर ली जाती :—

विवाह की घोषणा

विवाह के पहले तीन रविवारो तक, जिनका विवाह होने वाला हो उन्हे अपने गिर्जे मे विवाह की घोषणा करनी चाहिए। यदि दम्पति भिन्न-भिन्न गिर्जे के हो तो दोनो गिर्जों मे घोषणा की जानी चाहिए।

घोषणा के तीन महीने के भोतर विवाह हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर से घोषणा करानी पडेगी।

घोषणा किये जाने की नियत अवधि के कम से कम सात दिन पहले अपना नाम और पूरा पता गिर्जे के अधिकारी को लिखकर देना चाहिए।

विवाह गिर्जे मे होता है। पादरी के अतिरिक्त दो अथवा दो से अधिक परिचित सज्जनो की उपस्थिति मे ८ वजे प्रात. से ३ वजे सन्ध्या तक किसी समय हो जाना चाहिए।

गिर्जे के लाइसेन्स

लाइसेन्स दो प्रकार के होते हैं—साधारण और विशेष ।

(१) साधारण लाइसेन्स विशप द्वारा दिया जाता है । इसके बल पर बिना घोषणा किये भी विवाह करने का अधिकार हो जाता है । विवाह करने वालों में से एक दल को शपथ लेकर कहना पड़ता है कि विवाह में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है और दोनों स्त्री और पुरुष उस गिर्जे की सीमा में, जिसमें विवाह होता है, १५ दिनों से बराबर रह रहे हैं । यदि दोनों में से एक की भी उम्र २१ वर्ष से कम हुई तो शपथ लेकर यह भी कहना पड़ता है कि माँ, बाप अथवा अभिभावक की आज्ञा ले ली गई है ।

प्रार्थना-पत्र देने से इस प्रकार के लाइसेन्स, “फैकल्टी आफिस” २३, नाइट-राइडर स्ट्रीट, डाक्टर्स कामन्स, लन्दन, ई० सी०, या “विकार-जनरल आफिस”, ३, क्रीड लेन, लडगेट हिल, ई० सी०, के पत्तों से प्रतिदिन १० से ४ बजे तक और शनिवार को १० बजे से २ बजे तक मिल सकते हैं । देहातो में किसी भी विशप के रजिस्ट्री आफिस से अथवा इसी कार्य के लिए विशप द्वारा नियुक्त किसी भी मनुष्य से मिल सकता है । “फैकल्टी आफिस” अथवा “विकार-जनरल आफिस” से निकाले गये लाइसेन्स किसी भी धर्माध्यक्ष की सीमा के अन्दर मिल सकते हैं ।

(२) विशेष लाइसेन्स किसी खास समय अथवा स्थान में विवाह को आज्ञा के लिए कैंटरबरा के आर्कबिशप द्वारा दिये

नानकन्फार्मिस्ट सम्प्रदाय के गिर्जे में विवाह की रस्मे १०१ जाते हैं। खास परिस्थितियों के समय ही इस प्रकार के लाइसेन्स दिये जाते हैं।

वर की हैसियत के अनुसार विवाह की फीस एक गिनी से ५ गिनी तक होती है।

वरजरक्ष की फीस २॥ शिल्लिङ्ग से शुरू होती है।

फीस को ये रकमे वर विवाह के पहले अथवा बाद में 'वेस्टमैन' (वर का साथी मित्र) को दे देता है। 'वेस्टमैन' द्वारा ही ये रकमे गिर्जे के अधिकारियों को मिलती है।

नानकन्फार्मिस्ट सम्प्रदाय के गिर्जे में विवाह की रस्में

लाइसेन्स के साथ अथवा वगैर लाइसेन्स के विवाह के लिए प्रमाण-पत्र विवाह-सम्बन्धी सुपरिण्टेण्डेंट रजिस्ट्रार के द्वारा मिल जाते हैं। यहाँ न तो घोषणा करने की जरूरत पडती है और न विशप के लाइसेन्स की प्रतीक्षा करनी पडती है। नोटिस का सार्टीफिकेट प्राप्त करने में २१ दिन लगते हैं और लाइसेन्स के साथ सार्टीफिकेट नोटिस देने के एक दिन बाद मिल जाता है। इन दोनों में से कोई भी तीन महीने से अधिक के लिए नहीं मिल सकता।

क्षिगिर्जे का एक नौकर-विशेष जो विवाह के समय गिर्जे में उपस्थित रहता है।

इस प्रकार के सार्टीफिकेट या लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए जिस जिले में उभय पक्ष के लोग बस चुके हों, उस जिले के सुपरिण्टेण्डेण्ट रजिस्ट्रार को एक नोटिस देनी चाहिए। यदि सार्टीफिकेट प्राप्त करना हो तो कम से कम ७ दिन, और लाइसेन्स प्राप्त करना हो तो कम से कम १५ दिन पहले नोटिस देनी चाहिए। जहाँ विवाह लाइसेन्स द्वारा न करना हो और जब उभय पक्ष भिन्न-भिन्न जिलों के वाशिन्डे हो वहाँ उभय पक्ष के जिलों में इस प्रकार की नोटिस देनी चाहिए। नोटिस की एक प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के निमित्त सुपरिण्टेण्डेण्ट रजिस्ट्रार के आफिस में बाहर लगा दी जाती है।

सुपरिण्टेण्डेण्ट रजिस्ट्रार के जिले की सीमा के किसी भी गिर्जे में विवाह कराया जा सकता है। पद्धति वही है जैसी घोषणा करने के बाद वाले विवाह में वर्ती जाती है। जो स्थान धार्मिक पूजा अथवा विवाह के लिए रजिस्टर्ड हो गये हैं, वहाँ भी उक्त स्थानों की पद्धतियों के अनुसार विवाह कराये जा सकते हैं। इन पद्धतियों में भी कही न कही वर और कन्या द्वारा यह प्रतिज्ञा तो करानी ही चाहिए कि वे परस्पर एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। विवाह ८ बजे प्रातः से ३ बजे सन्ध्या तक में खुले आम होना चाहिए। विवाह के अवसर पर उस जिले के रजिस्ट्रार को भी उपस्थित रहना चाहिए और उभय पक्ष की इच्छानुसार इस काम के निमित्त जो अधिकारी नियुक्त हो वह भी उपस्थित रह सकता है।

रजिस्ट्री आफिस में विवाह

रजिस्ट्रार और सुपरिण्टेण्डेण्ट के आफिस में भी रजिस्ट्रार और दो साक्षियों की उपस्थिति में विवाह कराया जा सकता है। विवाह पूर्वोक्त रीत्यानुसार कराया जाता है। यहाँ केवल धार्मिक कार्य नहीं किये जाते। विवाह के बाद धार्मिक कृत्य किये जा सकते हैं। किन्तु तब यह विवाह गिर्जे के रजिस्टर में दर्ज न किया जायगा।

पति के कर्त्तव्य

कन्या के लिए फूल के गुच्छों और विवाह की अँगूठी का प्रबन्ध वर पक्ष की तरफ से किया जाता है। कन्या की सखियों के फूलों के गुच्छों का भी प्रबन्ध वर-पक्ष ही की तरफ से होता है। इन सखियों को कुछ आभूषण भी उपहार में दिये जाते हैं। भावी सास को भी फूलों का एक गुच्छा भेंट करना अच्छी शिष्टता है। वर अपने मित्र के साथ जिस मोटर अथवा गाड़ी पर गिर्जे में आता है और गिर्जे से अपनी पत्नी के साथ जिस सवारी पर स्टेशन अथवा अन्य कहीं जाता है उसका प्रबन्ध भी वर-पक्ष की तरफ से होता है। दूल्हा अपने मित्र के साथ गिर्जे में कुछ पहले आकर विवाह में कब क्या खर्च देना होगा, आदि की मीमांसा करता है। तदनन्तर नियत समय पर अतिथिगण आते हैं। वर अपने मित्र के साथ प्रवेश द्वार की दाहिनी ओर बैठता है और अतिथिगण यथा-स्थान बैठ जाते हैं। सवने पीछे दुल्हिन आती है। उस दिन वेदी पर प्रथम बार उसके भावी पति ने मुलाकात होती है।

वह वर के वाम भाग में अपना स्थान ग्रहण करती है और उसके पिता या नजदीकी रिश्तेदार उसकी वाई ओर खड़े होते हैं। इसके बाद वे पादरी के साथ वेस्ट्री में जाते हैं। दुलहिन की सखियाँ आदि पीछे आती हैं। यहाँ विवाह के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया जाता है, और लोग दुलहिन को आशीर्वाद देते हैं। दूल्हे का मित्र दुलहिन के हाथों में विवाह का प्रमाण-पत्र देता है। तदनन्तर हाथ में हाथ डालकर दूल्हा और दुलहिन धीरे-धीरे गिर्जे के बाहर अपनी सवारी की तरफ जाते हैं।

इन अवसरों पर स्वागत और भोज इत्यादि के प्रबन्ध बहुत रुचिकर नहीं होते। टोस्ट और व्याख्यानों का भी केवल नाम-मात्र का प्रबन्ध रहता है। ये सब अड़ङ्गे जितने ही कम हो, उतना ही अच्छा है। विवाह में तो उभय पक्ष के लोगों और उनके रिश्तेदारों को बड़ी तरद्दुद उठानी पड़ती है।

कन्या के पिता दम्पति के स्वास्थ्य की मङ्गल-कामना करते हैं। तदनन्तर दूल्हे साहव पत्नी की सखियों के स्वास्थ्य की मङ्गल-कामना करते हैं। इसका उत्तर वर के मित्र एक सुन्दर व्याख्यान में देते हैं। तदनन्तर दूल्हे साहव अपनी पत्नी के माता और पिता के स्वास्थ्य की मङ्गल-कामना करते हैं।

भोजन के बाद पत्नी यात्रा के लिए कपड़े बदलने के निमित्त कमरे में चली जाती है। कपड़े बदल चुकने पर लोग उसे विदा करते हैं। विदा होकर पत्नी गाडी या मोटर में पति के साथ

वैठकर चल देती है। चलते समय भाग्य की कामना के लिए दम्पति पर कागज के छोटे-छोटे रङ्ग-विरङ्गे टुकड़े अथवा साटन के स्लोपर स्त्री पर वरसाये जाते हैं। आजकल अन्नत फेकने की चाल नहीं है।

वर के सखा का उत्तरदायित्व

वेस्टमैन (वर का सखा) का प्रथम कर्तव्य है विवाह के जल्से का पूर्ण प्रबन्ध करना।

वेस्टमैन काँरा होता है। यदि कन्या के कुटुम्ब से उसका परिचय न हो तो विवाह के दिन की पहली शाम को उसे उनसे परिचित हो जाना चाहिए।

विवाह के अवसर पर वह सदा वर के साथ रहकर उसके छोटे-मोटे कामों को करता रहता है। विवाह की मुद्रिका उसी के पास रहती है। वह विवाह के समय सर्वदा अपने मित्र के दाहिनी तरफ खड़ा होता है।

विवाह के बाद वधू की प्रधान सखी को वह अपने बायें हाथ का सहारा देता है। उस दिन वह उस स्त्री का प्रेमी समझा जाता है। जब दम्पति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने जाते हैं तो वह भी उनके पीछे हो लेता है। दम्पति और उनके माँ-बाप को विदा करके वह वधू की सखियों के साथ स्वागत के स्थान पर आता है।

बड़ी चतुराई से वह वधू की सखियों द्वारा की गयी स्वान्ध्य की मङ्गल-कामना का उत्तर देता है। वर के बाहर जाने के समय वह

उसके सामान इत्यादि को स्टेशन पर पहुँचाने में सहायता करता है।

दम्पति को लेजाने वाली सवारी का प्रबन्ध भी वेस्टमैन के ऊपर रहता है। टिकट इत्यादि पहले से खरीद कर चलते समय असबाब की सूची के साथ उनको वर के हाथ सौंप देता है। यदि स्टेशन पर असबाबों को बुक कराने के लिए उसकी मदद की आवश्यकता हुई तो वह किसी गाडी या मोटर में बैठकर स्टेशन जाता है।

दम्पति के जाने के स्थान को वेस्टमैन के सिवा और कोई नहीं जानता। किन्तु किसी को उसे न यह बात स्वयं बतलानी चाहिए और न किसी को इस बारे में पूछना ही चाहिए।

पादरी और गिर्जे के अन्य अधिकारियों की फ्रीस और शोफरो का दाम इत्यादि सब वेस्टमैन ही चुकाता है।



देहात की यात्रा

कुछ दिनों के लिए देहात में भ्रमण और शिकार का निमन्त्रण पाकर स्टेशन से उतरते ही एक मोटर खड़ी मिलेगी। सम्भव है, उसी ट्रेन से अन्य निमन्त्रित व्यक्ति भी आये हों। तब सब को उसी मोटर पर बैठकर आतिथेय के यहाँ जाना चाहिए। अवसर पाते ही आतिथेय अपने अतिथियों को आपस में परिचित करा देते हैं।

अतिथि के नौकर ही रेल से सामान इत्यादि उतारते हैं। यदि साथ में नौकर न रहे तो अपना असबाब इत्यादि उतारकर फौरन प्लेटफार्म पर उतर जाना चाहिए। वहाँ आतिथेय के नौकर अतिथि के माल असबाब की देख-भाल कर लेंगे।

आतिथेय के मकान पर पहुँचते ही गृह-स्वामिनी स्वयं आकर स्वागत करती हैं। उनके साथ कुछ जलपान कर लेने के बाद टहरने के लिए नियत कमरा दिखा दिया जाता है। यदि साथ में नौकर न रहा तो सेवा के लिए एक घर का नौकर नियत कर दिया जाता है। कपड़े इत्यादि की देख-भाल और अतिथि की अन्य सेवा यही नौकर करता है।

वाल आदि साफ कर के हॉल में जाकर अतिथि को घर के अन्य लोगों से मिलाना चाहिए। यह समय अक्सर चाय पीने का होता है और बात-चीत करने का स्पष्ट मौका मिलता है। बात-चीत

के अतिरिक्त विलियर्ड रूम में विलियर्ड का खेल, अस्तवल में घोड़ों के निरीक्षण, श्वान-गृह में कुत्तों के निरीक्षण आदि में एक शिकार-प्रिय पुरुष अथवा स्त्री को सुख से समय काटने की अनेकों सामग्रियाँ मिल सकती हैं। इस प्रकार वस्त्रों के पहनने के समय तक वस्त्र आसानी से कट जाता है।

कमरे में पहुँचने पर वस्त्र इत्यादि ठीक तौर पर सजाकर रखे मिल जाते हैं। वस्त्रों से सज-वज कर ड्राइङ्ग-रूम में पहुँच जाना चाहिए। यहाँ आतिथेया अन्य मेहमानों से परिचय करा देती है और तब भोजन का प्रवन्ध किया जाता है। देहातो में भोजन के बाद गान-वाद्य और ताश, विलियर्ड आदि अन्य मनोरञ्जन के साधनों को काम में लाते हैं। नृत्य का भी प्रवन्ध किया जा सकता है। यदि वर्फ का अच्छा मैदान मिल गया तो चाँदनी में स्केटिङ्ग की आयोजना की जा सकती है। स्काटलैण्ड में स्केटिङ्ग के लिए अच्छे अवसर मिल जाते हैं। जाड़ों में देहातो की सैर के लिए जाते समय स्केट्स को सदा अपने साथ ले जाना चाहिए।

मेहमानों को विदा करते समय पुरुष को आतिथेया के साथ रहना चाहिए। पुरुषगण आतिथेय के साथ धूम्रपान करते हैं किन्तु बहुत रात न कर देनी चाहिए। गाँवों में शीघ्र सोने और शीघ्र जागने की प्रथा है।

प्रातःकाल

पक्षी मारना, शिकार करना, मछली पकड़ना और मोटर पर सैर करना आदि जो कुछ करना हो, उसे अपने नौकर

से कह देना चाहिए। वह अवसर के अनुकूल कपड़े निकालकर रख देगा। एक प्याली चाय देने के बाद दिन में उससे और जो कुछ करने के लिए कहा जायगा, वह उसे करेगा।

प्रातः काल का भोजन साधारण होता है। उस समय मेज पर कोई नौकर नहीं रहता। हर एक अतिथि अपनी सहायता स्वयं कर लेते हैं। स्त्री की इच्छा के अनुसार पुरुष उसकी खाद्य-सामग्री की तश्तरी उठाकर उसके सामने रखते हैं। वदले में वह स्त्री चाय या कहवा उस मर्द के लिए परोसती है।

भोजन के समय बाहर से आयी चिट्ठियाँ दी जाती हैं। मेज पर अखवार भी पढ़ रहे हैं। इसी अवसर पर दिन का कार्यक्रम नियत होता है और उसी के अनुसार लोग कार्य में लग जाते हैं।

आखेट

आखेट में हिम्मत, कौशल और एक बढिया घोड़े की नितान्त आवश्यकता है।

दूसरो के घोड़े को उधार लेकर उनपर सवारी न करनी चाहिए। अच्छे घुडन्सवार दूसरो के घोड़े पर भी सवारी कर सकते हैं।

शिकारी कुत्ते के साथ शिकार के लिए निकलते समय इन बात का खूब ध्यान रखना चाहिए कि एक भी कुत्ता घोड़े के नीचे दबने न पावे। ये कुत्ते बड़े कीमती और काम के होते हैं। घोड़े

की सवारी करते समय दिमाग दुरुस्त रखना चाहिए। नहीं तो घोड़े को नियन्त्रण में रखना मुश्किल हो जायगा।

जिस गाड़ी अथवा मोटर में स्त्रियाँ हो, उस गाड़ी या मोटर तक घोड़े पर सवार होकर स्त्रियों को अपना कौशल दिखाने के लिए न जाना चाहिए।

शिकारी कुत्ते के मुक्त किये जाने पर शिकारियों को उनके पीछे पास ही रहना चाहिए।

यदि शिकार के समय साथ में कोई ऐसी महिला रहे, जो आखेट में भाग न लेना चाहे, तो शिकारी को उसे अकेली न छोड़ना चाहिए। उसकी आज्ञा पाकर ही आखेट करने जाना चाहिए। जब वह घर लौटने लगे तो शिकारी को उसके साथ हो कर उसे घर तक पहुँचा आना चाहिए। यदि वह स्त्री अविवाहिता हो तो उसे अकेली छोड़ना महती अरसिकता समझी जाती है। पुरुषों को स्त्रियों के प्रति, विशेषतः कुमारी स्त्रियों के प्रति, बहुत ही रसिक होना चाहिए।

आखेट के बाद खाने-पीने का प्रबन्ध किया जाता है।

नौकर खाद्य सामग्रियाँ तैयार करते हैं। इस अवसर पर पुरुष स्त्रियों की खिदमत में उपस्थित रहते हैं। स्त्रियाँ आखेट के लिए यदि न भी आईं तो भी वे शिकारियों से मिलने और उनके आमोद-प्रमोद में भाग लेने तो आती ही हैं।

आखेट के बाद शिकारियों का दल घर लौटता है। सारा दिन आखेट-सम्बन्धी बातों में कट जाता है।

क्या पहनना चाहिए ?

शिकारियों के वस्त्रों में बहुत कम भेद होता है ।

आखेट में शामिल होने की इच्छा रखने वाले शिकारी को एक होशियार दर्जी की सलाह से अपने वस्त्रों की काट-छाँट करानी चाहिए । इस सम्बन्ध में दर्जी नेक सलाह देगा ।

शिकारी को अपने वस्त्रों के लिए गुलाबी रङ्ग कभी न पसन्द करना चाहिए । विशेष सम्मानित शिकारी ही गुलाबी रङ्ग को पोशाक धारण करते हैं ।

आम तौर से यह विश्वास किया जाता है कि अग्रेज शिकारी पोशाक में बड़े भले लगते हैं । यदि किसी शिकारी को कहीं दे-चार दिनों के लिए आखेट के लिए जाना हो, तो वह काली कोट पहनकर जा सकता है ।

आखेट में कुत्तों के साथ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आखेट के भोज में शामिल होने का अधिकार हो जाता है और अजनबी होते हुए भी प्रार्थना किये जाने पर उसे फौरन् भोज में गरीक हो जाना चाहिए । इस भोज के अवसर पर किसी विशेष शिष्टा-चार की रीति नहीं है । पुरुष एक के बाद एक आते-जाते रहते हैं । इन जमाव में एक दूसरे के प्रति खूब सद्भाव-प्रदर्शन होता है ।

आखेट पार्टियों में नृत्य की भी आयोजना की जाती है । ऐसे अवसर पर पुरुष गुलाबी रङ्ग की पोशाक पहनते हैं । इस समय पुरुषों का रङ्ग खूब खिलता है ।

पोशाक के सम्बन्ध में विशेष परिवर्तन नहीं होता। मखमल की टोपी के स्थान पर लोग रेशम की ऊँची टोपी धारण करते हैं।

साधारणतया सफेद मोजों के स्थान पर काले मोजे पहने जाते हैं। दोनों प्रकार के मोजों पर शिकारी जूते पहने जाते हैं।

शिकारियों के साईसों को अच्छी वरुशीश मिलती है। अक्सर १० से २० शिल्लिङ तक दिया जाता है।

रविवार

देहातों में लन्दन की तरह रविवार को भोज देने की प्रथा नहीं है। उस दिन कोई किसी से मिलने-जुलने भी नहीं जाता।

देहातों में रविवार को गिर्जे में जाना, टहलने निकलना, अस्तवल या केनेल (कुत्तों के वास-स्थान) को देखने जाना, एक दूसरे से जान-पहचान बढ़ाना, चिट्ठियाँ लिखना आदि कार्य किये जाते हैं। लोग मोटरों पर तो बाहर निकलते हैं, किन्तु घड़े रविवार को गाड़ियों में नहीं जाते जाते। अन्य दिनों की अपेक्षा रविवार को शाम को घरों में जल्द रोशनी की जाती है। कुछ घरों में रविवार के मध्याह्न के बाद क्रिकेट, टेनिस और क्रॉकेट खेले जाते हैं। जाडों में शाम को विलियर्ड का खेल होता है। किन्तु इन मामलों में शिष्टाचार के नियमों की अपेक्षा धार्मिक नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि कोई अतिथि इसमें शरीक न होना चाहे तो उस पर जोर न डाला जायगा। इस सम्बन्ध में भिन्न राय होने से कोई वाद-विवाद भी न छेडा

जायगा। अच्छे आचरण और सद्भाव हमको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि 'आराम का दिन' किसी के लिए तकलीफ का दिन न हो जाय।

बरखीश

अतिथि को कुछ दिनों अथवा दो सप्ताह तक किसी के यहाँ ठहरने पर उस घर के बटलर या चपरासी को विदा होते समय ५ या १० शिलिङ्ग देना चाहिए। अधिक दिनों के लिए शोफर को ५ और थोड़े दिनों ठहरने के बाद ३ शिलिङ्ग देना चाहिए। गृह की प्रधान दासी को ३ से ५ शि० तक देने की रीति है। अतिथि की स्त्री द्वारा बरखीश अलग दी जाती है।

बन्दूक से निशाना लगाना

निशाना लगाने की कला का ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा इस सम्बन्ध के शिष्टाचार शीघ्र ही सीखे जा सकते हैं। वास्तव में इस में साधारण नम्रता और शिष्ट व्यवहार के प्रति प्रेम रखने के अतिरिक्त और है ही क्या। किन्तु कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर नौसिखियों को सलाह लेने की जरूरत है। सबसे पहले लाइसेन्स हो को लीजिए।

३१ जूलाई के बाद और १ नवम्बर से पहले शिकार के लिए लाइसेन्स की फीस ३ पौण्ड है। साल की समाप्ति पर ३१ जूलाई को इस लाइसेन्स की अवधि समाप्त हो जाती है। ३१ जूलाई से ३१ अगस्त तक अथवा ३१ अक्टूबर के बाद से ३१ जूलाई तक के

लिए लाइसेन्स की फीस २ पौण्ड है। १ पौण्ड फीस देकर १४ दिनों के लिए लाइसेन्स मिल सकता है।

शिकार करते समय जो स्त्रियाँ साथ में रहे, उनका खूब रसिकता से सम्मान करना चाहिए। यदि मार्ग में बहुत खूँटियाँ हों तो केवल जरा-सा आगाह कर देना चाहिए। यदि फाँदने का तरीका ठीक न हो तो उसे अपने हाथ का सहारा देकर उनकी मदद करनी चाहिए। सहायता को स्त्रियाँ बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करेगी। इस प्रकार पुरुष अपना कर्त्तव्य पालन करते हैं और स्त्रियाँ आमोद बढ़ाने वाली साथिने बनकर अपना कर्त्तव्य पालन करती हैं।

शिकार खेलने के अवसर के सम्बन्ध के कुछ शिष्टाचार हैं जिन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरे शिकारी की निगाह को कभी न काटना चाहिए। जख्मी पक्षी को उठाने के लिए पड़ोसी के मैदान से होकर जाना अक्षन्तव्य अपराध माना जाता है। जख्मी पक्षी तो मर चुका होगा। दूसरों की ज़मीन पर बन्दूक लेकर जाना अशिष्टता है।

अपनी सफ़ाई के लिए अपनी बन्दूक स्वयं लेकर बन्दूक-गृह में पहुँचना चाहिए। शिकार के रक्तक, शस्त्र के ठीक स्थान पर रखे जाने को सूचना शिकारी को देते हैं। शिकार के रक्तक की फीस शिकार खेलने के समय के अनुसार १० शिल्लिंग से ५ पौण्ड तक है।

दिन भर तीतर का शिकार करने के लिए प्रधान शिकार-रक्तक को १ पौण्ड वरुशीश दी जाती है। मद्देक के शिकार के लिए दृनी रकम

देना ठीक होगा। प्रथम वार वरूशीश कम देने से शिकारी को भविष्य में कभी आने पर खराब परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा।

शिकार का मौसम इस प्रकार है.—

१ सितम्बर से १ फरवरी तक तीतर और महांक का और १२ अगस्त से १० दिसम्बर तक जङ्गली मुर्गी का शिकार। खरगोश का शिकार १ मार्च तक किया जाता है। रैंबिट (खरगोश-विशेष) तो साल भर मिलता है।

विलायता कौवे गर्मी और वसन्त में मिलते हैं। सब प्रकार की जगली चिड़ियों का शिकार २ मार्च से ३१ जूलाई तक किया जाता है।

बन्दूकों और शिकारों का लाइसेन्स ३१ जूलाई को समाप्त हो जाता है।

मांस काटना

प्रत्येक मनुष्य को मांस के टुकड़े-टुकड़े करने की शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। पत्नी अथवा किसी जन्तु का मांस परोसे जाने पर उसके टुकड़े-टुकड़े करके न खा सकने पर बड़ी हँसी होती है। लोग ऐसे मनुष्य को असभ्य समझते हैं।

आजकल भोजों में तो मांस काटने की बहुत कम आवश्यकता पडती है। किन्तु अनेक सामाजिक जल्सों और यात्राओं में इसकी आवश्यकता पडती ही है।

छोटो जेवनागे जे अवसर पर देहानो में भोज पर मांस के काटने आदि जे सम्बन्ध में अतिथि को अपनी आतिथेया की सहा-

यता करनी चाहिए। पुरुषों के जल्से में इस बात की आशा की जाती है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिथि-गण आपस में एक दूसरे की सहायता कर लेंगे।

यह कार्य ऐसा है कि अभ्यास ही से आदमी इस काम में नैपुण्य प्राप्त कर सकेगा। किन्तु इस सम्बन्ध में भी कुछ नियम हैं, जिनका जानना परमावश्यक है।

एक वत्तख को काटते समय पहले उसकी गर्दन के नीचे के भाग को काट देना चाहिए। तब गर्दन की तरफ का भाग अपनी तरफ करके उसकी छाती के टुकड़े-टुकड़े कर डालना चाहिए। काँटे को शरीर से (हड्डी के पास) लगाकर छुरी से पैर काट लेना चाहिए। पंखों की जड़ के पास शरीर काँटे से दवाकर छुरी से डैनों को अलग कर देना चाहिए। इसके बाद डैनों के पास की हड्डी, कलेजा और पीठ की हड्डी को काटकर अलग कर देना चाहिए। खाने के लिए छाती और जाँघ का मांस सबसे अच्छा होता है।

मुर्गा इत्यादि की पहले टाँगें अलग कर दी जाती हैं। तब डैनों को काट देना चाहिए। काँटे से डैने की जड़ के पास दवाकर डैनों को पैरों की तरफ खींचने से वगल का मांस-पिण्ड निकल आवेगा। पक्षी के वत्त के मांस-पिण्ड को अलग करके मुलायम पसलियों के पास से वत्त के टुकड़े-टुकड़े कर डालना चाहिए। पक्षी को उल्टा रखकर गले से नीचे तक बीच से काट देना चाहिए। वत्त और जाँघ के मांस शरीर के अन्य स्थानों के मांस की अपेक्षा अच्छे समझे जाते हैं।

शिकार की प्रायः सभी छोटी चिड़ियाँ गले से दुम तक बीच से तराशी जाती हैं। सफेद मांस पर जूस न डालना चाहिए। जूस डालने से बाहरी कोमलता जाती रहती है।

सुअर अथवा किसी अन्य जानवर की जाँघ का पिछला भाग काटते समय बीच से गोल-गोल टुकड़े काटे जाते हैं। कुछ लोग पतले और कुछ मोटे भाग की तरफ से काटना आरम्भ करते हैं।

बकरी के मांस को धीरे से काटना चाहिए। क्योंकि छुरी जोर से दवाने से मांस तो कटेगा नहीं, केवल जूस दबकर निकल आवेगा। बीच से काटना आरम्भ करना चाहिए, क्योंकि वही अधिक जूस-युक्त भाग है। मोटे-मोटे टुकड़े काटकर थोड़ी चर्वा-युक्त मांस प्रत्येक अतिथि को देना चाहिए।

मेमने का अग्र भाग काटते समय वक्ष और पसलियों में पहले कन्धों को छुरी में अलग कर देना चाहिए। तब मांस को पसलियों में अलग कर लेना चाहिए।

पुट्टे और पैर के भाग को चर्वा-युक्त मांस के बराबर-बराबर टुकड़े काट कर परोसना चाहिए। टुकड़े एक इंच मोटे हों।

भूने हुए सुअर को मेज पर भेजने में पहले दो भागों में काट देना चाहिए। कन्धों को अलग कर पसलियों को काटना चाहिए। पसलियों का भाग उत्तम होता है। यद्यपि कुछ लोग गर्दन के पास के मांस को अधिक अच्छा समझते हैं।

यात्रा

कुछ वर्षों से यात्रा के शिष्टाचारों में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। किन्तु विदेशों में, खासकर यूरोपीय देशों में, यात्रा करते समय, एक अंग्रेज यात्री को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसके निमित्त लोग अपनी रहन-सहन में परिवर्तन न कर देंगे। मनुष्य अपने कार्यों से जाना जाता है, न कि अपने रहन-सहन और पोशाक से।

यात्रा की तैयारी में किसी प्रकार की जल्दवाजी न करनी चाहिए, जिससे लोगों को यह कहने का अवसर न मिले कि पहली बार यात्रा के लिए निकले हैं, इसीसे इतना जोश है। पहले यह निश्चय करना चाहिए कि कहाँ जाना होगा और तब जल्दी से अपना प्रबन्ध करके, केवल अपने घनिष्ठ मित्रों से विदा लेकर, चुपके से चल देना चाहिए।

यदि दूर देश भी जाना पड़े, तब भी दिन रात दौड़-दौड़ कर अपने मित्रों पर यह न प्रकट करना चाहिए कि इतनी दूर की यात्रा करनी है। ऐसा करने से अपनी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। वास्तव में ऐसे लोगों की बहुत कम संख्या होती है जो यह जानना चाहे कि किस व्यक्ति के पास क्या-क्या सामान है। केवल कुछ ही मित्र इस बात के उत्सुक होते हैं कि अमुक पुरुष को समुद्र की यात्रा में भय का अवसर उपस्थित होगा या नहीं।

जब वे कहे कि पत्र लिखने पर वे पत्र का जवाब देंगे तो उसे केवल एक खोखली प्रतिज्ञा समझनी चाहिए । ऐसा क्यों होता है ? यह वतलाना कठिन है । किन्तु किसी मनुष्य के बाहर जाते ही उसके मित्र लोग उसे भूल जाते हैं । विदा लेते समय अपने मित्रों से कुछ प्रेमालाप करके चल देना चाहिए ।

यूरोपीय देशों में भ्रमण

यूरोपीय प्रायद्वीप में भ्रमण करते समय मुकावला करने काविल चीजें भी मिलेंगी । जिनके साथ कुछ समय के लिए ठहरना पड़े उनको बुरा लग सकता है और इससे अपने मुख में भी बाधा पड़ सकती है । अनेक चीजें नापसन्द हो सकती हैं । किन्तु वे चीजें नाक-भौं सिकोडने से अच्छी तो हो न जायँगी । जो चीज अपने को नापसन्द होती है, वही वस्तु विदेशियों को रुचिकर हो सकती है । वह दूसरे की रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है । अतएव यात्री या तो अपनी अरुचि को सहन करे अथवा विदेशों में भ्रमण करना छोड़ कर अपने घर बैठे रहे । किसी बात पर नाक-भौं सिकोडने में मनुष्य अपने विचारों की सकीर्णता और विदेशियों के रीति-रिवाजों के सम्बन्ध में अपने अज्ञान की घोषणा करता है । सच्चा यात्री तो आइसलैण्ड में यात्रा करते समय, नमकीन मछली खाने पर, वहाँ के निवासियों से कभी यह न कहेगा कि भूना हुआ मांस अधिक अच्छा होता है ।

यही भाव सभी विषयों के सम्बन्ध में रखना चाहिए। सम्भव है, विदेशों की स्त्रियों का पहनावा-ओढावा अपनी माँ-बेटियों की तरह का न हो। सम्भव है, वे इतनी खूबसूरत भी न हों। वे बहुत ही भद्दी और साँवली हो सकती हैं। पुरुष-गण भी बड़े शोर-गुल-पसन्द या शान्त-प्रिय हो सकते हैं। वच्चों का लाडल्यार बहुत अधिक अथवा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सम्भव है, मकान बहुत ही उपहासास्पद ढङ्ग से बने हो। सड़के गन्दी, वेढङ्गी अथवा बड़े अच्छे ढङ्ग से बनी हो, इत्यादि। चाहे कितना ही भेद क्यों न हो, मुकाबला न करना चाहिए। ध्यान रहे कि यात्री अनजान देश में रहता है तो वहाँ अनजान वस्तुएँ देखने को मिलेगी ही। कोई भी ऐसी बात न कहनी चाहिए और न ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे विदेशियों के आत्म-सम्मान पर आघात पड़े और न किसी के धार्मिक विश्वास पर ही आक्षेप करना चाहिए।

किसी धार्मिक उत्सव को केवल दिखावे के लिए किया गया मान लेना बड़ी अशिष्टता है। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश यात्रियों के बारे में लोगों की विशेष शिकायत है। इनके बारे में तो यहाँ तक अभियोग लगाया गया है कि प्रार्थना में लोग बिना हैट उतारे ही शामिल हो जाते हैं और वहाँ जोर-जोर से बातें करते हैं। इस प्रकार के वर्ताव की कोई सफाई नहीं है।

मन्दिर चाहे किसी भी सम्प्रदाय का क्यों न हो, पूजा-गृह में तो मटा बड़े सम्मान के साथ जाना चाहिए।

बिल अदा करना

विदेशो मे जाकर ब्रिटिश यात्री यही समझते हैं कि सारा संसार उन्हे ठगने की चेष्टा कर रहा है। किन्तु वास्तव मे वात यही है कि स्वदेश मे ठगे जाने का जितना भय रहता है उतना ही विदेश मे भी रहता है। इस वात को अँग्रेज यात्री विदेश में सम्भव नहीं समझता। अतएव जब कोई मनुष्य उससे दबी ज्वान से रुपए माँगता है तब उसका गुस्सा प्रवल हो जाता है।

यात्रा मे पग-पग पर भुनभुनाने से कुछ लाभ नहीं। इसमे अपने हो सुख मे बाधा पड़ती है। इसका यह मतलब नहीं कि शैतानो से अपने को लुटा देना चाहिए। किन्तु बुरे लोगो के हाथ मे न पड़ना और बुरे स्थानों में न जाना अधिक अच्छा है।

होटलों में

होटलों में अँग्रेज बडे गम्भीर रहते हैं और अपने डेज-नामियों ने भी बहुत कम मिलते-जुलते हैं। यदि परिचय न हुआ तो नमस्कार प्रणाम के अतिरिक्त किसी भी पुरुष से वे अधिक व्यवहार नहीं रखते। यह व्यवहार बहुत ने लोगो को बुरा भी लग सकना है। इसका मतलब यह है कि अपने को दुष्टों से बचाकर शिष्ट रहना चाहिए। शिष्टता से यह तात्पर्य नहीं है कि अपनी कहानी सदाने गाता फिरे। इन बातो के अतिरिक्त भी नैकडों तरह की बातें होटलो मे करने के लिए मिल जाती हैं। चुपचाप रहने ने यात्री

को लोगों के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता और न विदेशी ही उस यात्री की योग्यता को समझ पाते हैं।

जो अँग्रेज विदेशियों के सामने अपने देश-वासियों से विदेशियों की बुराई अँग्रेजी भाषा में यह समझकर करता है कि विदेशी उसकी भाषा नहीं समझते, वे बहुत ही अशिष्ट समझे जाते हैं।



जहाज़ पर

जहाज पर चढ़कर फौरन् इस बात का पता लगाना चाहिए कि यात्रियों की चिट्ठियाँ या तार कहाँ रखे जाते हैं। शिनाख्त हो जाने पर भेजी गयी चिट्ठियाँ और तार शीघ्र मिल जाते हैं।

कैबिन में पहले पहुँचने पर केवल उतने ही स्थान, दराज और खूँटियों पर कब्जा जमाना चाहिए जितने अपने और अपने सामानों के लिए आवश्यक हो। यदि पाँच दराज हों और पहले पहुँचने वाला तीन दराजों को अपने कब्जे में कर ले, तो लोग उसे अशिष्ट समझेंगे।

जहाज तो सदा धूमता और भूमता रहता है। अतएव अपनी चीजें चपटे आकार के केसों में रखना चाहिए। यदि इस प्रकार के केस न हों तो कैबिन के दराजों में अपनी चीजें रखने में उनके लुढ़कने का भय न रहेगा। तेल की शीशियाँ एक टोकरी अथवा चमड़े के बक्स में रखकर खूँटी में टाँग देनी चाहिए।

सामान

अपने पहनने के साधारण वस्त्रों को दराजों में रग्य देना चाहिए। रोज़ के पहनने के कपड़ों को ठीक ढग में सजाकर टाँग देना चाहिए। जो सामान जहाज के गुदाम में पहुँचा दिया जाता है, वह केवल खास-खाम अवसरों ही पर प्राप्त हो सकता है।

अतएव जिन सामानों को जल्दी लेने की ज़रूरत पड़े उनको कैबिन में भिजवाने का प्रबन्ध टिकट खरीदते समय करा देना चाहिए।

कैबिन में चीजे अस्त-व्यस्त हालत में न छोड़नी चाहिए। अपनी और अपनी चीजों का रक्षा प्रत्येक यात्री को स्वयं करनी चाहिए।

सिगार और तम्बाकू बड़ी हिफ़ाजत से रखना चाहिए। सन्दूक में सदा ताला पडा रहे और कीमती चीजें जहाज़ के एका-उएटैण्ट के पास जमा कर देनी चाहिए। यदि कैबिन में अपने साथी से कुछ शिकायत हो तो प्रबन्धक में कहकर दूसरे कैबिन में चला जाना चाहिए।

रात में देर से आने पर कैबिन में चुप-चाप जाना चाहिए।

यदि कोई आक्षेप करे तो अपने कमरे में कभी सिगार न पीना चाहिए। कुछ जहाज़ों में सिगरेट पीने की मनाई रहती है।

दाढ़ी-मूँछें साफ़ करने के लिए सेफ़्टी रेज़र (उस्तरा) पास रखना चाहिए। यदि उस्तरा न हो तो किसी नियत समय पर नाई से प्रति दिन आने के लिए कह देना चाहिए। यदि सामुद्रिक चोमारी के कारण बाल साफ़ कराने की इच्छा न हो तो नाई से ऐसा कहला देना चाहिए। किन्तु यदि अच्छा न मालूम पड़े और अपने कमरे में नाई को बुलाकर बाल साफ़ कराने की इच्छा हो तो नाई आ तो जायगा, किन्तु तब वह फीस अधिक लेगा। नाई की दूकान पर जाने से फीस कम देनी पड़ती है।

अपने कैबिन के प्रबन्धक को बख़्शीश अवश्य देनी चाहिए। वह यात्री को सब प्रकार से आराम पहुँचाने की कोशिश करता है। कभी-कभी उसे एक सिगार दे देना चाहिए। इससे वह बहुत प्रसन्न रहेगा और सारा काम बड़ी खुशी से करेगा।

जहाज़ पर पहनने के वस्त्र

जहाज़ पर पहनने के लिए वस्त्र इस प्रकार होने चाहिएँ:—

डेढ़ दर्जन कमीज़े, जिनमे ६ रेशमी, ६ सूती और ६ लिनेन की होनी चाहिएँ, नीचे के पहनने के वस्त्र आधे दर्जन, चार दर्जन कालर और रुमाल, और दो दर्जन मोज़े। यदि जहाज़ पर कपडों के धोने का प्रबन्ध हो सके तो साथ में मैले कपड़े बहुत से न ले जाने चाहिए। सफेद कमीज़े तो केवल नाचने के अवसर पर पहनी जाती है। जहाज़ पर भोजन के समय आजकल मुलायम लिनेन की कमीज़ें पहनी जाती हैं। इनके अतिरिक्त ८ जोड़ी पाजामे, एक स्नान करने का गाउन, तौलिया और कुछ जूते की लेसे (फीते) भी साथ में रहे। ट्वीड का एक लम्बा कोट भी साथ में रहे। सभी जूतों की ऐंडी में रबर लगा रहना चाहिए। जहाज़ पर अपने वस्त्रों को साफ़ करा लेना चाहिए।

समुद्र-यात्रा के आरम्भ में ढेर तक चहल-कदमी करके भोजन न करना चाहिए। भोजन बड़ी होशियारी से करना चाहिए। भोजन के पहले थोड़ी चहल-कदमी अच्छी है।

तट की अपेक्षा जहाज़ पर शराब अधिक सस्ती मिलती है। जिस शराब की ज़रूरत हो, वह प्रबन्धक से कह देने से फौरन मिल जायगी।

प्रति सप्ताह प्रबन्धक भोजन का बिल पेश करता है। यात्रियों को इसे फौरन अदा कर देना चाहिए।

डेक के शिष्टाचार

यात्रियों को डेक की सतह का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये प्रतिदिन साफ किये जाते हैं।

डेक पर दूसरों की कुर्सियों पर न तो स्वयं बैठना चाहिए और न दूसरों के अस्त्रवारों या पुस्तकों ही को उठाकर पढ़ना चाहिए। कागज़ों को भी फाड़कर डेक पर न फैलाना चाहिए।

कुर्सियों के बगल से बड़ी सावधानी से गुज़रना चाहिए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि शायद कुर्सियों पर कुछ बीमार लोग भी बैठे हों। उनके साथ बड़ी शान्ति से पेश आना चाहिए।

डेक की कुर्सियाँ

डेक की कुर्सियों के सम्बन्ध में कोई सर्वव्यापी नियम नहीं है। कुछ जहाज़ों पर तो ये मुफ्त मिलती हैं और कुछ जहाज़ों पर इनके लिए किराया देना पड़ता है। यदि इस सम्बन्ध में जहाज़ का नियम न मालूम हो तो छाये में अपने लिए एक कुर्सी का प्रबन्ध करने के लिए खास प्रबन्धक को लिख देना चाहिए। वह सारा प्रबन्ध कर देगा। नियत स्थान से यात्री की कुर्सी को

कोई अन्य यात्री न ले सकेगा। उसे वहाँ से हटाना। जहाज़ी शिष्टता के विरुद्ध होगा। डेक की इस प्रकार की कुर्सियों को उनके नियत स्थान से हटाने की चेष्टा न करनी चाहिए।

स्त्रियों से जहाज़ पर उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसा तट पर किया जाता है। यदि किसी स्त्री से परिचय प्राप्त करना हो और परिचय कराने के लिए कोई अपना मित्र न हो तो कैप्टन से परिचय कराने के लिए कहना चाहिए। स्त्री के रक्तक से इस सम्बन्ध में मिलना अधिक उत्तम है।

डेक पर नृत्य

डेक पर नृत्य करने की भी चाल है। कभी-कभी तो जहाज़ के हिलने-डुलने से नृत्य में जिमनाष्टिक का मज़ा मिलता है। इन नृत्यों में भी स्थल के नृत्यों के शिष्टाचारों का व्यवहार किया जाता है।

जहाज़ के मित्र

जहाज़ पर जल्दी किसी से मैत्री न करनी चाहिए। अजनबियों से स्वतन्त्रतापूर्वक राज़गार की भी बात न करनी चाहिए। दहृत से दुष्ट लोग यात्रियों को ठगने का मौका ढूँढ़ा करते हैं। कभी-कभी ये बदमाश पकड़े भी जाते हैं। किन्तु इनसे बचना ही अधिक उत्तम है। ध्यान रहे कि ये लोग सभ्य पुरुषों के वेश में रहते हैं।

यदि साथ में स्त्रियाँ भी नफ़र कर रही हों तो यात्रा में बड़ी हाशियारी की ज़रूरत होती है।

मृत्यु के जुलूस और मातम

कुटुम्ब के मुखिया को घर में हुई मृत्यु की सूचना लिखकर मित्रों और कुटुम्बिया को देनी पड़ती है। यदि सूचना समाचार-पत्रों में छपानी हो तो यह कार्य उसी मनुष्य पर सौंपा जाता है जो शव के दफनाने इत्यादि का प्रबन्ध करता है।

यदि सूचना में स्पष्टतः मनाई न की गई हो तो शोक-सन्तप्त परिवार को सान्त्वना देने के लिए मित्र और कुटुम्बीगण फूल भेजते हैं। पहले तो केवल सफेद पुष्पों का रिवाज था। अब सफेद फूलों का ही भेजना आवश्यक नहीं समझा जाता। इन पुष्पों के साथ भेजने वाले के नाम का एक कार्ड होना चाहिए। इसी पर सहानुभूति-सूचक कुछ सन्देश भी लिख देना चाहिए।

सहानुभूति-सूचक पत्रों का लिखना बड़ा कठिन काम है। ये पत्र मन के उद्गार के अनुसार ही लिखने चाहिए। मृत व्यक्ति के गुणों के सम्बन्ध में सहानुभूति-सूचक कुछ लाइने लिख देनी चाहिए। लम्बे-चौड़े पत्र से पत्र पाने वाले का दुःख ही बढ़ता है। चिट्ठी पर काला वार्डर लगाया जा सकता है। किन्तु काला वार्डर बहुत आवश्यक नहीं है। मातम में पुरुषों को काली नेकटाई पहननी चाहिए। दस्ताने भी काले हो, किन्तु कबूतरी रङ्ग भी अच्छा है।

शव के जुलूस में शरीक होने के लिए जिन्हें निमन्त्रण दिया गया हो उन्हें नियत समय पर काले कपड़े पहनकर मृत व्यक्ति

के मकान पर जाना चाहिए। शव-जुलूस में शामिल होने के पहले सब लोग एक कमरे में एकत्र होते हैं। मोटर और गाड़ी में आने वाले लोग अपनी-अपनी गाड़ियों में चलते हैं। नियम तो यह है कि निमन्त्रित व्यक्तियों के लिए आतिथेय द्वारा गाड़ी का प्रबन्ध किया जाता है।

जुलूस के तैयार हो जाने पर शव के बाद सबसे पहले कुदुम्ब की खिराई दिखलाई पड़ती है। पुरुष-गण उन्हें गाड़ियों अथवा मोटरों में ले जाकर पहुँचा आते हैं।

शव का जुलूस

शव के जुलूस के साथ लोगों के चलने का क्रम इस प्रकार रहता है :—

आगे अर्थी रहती है। अर्थी के बाद नजदीकी रिश्तेदार अथवा उनके प्रतिनिधि, उसके बाद दूर के सम्बन्धी और तब मित्र-गण चलते हैं।

आज-कल शव के जुलूस के बाद घर लौटकर भोज करने की प्रथा उठ गई है। अतएव प्रार्थना किये जाने पर भी मित्रों को मृत व्यक्ति के घर पर न लौटना चाहिए।

अर्थी के जुलूस के कुछ दिनों के बाद लोग समवेदना-प्रदर्शन की मुलाकात के लिए जाते हैं। समवेदना के लिए आने वाले व्यक्ति को घर में न जाकर केवल एक कार्ड भेज देना चाहिए। उन पर यहाँ लिखा रहना चाहिए कि 'पृष्ट-तोष्ठ के लिए आये थे'।

कुटुम्ब के लोग, लोगों से मिलने-जुलने के योग्य हो जाने पर समवेदना और सहानुभूति-सूचक पत्रों का जवाब देते हैं। इस जवाब को पाने के बाद ही मित्रों को मुलाकात के लिए जाना चाहिए। घर पहुँचकर वहाँ केवल १५ मिनट ठहरना चाहिए। शोक-सन्तप्त कुटुम्बी जब तक स्वयं मृत व्यक्ति के विषय में कुछ न कहे, मित्रों को मृत व्यक्ति का जिक्र भी न करना चाहिए।

मातम

आज-कल मातमी पोशाक में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। मातमी पोशाक पहनने की अवधि भी घटा दी गई है। क्रेप (काला कपड़ा) पहनने की प्रथा तो एक प्रकार से एकदम उडा दी गई है। केवल विधवाएँ इसे पहनती हैं।

मातम के सम्बन्ध में पुरुषों को बड़ी स्वतन्त्रता दी गई है। केवल एक काली टाई पहनना पर्याप्त है। रँडुए को छोड़कर अन्य काँड भी व्यक्ति मातम के लिये काला वस्त्र नहीं पहनता। कभी-कभी क्रेप की एक पट्टी बायें हाथ में बाँध ली जाती है।

मातम की अवधि इस प्रकार है:—

विधवाएँ मातम दो-दो वर्षों तक मनाती हैं। किन्तु हाल में अवधि और भी कम कर दी गई है। क्रेप का बहुत व्यवहार नहीं किया जाता। १२ महीने के बाद क्रेप छोड़ दिया जाता है। हैट और चारोक घँघट एक वर्ष और १ दिन तक पहने जाते हैं। सफेद कॉलर और कफ भी उतनी ही अवधि तक पहने जाते हैं।

घोर मातम के समय आभूषणों में से मोतियाँ और हीरों का व्यवहार बहुत कम किया जाता है। मातम वीत जाने के कुछ दिनों बाद इनका व्यवहार किया जा सकता है। सुवर्ण तो मातम के बाद १ साल तक नहीं पहना जाता।

मातम के तीन महीने बाद तक विधवाएँ प्रायः समाज से पृथक् रहती हैं। उसके बाद भी उनका आना-जाना केवल मित्रों और कुटुम्बियों के यहाँ होता है। धीरे-धीरे वह समाज में प्रकट होती हैं। किन्तु नृत्य आदि में तो वह कम से कम एक वर्ष तक भाग नहीं लेती।

बच्चों, बहुओं और जामाताओं की मृत्यु पर माँ-बाप १२ महीने मातमी वस्त्र पहनते हैं। १० महीने काले वस्त्र और दो महीने सफेद अथवा भूरे वस्त्र। बच्चे भी माँ-बाप की मृत्यु पर इसी नियम का पालन करते हैं।

बहुत छोटे बच्चा के लिए तीन से ६ महीने तक मातमी वस्त्र पहने जाने हैं।

भाई बहन, साले, बहनेई या भौजाई के लिए मातम की अवधि ४ से ६ मास तक है। एक मास के बाद सुवर्ण के आभूषणों का व्यवहार किया जा सकता है।

चाचा और चाची के लिए ६ म्नाह में तीन महीने तक का अवधि है।

पितामह और पितामही के लिए ४ से ६ मास तक की अवधि है। एक मास व्यतीत हो जाने के बाद हीरे और डेट नाम के वस्त्रों का व्यवहार किया जा सकता है।

कुटुम्ब के लोग, लांगो से मिलने-जुलने के योग्य हो जाने पर समवेदना और सहानुभूति-सूचक पत्रों का जवाब देते हैं। इस जवाब को पाने के बाद ही मित्रों को मुलाकात के लिए जाना चाहिए। घर पहुँचकर वहाँ केवल १५ मिनट ठहरना चाहिए। शोक-सन्तप्त कुटुम्बी जब तक स्वयं मृत व्यक्ति के विषय में कुछ न कहे, मित्रों को मृत व्यक्ति का जिक्र भी न करना चाहिए।

मातम

आज-कल मातमी पोशाक में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। मातमी पोशाक पहनने की अवधि भी घटा दी गई है। क्रेप (काला कपडा) पहनने की प्रथा तो एक प्रकार से एकदम उडा दी गई है। केवल विधवाएँ इसे पहनती हैं।

मातम के सम्बन्ध में पुरुषों को बड़ी स्वतन्त्रता दी गई है। केवल एक काली टाई पहनना पर्याप्त है। रँडुए को छोड़कर अन्य काँड भी व्यक्ति मातम के लिये काला वस्त्र नहीं पहनता। कमी-कमो क्रेप की एक पट्टी बाये हाथ में बाँध ली जाती है।

मातम की अवधि इस प्रकार है.—

विधवाएँ मातम दो-दो वर्षों तक मनाती हैं। किन्तु हाल में अवधि और भी कम कर दी गई है। क्रेप का बहुत व्यवहार नहीं किया जाता। १२ महीने के बाद क्रेप छोड़ दिया जाता है। हैट और चारोक घँघट एक वर्ष और १ दिन तक पहने जाते हैं। सफ़ेद कॉलर और कफ भी उतनी ही अवधि तक पहने जाते हैं।

प्रायः मातम के समय आभूषणों से ये मोतिया और हीरों का व्यवहार बहुत कम किया जाता है। मातम बीत जाने के कुछ दिनों बाद उनका व्यवहार किया जा सकता है। सुवर्ण तो मातम के बाद १ माल तक नहीं पहना जाता।

मातम के तीन महीने बाद तक विधवाएँ प्रायः समाज से पृथक् रहती हैं। उम्रके बाद भी उनका आना-जाना केवल मित्रों और कुटुम्बिया के यहाँ होता है। धीरे-धीरे वह समाज में प्रकट होती है। किन्तु नृत्य आदि में तो वह कम से कम एक वर्ष तक भाग नहीं लेती।

बच्चों, बहुओं और जामाताओं की मृत्यु पर माँ-बाप १२ महीने मातमी वस्त्र पहनते हैं। १० महीने काले वस्त्र और दो महीने सफ़ेद अथवा भूरे वस्त्र। वच्चे भी माँ-बाप की मृत्यु पर इसी नियम का पालन करते हैं।

बहुत छोटे बच्चा के लिए तीन से ६ महीने तक मातमी वस्त्र पहने जाते हैं।

भाई, बहन, साले, बहनोई या भौजाई के लिए मातम की अवधि ४ से ६ मास तक है। एक मास के बाद सुवर्ण के आभूषणों का व्यवहार किया जा सकता है।

चाचा और चाची के लिए ६ सप्ताह से तीन महीने तक का अवधि है।

पितामह और पितामही के लिए ४ से ६ मास तक की अवधि है। एक मास व्यतीत हो जाने के बाद हीरे और डेढ मास बाद स्वर्ण का व्यवहार किया जा सकता है।

भतोजे अथवा भतीजी के लिए ६ सप्ताह से ३ मास तक की अवधि है।

चचेरे भाई अथवा बहिन के लिए ४ से ६ सप्ताह तक का अवधि है।

पति के सम्बन्धियों के लिए मातम की अवधि और भा कम होते हैं।

यों तो मातम की अवधि के सम्बन्ध में व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार परिवर्तन इत्यादि भी होता रहता है। किन्तु आम तौर पर ऊपर दिए गये नियमों के अनुसार वर्तव करना ही शिष्टाचार है।



चिट्ठी-पत्ती

कई दिना तक चिट्ठियों का जवाब न देना, विशेषत यदि वे स्त्रिया, वृद्धजनों अथवा माननीय व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हों, अशिष्टता है। निमन्त्रण के पत्रों का उत्तर २४ घण्टे के अन्दर देना चाहिए। सफेद कागज और लिफाफों का व्यवहार करना चाहिए। निमन्त्रण के पत्र पर पता छपा या खुदा हुआ होना चाहिए। बहुत नजाबत आजकल अच्छी नहीं समझी जाती। पदवीधारी व्यक्तिया का अपनी पदवियाँ बड़ी सहूलियत से छपानी चाहिए। बहुतेरे न्यो-पुरुष बड़ी शान से उसे पत्र पर छपाकर अशिष्टता का परिचय देते हैं। कुटुम्ब के मोटों (आदर्श वाक्यों) को बहुत भडकोले ढङ्ग पर न छापना चाहिए। कभी-कभी आदर्श वाक्यों को छपाई-सफाई उन वाक्यों से कहीं अधिक भड़कीली दीख पडती है।

इवारत स्पष्ट, साफ़ और बना-बना कर काली रेशनाई में लिखो रहनी चाहिए। पत्र के आरम्भ में 'महाशय' या 'महाशया' लिखकर जो नाम छोड दिया जाता है, उसकी पूर्ति पत्र के नीचे बाईं तरफ़ उक्त महाशय अथवा महाशया का नाम लिखने से हो जातो है। व्यवसाय-सम्बन्धी पत्रों में महाशय अथवा महाशया के ऊपर उनका नाम और पता भी लिख देना चाहिए।

यदि पत्र का जवाब पाने के लिए अपना पता लिखा हुआ लिफाफा भी भेजने की जरूरत पड़े तो उस लिफाफे पर अपने नाम के आगे स्वयं 'एस्कायर' न लिखना चाहिए।

अपने नाम के आगे अपनी पदवियाँ लिखना अच्छा नहीं है। यद्यपि यूरोप और कहीं-कहीं इंग्लैण्ड में ऐसा लिखने की चाल है। उच्च श्रेणी के लोग केवल अपना पद लिखते हैं।

व्यवसाय-सम्बन्धी पत्रों में जिन सक्षेप रूपों का प्रचार है, उन्हें प्राइवेट पत्र-व्यवहार में न लिखना चाहिए।

टाइप किये गये व्यवसाय-सम्बन्धी पत्रों पर कलम-दवात से हस्ताक्षर करना चाहिए। केवल विशेष मित्रों ही को प्राइवेट पत्र टाइप करके भेजना चाहिए। मित्रों को टाइप करके पत्र भेजना अच्छी आदत नहीं है।

विवाहिता स्त्रियाँ और विधवाएँ अपने नाम से नहीं, वरन अपने पति के नाम से प्रसिद्ध की जाती हैं। उदाहरणार्थ, 'मिसेज मेरो स्मिथ' न लिखकर 'मिसेज जॉन स्मिथ' लिखना चाहिए। पदवीधारी पुरुषों की विधवाओं के पद के आगे उनका क्रिश्चियन (संस्कृत) नाम लिखा जाता है। यथा—'लॉरा लेडी लेडिङ्ग', 'मेरिया मार्शियोनेस आफ् एड्सबेरी', 'जार्जिना वार्डकाउण्टेस् मेडवे', 'मैरी डचेज् आफ् ब्लैकटन।' ड्यूक, मार्किम और अर्लेों की कुमारी लडकियों का क्रिश्चियन नाम उनके पद और सम्मान-वाची शब्दों के बीच में लिखा जाता है। यथा—'लेडी मैरी वेकर'। विवाह होजाने पर भी उनका यही नाम

रहता है। केवल उनके पद के स्थान पर उनके पति का पद जोड़ दिया जाता है, यथा—‘लेडी मैरी गार्थ’। किन्तु यदि पति विशेष-श्रेणी का पदवी-धारी व्यक्ति हुआ तो स्त्री का नाम पति के नाम और पद में समाविष्ट हो जाता है।

आजकल पत्रों में लोग अपने लिए अन्य पुरुष सर्वनाम नहीं लिखते। कायदे के अनुसार दिये गये निमन्त्रण-पत्रों और उनके उत्तरों में अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। किन्तु अजनबियों के साथ पत्र-व्यवहार में उत्तम पुरुष ही का प्रयोग करना अधिक उत्तम है। अन्य पुरुष में प्रयुक्त पत्रों के उत्तर में अन्य पुरुष ही का प्रयोग करना चाहिए। व्यवसायी लोगो को भी पत्र अन्य पुरुष में इस प्रकार लिखा जाता है—“कुछ मरम्मत कराने के काम के सम्बन्ध में यदि मि० जोन्स कृपया मि० एडिलकॉट से मिलेंगे तो वे बहुत वाधित होंगे।” इस प्रकार के पत्र का उत्तर उत्तम पुरुष में देना चाहिए।

परिचय कराने के विषय में पत्रों का लिखना बहुत कठिन है। यह कठिनाई तब और भी बढ़ जाती है जब परिचय के पत्र लिखने को प्रेरणा की जाती है। इस प्रकार के पत्रों को सील करके न देना चाहिए। किन्तु यदि परिचय कराये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें उस व्यक्ति को जनानी हों जिससे परिचय कराया गया हो तो एक प्राइवेट पत्र उस मनुष्य के पास अलग भेज देना चाहिए। यह पत्र उस परिचय कराये जाने वाले व्यक्ति को दिये गये पत्र से पहले पहुँचना चाहिए। परिचय का पत्र पाते ही

पत्र पाने वाला व्यक्ति परिचित व्यक्ति का आदर-सम्मान करने लगता है। यदि वह पुरुष समाज में वरार की श्रेणी का हो तो उसे अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाना चाहिए। यदि वह व्यक्ति अपने से उच्च श्रेणी का हो तो उसकी सेवा के लिए हाज़िर होना चाहिए और यदि वह निम्न श्रेणी का हो तो यह जानना चाहिए कि अपने से उस व्यक्ति का क्या लाभ हो सकता है। परिचय के पत्र ले आने वाले लोग स्वयं उस व्यक्ति के पास उन पत्रों को ले जाते हैं जिसके लिए वे पत्र दिये जाते हैं। यदि वह व्यक्ति घर पर न हो तो उसके मकान पर अपना काड डाल आना चाहिए। तब वह व्यक्ति स्वयं आगन्तुक से मिलने आयेगा। इस मिलन के बाद निमन्त्रण दिया जा सकता है।

चिट्ठी-पत्रों के शिष्टाचार

बादशाह से लेकर निम्न श्रेणी के पुरुषों तक को पत्र के ऊपर सम्बोधन में 'सर' (महाशय) लिखा जाता है। स्त्रियों के लिए 'मैडम' (महाशया) का प्रयोग किया जाता है। व्यवसायी लोग अपने उच्च श्रेणी के ग्राहकों को पत्र में 'योर रायल हाईनेस', 'योर ग्रेस', 'योर लेडीशिप' आदि लिखकर सम्बोधन करते हैं। पत्रों के पते भी वे इस प्रकार लिखते हैं।

हिज़ मैजेस्टी दो किङ्ग

हिज़ मैजेस्टी दी क्वीन

हिज़ गयल हाईनेस दी प्रिंस आफ़ वेल्स की सेवा में।

शाहो खान्दान के अन्य व्यक्तियों को भी इसी प्रकार लिखने का कायदा है। यथा—हिज़ हाईनेस दी ड्यूक आफ़ कॅनॉट की सेवा मे।

पते के सिरनामे

पत्र पर पता लिखते समय दो नियम हैं। निम्न श्रेणी के व्यक्ति विशेष ढङ्ग से पते देते हैं और वरावर की श्रेणी के लोग साधारण ढंग से पते लिखते हैं। पते लिखने के साधारण और असाधारण दोनों ढङ्ग इस प्रकार हैं—

साधारण ढङ्ग	विशेष ढङ्ग
दो ड्यूक आफ़—	हिज़ ग्रेस दी ड्यूक आफ़— की सेवा में।
दो डचेज़ आफ़—	हर ग्रेस दी डचेज़ आफ़— की सेवा में।
दो मार्किस आफ़—	दी मोस्ट ऑनरेबुल दी मार्किस आफ़—की सेवा में।
दो मार्शियोनेस आफ़—	दो मोस्ट ऑनरेबुल दी मार्शियो- नेस आफ़—की सेवा में।
दो अर्ल आफ़—	दी राइट ऑनरेबुल दी अर्ल आफ़—की सेवा में।
दो काउण्टेस आफ़—	दी राइट ऑनरेबुल दी काउण्टेस आफ़—की सेवा में।

साधारण ढंग

दो वार्डकाउण्ट—

दो वार्ड काउण्टेस—

लार्ड—

लेडी—

विशेष ढंग

दी राइट ऑनरेबुल दी वार्ड-
काउण्टेस—की सेवा मे ।दी राइट ऑनरेबुल दी वार्ड-
काउण्टेस—की सेवा मे ।दी राइट ऑनरेबुल लार्ड—या
वैरन—की सेवा मे ।दी राइट ऑनरेबुल लेडी—या
वैरनेस—की सेवा मे ।

प्रिवी कौंसिल के मेम्बरों के सिरनामे

प्रिवी कौंसिल के मेम्बरों के सिरनामे पर 'राइट ऑनरेबुल' लिखा जाता है । इस सम्बन्ध मे कामन्स सभा के सदस्यों के नाम के पोछे 'एस्कायर' शब्द नहीं जोड़ा जाता । नाम इस प्रकार लिखा जाता है :—दो राइट ऑनरेबुल जेम्स स्मिथ, एम० पी० ।

राजदूत-गण

राजदूत-गण और उनकी भार्याओं के नाम के आगे 'हिज एक्सेलेन्सो' और 'हर एक्सेलेन्सी' लिखकर नाम के बाद राजदूत का पद इत्यादि लिखा जाता है । यथा—फ्रांस के एम्बेसेडर एक्स्ट्रा आर्डिनरी (विशेष राजदूत) और प्लेनीपोटेन्शियरी (सब शक्तियों में युक्त) हिज एक्सेलेन्सी दी अर्थ आफ की सेवा मे ।
हर एक्सेलेन्सी दी काउण्टेस आफ को सेवा में ।

अन्य सरकारी कर्मचारियों के सिरनामे इस प्रकार लिखे जाते हैं.—

हिज प्रेस दो आर्क विशप आफ	की सेवा मे ।
दो राइट रेवरेण्ड दी विशप आफ	की सेवा मे ।
दो वेरो रेवरेण्ड दी डीन आफ	की सेवा मे ।

विद्वत्ता-सूचक पदवियों नाम के बाद जोड़ी जाती हैं । जैसे—
डाक्टर आफ लॉज, अथवा लर्निङ्ग के लिए एल-एल० डी० और
डाक्टर आफ डिविनिटी के लिए डी० डी० लिखा जाता है ।

वास्तव मे केवल विशेष श्रेणी के लोगों को ही अपने नाम के बाद 'एस्कायर' लिखने का अधिकार है । किन्तु आज-कल तो सभी लोग अपने नाम के आगे इस शब्द को लिख सकते है ।

पत्र का आरम्भ करना

जैसा पहले लिखा जा चुका है, बादशाह को पत्र लिखते समय पत्र का आरम्भ 'सर' से करना चाहिए । अन्त मे लोग हस्ताक्षर करने के पहले यों लिखते हैं—“आई हैव दि ऑनर टु सवमित माईसेल्फ,” “विथ प्रोफाउण्ड रेस्पेक्ट योर मैजेस्टीज मोस्ट डिवोटेड सर्वेण्ट ।”

'सर' शब्द के ऊपर “हिज मैजेस्टी दी किंग” लिख देना चाहिए ।

प्रिंस आफ वेल्स के पत्र के आरम्भ में भी 'सर' के ऊपर “हिज रॉयल हाईनेस प्रिंस आफ वेल्स की सेवा मे” लिख देना

चाहिए। मित्र-गण 'डियर प्रिंस' और कुछ विशेष जान-पहचान के लोग "माई डियर प्रिंस" लिखते हैं। पत्र के अन्त में हस्ताक्षर के पहले "थोर रॉयल हार्डनेसेज ड्यूटीफुल ऐण्ड ओविडिएण्ट सर्वेण्ट" या "थोर रॉयल हार्डनेसेज ड्यूटीफुल ऐण्ड मोस्ट ओविडिएण्ट सर्वेण्ट" लिखा जाता है। अन्य राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए अन्त में "मोस्ट अम्बुल ऐण्ड ओविडिएण्ट सर्वेण्ट" लिखा जाता है। राजघराने के अतिरिक्त ड्यूकों को 'डियर ड्यूक' या अन्य लोगों द्वारा "माई लॉर्ड ड्यूक, मे इट सोज थोर प्रेस" लिखा जाता है। डचेज को पत्र लिखते समय "माई लेडी" के ऊपर उनकी पदवी लिखी जाती है। कायदे के अनुसार लिखे गये पत्रों में मार्किंस को "माई लार्ड मार्किंस" लिखने की प्रथा है।

ड्यूक, मार्किंस और अर्लों के पुत्रों और पुत्रियों के कृश्चियन नामों के पदवी के नाम के साथ न लिखने की गलत प्रथा प्रचलित है। लड़कों के कृश्चियन नाम के आगे 'लार्ड' लिखने की प्रथा है—यथा—"लार्ड अल्फ्रेड ओस्वर्न", "लार्ड हेनरी समरसेट।" इनमें से किसी के लिए केवल "लार्ड ओस्वर्न" अथवा "लार्ड समरसेट" लिखना गलती करन।

लडकियों के कृश्चियन नामों के आगे लेडी लिखने को प्रथा है। यथा—"लेडी एमिली हेनज" के स्थान पर 'लेडी हेनेज' लिखना गलत है। यदि इनका विवाह की साधारण आदमी के साथ हुआ तो केवल 'लेडी एमिली' लिखा जायगा

जिन लोगों को पदवियों से विशेष जानकारी नहीं है, उनको ये सब बातें बड़ी पेचीदी मालूम पड़ती हैं और इनके सम्बन्ध में गलती करने से अज्ञान प्रकट होता है। पदवीधारी व्यक्तियों का कृश्चियन नाम उनके पदवी के नाम के साथ न जोड़ने से उनको बड़ी तरद्दुद होती है। एक नाइट को स्त्री भो 'लेडी स्मिथ' या 'जोन्स' कहलाती है। किन्तु 'स्मिथ' या 'जोन्स' के आगे कृश्चियन नाम जोड़ देने से यह प्रकट हो जाता है कि इस नाम का व्यक्ति किसी ड्यूक, मार्किंस अथवा अर्ल की लड़की है।

पदवीधारी व्यक्तियों के पत्र के आरम्भ में एक अजनबी 'डियर लेडी एमिली हेनन' लिखेगा। किन्तु इसके स्थान पर केवल 'डियर एमिली' लिखना चाहिए। निम्न श्रेणी के लोग 'मैडम' के ऊपर स्त्री का पदवी-युक्त नाम लिखते हैं; अथवा केवल 'मैडम' लिखकर पत्र के अन्त में पदवी-युक्त नाम लिखते हैं।

राजदूत अथवा उसकी पत्नी के पत्र में 'सर' अथवा 'मैडम' के ऊपर उनका पदवी और खिताव-युक्त नाम लिखते हैं। निम्न श्रेणी के लोगों के लिए आरम्भ में "मे इट लीज योर एक्सेलेन्सी" और अन्त में "आई हैव दि ऑनर टु वि योर एक्सेलेन्सीज मोस्ट ऑम्बुल, ओविडिएण्ट सर्वेण्ट"।

एक आर्क विशप के पत्र के आरम्भ में 'योर ग्रेस' और अन्त में "आई रिमेन योर ग्रेसेज मोस्ट ओविडिएण्ट सर्वेण्ट"।

चाहिए। मित्र-गण 'डियर प्रिंस' और कुछ विशेष जान-पहचान के लोग "माई डियर प्रिंस" लिखते हैं। पत्र के अन्त में हस्ताक्षर के पहले "थोर रॉयल हाईनेसेज ड्यूटीफुल ऐण्ड ओविडिएण्ट सर्वेण्ट" या "थोर रॉयल हाईनेसेज ड्यूटीफुल ऐण्ड मोस्ट ओविडिएण्ट सर्वेण्ट" लिखा जाता है। अन्य राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए अन्त में "मोस्ट अम्बुल ग्रेण्ड ओविडिएण्ट सर्वेण्ट" लिखा जाता है। राजपराने के अतिरिक्त ड्यूकों को 'डियर ड्यूक' या अन्य लोगों द्वारा "माई लॉर्ड ड्यूक, मे इट प्लेज थोर ग्रेस" लिखा जाता है। डचेज को पत्र लिखते समय "माई लेडी" के ऊपर उनकी पदवी लिखी जाती है। कायदे के अनुसार लिखे गये पत्रों में मार्किस को "माई लॉर्ड मार्किस" लिखने की प्रथा है।

ड्यूक, मार्किस और अर्लों के पुत्रों और पुत्रियों के कृश्चियन नामों को पदवी के नाम के साथ न लिखने की गलत प्रथा प्रचलित है। लड़कों के कृश्चियन नाम के आगे 'लॉर्ड' लिखने की प्रथा है—यथा—"लॉर्ड अल्फ्रेड ओस्वर्न", "लॉर्ड हेनरी समरसेट।" इनमें से किसी के लिए केवल "लॉर्ड ओस्वर्न" अथवा "लॉर्ड समरसेट" लिखना गलती करन।

लडकियों के कृश्चियन नामों के आगे लेडी लिखने की प्रथा है। यथा—"लेडी एमिली हेनज" के स्थान पर 'लेडी हेनेज' लिखना गलत है। यदि इनका विवाह की साधारण आदमी के साथ हुआ तो केवल 'लेडी एमिली' लिखा जायगा

जिन लोगों को पदवियों से विशेष जानकारी नहीं है, उनको ये सब बातें बड़ी पेचीदी मालूम पड़ती हैं और इनके सम्बन्ध में गलती करने से अज्ञान प्रकट होता है। पदवीधारी व्यक्तियों का कृश्चियन नाम उनके पदवी के नाम के साथ न जोड़ने से उनको बड़ी तरद्दुद होती है। एक नाइट को स्त्री भो 'लेडी स्मिथ' या 'जोन्स' कहलाती है। किन्तु 'स्मिथ' या 'जोन्स' के आगे कृश्चियन नाम जोड़ देने से यह प्रकट हो जाता है कि इस नाम का व्यक्ति किसी ड्यूक, मार्किंस अथवा अर्ल की लड़की है।

पदवीधारी व्यक्तियों के पत्र के आरम्भ में एक अजनबी 'डियर लेडी एमिली हेनन' लिखेगा। किन्तु इसके स्थान पर केवल 'डियर एमिली' लिखना चाहिए। निम्न श्रेणी के लोग 'मैडम' के ऊपर स्त्री का पदवी-युक्त नाम लिखते हैं, अथवा केवल 'मैडम' लिखकर पत्र के अन्त में पदवी-युक्त नाम लिखते हैं।

राजदूत अथवा उसकी पत्नी के पत्र में 'सर' अथवा 'मैडम' के ऊपर उनका पदवी और खिताव-युक्त नाम लिखते हैं। निम्न श्रेणी के लोगों के लिए आरम्भ में "मे इट सीज योर एक्सेलेन्सी" और अन्त में "आई हैव दि ऑनर टु वि योर एक्सेलेन्सीज मोस्ट ऑन्वुल, ओविडिएट सर्वेण्ट"।

एक आर्क विशप के पत्र के आरम्भ में 'योर ग्रेस' और अन्त में "आई रिमेन योर ग्रेसेज मोस्ट ओविडिएट सर्वेण्ट"।

विशप के पत्र के आरम्भ में “माई लार्ड” या “राइट रेवरेण्ड सर” या “मे इट लीज योर लार्डशिप” और अन्त में “आई रिमेन माई लॉर्ड योर मोस्ट ओबिडिएण्ट सर्वेण्ट” लिखा जाता है।

डोन के पत्र के आरम्भ में “वेरी रेवरेण्ड सर” या “मि० डोन” लिखा जाता है। विशेष जान-पहचान के लोग ‘डियर मि० डोन’ लिखते हैं। अपरिचित लोगों को पत्र के अन्त में “आई हैव दि ऑनर टु वि योर मोस्ट ओबिडिएण्ट सर्वेण्ट” लिखते हैं।

डिविनिटों के डाक्टरों और अन्य पादरियों के पत्रों के आरम्भ में केवल ‘रेवरेण्ड सर’ लिखा जाता है।

मित्र-गण ‘डियर आर्क विशप,’ ‘डियर डोन,’ ‘डियर विशप,’ या ‘डियर डॉक्टर’ लिखते हैं।

लेफ्टिनेण्टों और सब-लेफ्टिनेण्टों को छोड़कर सेना-विभाग के सभी कर्मचारियों के नामों के साथ उनका खिताब और सेना का नाम लिखा जाता है। लेफ्टिनेण्टों के पत्रों पर ‘एस्कायर’ लिखा जाता है।

नव सेना के एडमिरलों के नाम के आगे ‘दो ऑनरेबुल’ लिखा जाता है। पत्र के आरम्भ में ‘सर’ और अन्त में “आई रिमेन सर, योर मोस्ट ओबिडिएण्ट सर्वेण्ट” लिखने की प्रथा है। नवसेना के कैप्टनों, कमाण्डरों और लेफ्टिनेण्टों के नामों के बाद ‘आर० एन०’ (रॉयल नेवी) लिखा जाता है। किन्तु सब-लेफ्टिनेण्टों के नाम के बाद केवल ‘एस्कायर’ लिखा जाता है।

चिट्ठी-पत्री के कागज़ इत्यादि

चिट्ठी-पत्री के कागज़ों से भी मनुष्य की शिष्टता का बहुत कुछ अनुमान किया जाता है। अतएव इस सम्बन्ध में सदा किसी अच्छे मेशिनर से सलाह लेकर कार्य करना चाहिए।

चिट्ठी का कागज़, जो बढ़िया से बढ़िया मिल सके, उसे काम में लाना चाहिए। इस पर नाम इत्यादि बड़ी सहूलियत से खुदा रहे और रङ्ग इत्यादि बड़ा भडकीला न हो। चिट्ठी को सील करने को लाख काली होनी चाहिए, यद्यपि अन्य रङ्गों की लाखें भी काम में लायी जा सकती हैं।

चिट्ठी पर जो डार लगायी जाय, उसका वही रङ्ग हो जो लाख का रहे।



पेशे-सम्बन्धी शिष्टाचार

डॉक्टरों का बदलना

यदि बोमार व्यक्ति की दशा में कोई परिवर्तन न हो, तो डॉक्टर को बदल देना चाहिए। औषधि के व्यवसायियों के सम्बन्ध में यह शिष्टता है कि जब तक एक डाक्टर चला न जाय, उस घर में दूसरा डाक्टर नहीं आता। प्रथम डाक्टर को नम्रता से विदा कर के तब दूसरे डाक्टर को बुलाना चाहिए।

यदि किसी अन्य डाक्टर से किसी मामले पर राय लेनी हो तो इसके पहले अपने डाक्टर से राय ले लेनी चाहिए।

विशेषज्ञ की फी स्वयं नोटों अथवा चेक में दे देना चाहिए। विशेषज्ञ लोग साधारण डाक्टरों की तरह अपने बिल नहीं भेजा करते। बल्कि उन्हें फौरन् फीस देने का कायदा है।

डाक्टरों और हकीमों के आगे 'डाक्टर' और 'मि०' शब्द जोड़ा जाता है। लेकिन हकीम के नाम के बाद उसकी उपाधियाँ भी इस प्रकार लगा देनी चाहिए—“मि० जेम्स वार्नेट, एफ० आर० जी० एस०।”

वकील

मुकदमे के बोच में यदि वकील को बदलना हो तो अपने पहले वकील को इसको सूचना देनी चाहिए। जब तक पहला

वकील छुड़ा न दिया जायगा, तब तक दूसरा वकील मुकदमे को अपने हाथ में नहीं ले सकता ।

पब्लिक स्कूल

स्कूलों के नियमों और शिष्टाचार के सम्बन्ध में लड़कों के माँ-बाप को किसी प्रकार का भी दखल न देना चाहिए । प्रत्येक स्कूल का एक कायदा बना रहता है । लड़के की पढ़ने की उम्र के कई साल पहले ही से लड़के का नाम स्कूल की वेडिङ्ग लिस्ट में दर्ज करा देना चाहिए ।



गृहस्थों के लिए कुछ हिदायतें

जमीन्दार और असामी

पट्टा—प्रत्येक पट्टा लिखा होना चाहिए। तीन साल से कम के लिए यदि कोई ज़मीन या मकान किराये पर उठाया जाय तो उसके सम्बन्ध में केवल वचन देने से भी काम चला लिया जाता है।

किन्तु तीन बरस से अधिक समय के लिए पट्टा अवश्य लिखा लेना चाहिए। इस प्रकार का दस्तावेज़ स्टाम्प-युक्त होना चाहिए।

वास-स्थान की योग्यता—मकान को देख लेना चाहिए कि वह मनुष्य के रहने के काविल है या नहीं। यदि मकान में रोग के कोटाणु हो या नाली इत्यादि गन्दी हो, तो किरायेदार को मकान छोड़ देना चाहिए अथवा मकान के मालिक से इन बुराइयों को दूर करा लेना चाहिए। इस कार्य में उसे जो कुछ व्यय करना पड़े, वह भी मकान के मालिक से वसूल कर लेना चाहिए।

किराये पर उठाये जाने वाले मकान दो प्रकार के होते हैं—एक तो सजे हुए मकान और दूसरे बिना सजे हुए। सजे हुए मकान की भरम्मत इत्यादि का सारा भार मकान-मालिक पर

रहता है। किराये के घर के सम्बन्ध में किरायेदारों को निम्न नियमों का पालन करना चाहिए :—

किराया देना, मकान का उपयोग हिफाजत से करना और मकान को अच्छी हालत में मकान-मालिक को लौटा देना, मकान की हालत की देख-भाल करने के लिए मकान-मालिक को कभी-कभी आने-जाने देना।

मकान-मालिक को चाहिए कि उसके किरायेदार को कष्ट न पहुँचे।

मकान का कुल भाग जल जाने अथवा नष्ट हो जाने से किरायेदार किराया देने से बरी नहीं हो जाता।

मरम्मत कराने के सम्बन्ध में यदि पहले से समझौता कर लिया गया हो तो किरायेदार ही पर मकान की मरम्मत का भार रहता है। ऐसी दशा में मकान गिर पड़े या आग से जल जाय तो किरायेदार ही को मकान फिर से बनवाना पड़ेगा।

यदि मकान की मरम्मत के सम्बन्ध में मकान-मालिक से कोई खास समझौता न कर लिया गया हो तो मकान की मरम्मत कराने के लिये वह उत्तरदायी नहीं है। मकान के टूटने-फूटने पर भी किरायेदार को किराया देना पड़ेगा। यदि मकान के गिरने से किरायेदार को चोट इत्यादि लगे तो उसके लिए भी मकान-मालिक उत्तरदायी न होगा।

मकान की मरम्मत का भार लेने पर भी जब तक मकान-मालिक को मकान मरम्मत करने की नोटिस न दी जायगी, वह

मकान की मरम्मत कराने के लिए उत्तरदायी नहीं है। किन्तु यह नियम उस दशा में लागू नहीं होता जब मकान-मालिक भी उसी मकान में रहता हो और मकान का केवल एक भाग किराये पर उठा दिया गया हो। यदि नोटिस देने पर भी मकान-मालिक मकान को मरम्मत न कराये तो किरायेदार को मकान की मरम्मत करा कर दाम का किराये में काट लेना चाहिए।

मकानों के दलाल

यदि मकान को किराये पर उठाने में सहायता देने के लिए कोई दलाल कमीशन पर नियुक्त हो तो मकान के उठ जाने पर दलाल को कमीशन देना चाहिए। जब तक मकान किराये पर उठ न जाय, दलाल कमीशन पाने का अधिकारी नहीं है। यदि दलाल किरायेदार को ढूँढ़कर लाये और मकान-मालिक मकान को किराये पर देने से इन्कार कर दे तो दलाल कमीशन का अवश्य अधिकारी होगा।

स्वामी और नौकर

स्वामी के कर्त्तव्य

यदि कोई अन्य समझौता न हुआ हो तो स्वामी को अपने नौकर के भोजन और वास-स्थान का प्रबन्ध करना चाहिए। किन्तु दवाओं के दाम और डाक्टर की फीस देने का उत्तरदायित्व स्वामी पर नहो रहता। यदि स्वामी बीमार नौकर की देख-भाल के लिए अपना निजी डाक्टर बुलाये तो नौकर को तनख्वाह से डाक्टर की फीस काट लेना उचित नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में पहले से कोई विशेष समझौता हो गया हो तो बात दूसरी है।

नौकर से यदि कोई चीज टूट-फूट जाय तो भी विशेष समझौते को अनुपस्थिति में नौकर के वेतन से दाम न काटना चाहिए। नौकर को भोजन न देकर स्वामी भोजन के लिए अतिरिक्त वेतन दे सकता है। इस अतिरिक्त वेतन की रकम इतनी होनी चाहिए कि इसमें उस नौकर का गुजारा हो सके।

नौकर के कर्त्तव्य

जिस काम के लिए वह नियुक्त हो उस काम में उसे स्वामी को न्याययुक्त आज्ञाओं का पालन करना चाहिए।

अपना काम हाशियारी और सावधानी से करना चाहिए।

जो काम करना अनुचित हो, उसे नहीं करना चाहिए।

नौकरी से बरतरफ़ करना

तरोका यह है कि नौकरी से अलग करने के लिए नौकर को एक महीने की नोटिस दी जाती है। अथवा नौकरी से अलग करते समय नौकर को एक मास का वेतन दे दिया जाता है। इस रकम में भोजन के लिए अतिरिक्त वेतन नहीं शामिल किया जाता।

यदि नौकर कोई दुष्टता करे तो वह विना नोटिस दिये भी निकाला जा सकता है। यदि नौकर किसी कारण-वश विना नोटिस दिये निकाल दिया जाय, अथवा वह स्वयं नौकरी छोड़कर चल दे तो जिस मास में वह इस प्रकार नौकरी से अलग हो, उस मास का वेतन उसे न देना चाहिए। यदि नौकर को पहनने के लिए स्वामी से कपड़े भी मिलते हों और वर्ष के समाप्त होने के पहले ही उसे नौकरी छोड़ देनी पड़े तो उसे कपड़ों को लौटा देना चाहिए। किन्तु यदि उसे ज़वर्दस्ती निकाल दिया जाय और उससे कपड़े छीन लिये जायँ तो वह कपड़ों की हानि को अपने हर्जाने में घसूल कर सकता है। न्याय से निकाला गया नौकर यदि अहाते के बाहर न चला जाय तो उसे बल-प्रयोग करके निकाल देना चाहिए। इस सम्बन्ध में पुलिस को सहायता लेना अधिक बुद्धिमानी है।

स्वामी की मृत्यु से नौकर को नौकरी की अवधि का भी निपटाया जा सकता है। यदि नया स्वामी उस नौकर को रखना चाहे

तो इस सम्बन्ध में नया समझौता होना आवश्यक है। नौकर का शेष वेतन चुका दिया जाता है। आम तौर से मृत्यु की तिथि से एक मास का वेतन दिया जाता है।

यदि नौकर स्वामी से समझौते की शर्तों को तोड़ दे, तो उससे हर्जाना वसूल किया जा सकता है।

नौकर का आचरण

नौकर को सदाचरण का सर्टीफिकेट देने के लिए स्वामी बाध्य नहीं है। किन्तु यदि उसे सर्टीफिकेट देना ही हो, तो उस में केवल सच्ची-सच्ची बातें लिखनी चाहिए। नौकर को अच्छे आचरण का प्रमाण-पत्र देने के बाद यदि स्वामी को यह मालूम पड़े कि नौकर उस प्रमाण-पत्र के योग्य नहीं है तो नौकर के नये स्वामी को इसकी सूचना देना उसके लिए अनुचित न होगा।

नौकर के सम्बन्ध में पत्र द्वारा पृच्छ-ताछ करने में जो ज्ञान प्राप्त हो वह नये स्वामी की सम्पत्ति है। किन्तु नौकरी में शामिल होने के समय नौकर जो अपने साथ प्रमाण-पत्र लाये, वह नौकर का सम्पत्ति है और नौकरी से अलग होने पर उसे लौटा देना चाहिए। यदि कोई स्वामी द्वेष-भाव से उक्त प्रमाण-पत्र पर कुछ विराधात्मक इवारते लिखकर उसे भ्रष्ट कर दे तो उससे हर्जाना वसूल किया जा सकता है।

यदि कोई स्वामी अपने नौकर को अच्छे आचरण का प्रमाण-पत्र दे और कोई आदमी उस नौकर को उसके स्वामी के प्रमाण-पत्र को बिना पर नौकर रख ले और नौकर खराब व्यवहार करके अपने नये स्वामी का नुक़सान पहुँचाये तो इसके लिए नौकर का पुराना स्वामी उत्तरदायी ठहराया जायगा ।

अंग्रेजी समाज के कुछ विशिष्ट शब्द

- आर्चबिशप (Archbishop)—इंग्लैंड के पादरियो का प्रधान महंत ।
- एट होम (At-home)—किसी विशेष सजन को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने घर पर बुलाकर अपने अन्य मित्रों से परिचय कराने के लिये जलपान की पार्टी देना ।
- बॉल (Ball)—वह नृत्य जो कई जोड़े स्त्री-पुरुष मिलकर नाचते हैं ।
- स्टुअर्ड (Steward)—जहाज के नौकरों का नायक और सामान की निगरानी करने वाला नाज़िर ।
- सपर (Supper)—रात का अंतिम हलका भोजन । यह भोजन रात में डिनर और सोने के बीच में किसी समय का है ।
- बेस्टमैन (Best man)—विवाह-संस्कार के समय दूल्हे का मुख्य साथी ।
- बिशप (Bishop)—महंत ।
- ब्रिज (Bridge)—ताश का एक खेल जो प्रायः दाँव लगाकर खेला जाता है ।
- विजिटिंग कार्ड (Visiting card)—मिलन-कार्ड ।
- चोज़ (Cheese)—पनीर ।
- क्लब (Club)—वह स्थान, जहाँ एक सस्था के सदस्य एकत्र होते हैं ।
- क्रिकेट (Cricket)—गेंद-बल्ले का एक खेल ।
- क्रोकैट (Krockatt)—गेंद का एक खेल ।
- डांस (Dance)—नाच, इसमें स्त्री-पुरुष अलग अलग भी नाचते हैं और मिलकर भी ।

फिंगर बोल (Finger bowl)—कटोरी जिसमें खाने के बाद लोग अपनी उँगलियाँ धो लेते हैं ।

होर डूवरे (Hois d'œuvre)—भोजन शुरू करने पर सबसे पहले इसी की तरतरी आती है । इसमें प्रायः चाटे होती है, जो कई प्रकार की होती हैं ।

मेनू कार्ड (Menu card)—तैयार खाने की छपी हुई सूची ।

सलैड (Salad)—वह साग, तरकारियाँ जो प्रायः कच्ची खाई जाती हैं ।

सूप (Soup)—शोरवा ।

नेपकिन (Napkin)—हाथ पोछने की छोटी तौलिया, जिसे खाते समय जॉब पर भी फैला लेते हैं ।

गॉल्फ (Golf)—गेंद का एक प्रकार का खेल ।

होटल (Hotel)—निवास ।

नाइफ (Knife)—चाकू, जिससे काटकर रोटियाँ या मिठाइयाँ खाई जाती हैं ।

फ़ॉर्क (Fork)—काँटा, जिससे कोचकर खाने की चीज़ उठाकर खाई जाती है ।

लॉन टेनिस (Lawn Tennis)—घास पर जो टेनिस खेला जाता है ।

लंचन (Luncheon)—दोपहर के खाने को कहते हैं । प्रायः १ और २ बजे के बीच में खाया जाता है ।

फ्रेंच मेनू (French Menu)—फ्रांस में प्रचलित नियम के अनुसार खाने की सूची, जिसमें खाने के नाम प्रायः फ्रेंच भाषा में होते हैं ।

डेक (Deck)—जहाज की छत ।

पिकनिक (Picknics)—मित्रों के साथ बस्ती से बाहर जाकर किसी रमणीक स्थान में जलपान करना ।

रेस (Race)—घुड़दौड़ ।

स्केटिंग (Skating)—पहियेदार खडाऊँ को जूतों के नीचे बाँध कर दौड़ना ।

टेनिस (Tennis)—गेंद का एक खेल ।

क्लोकरूम (Cloak-room)—वह कमरा, जिसमें घर में प्रवेश के पहले लोग छड़ी, छाता, हैट, ओवरकोट आदि रख देते हैं ।

टॉइलेट (Toilet)—हाथ-मुँह धोने का कमरा । हाथ मुँह धोने की क्रिया को भी टॉइलेट कहते हैं ।

याचिंग (Yachting)—पाल वाली छोटी नावों पर घूमना ।

ड्राइंग रूम (Drawing-room)—सजा हुआ कमरा, जो मिलने-जुलने के काम आता है ।

ड्रेसिंग रूम (Dressing-room)—कपड़े पहने का कमरा ।

बेड रूम (Bed-room)—सोने का कमरा ।

स्टडी (Study-room)—पढ़ने का कमरा या आफिस ।

बाथरूम (Bath-room)—स्नानागार ।

किचन (Kitchen-room)—रसोई घर ।

डाइनिंग रूम (Dining-room)—भोजन करने का कमरा ।

ग्राउंड फ्लोर (Groundfloor)—मकान के नीचे के कमरे, जो तह-खाने जैसे होते हैं ।

स्पून (Spoon)—चम्मच, जिससे तरल चीजें खाई या पिई जाती हैं ।

प्लेट (Plate)—तश्तरी

कप (Cup)—प्याली

डिश (Dish)—रझादी

ग्लास (Glass)—गिलास

पेग (Peg)—शराब पीने का प्याला

ब्रेकफास्ट (Breakfast)—कलेवा

टोस्ट (Toast)—रोटी के कटे हुये और सिके हुये टुकड़े ।

लंच (Lunch)—तीसरे पहर का खाना

वेजिटेबल्स (Vegetables)—तरकारियों ।

पुडिंग (Pudding)—खीर या हलवा



हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग

की पुस्तकों का

सूचीपत्र

कविता-कौमुदी

पहला भाग—हिन्दी

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

इस पुस्तक में चन्दवरदायी, विद्यापति ठाकुर, कबीरसाहब, रैदास, धर्मदास, गुरुनानक, सूरदास, मलिकमुहम्मद जायसी, नरोत्तमदास, मीरा-चाई, हितहरिवंश, नरहरि, हरिदान्य, नन्ददास, टोडरमल, वीरवल, तुलसीदास, बलभद्र मिश्र, दादूदयाल, गङ्ग, हरिनाथ, रहीम, केशवदास, पृथ्वीराज और चम्पादे, उसमान, मलूकदान, प्रवीणराय, मुवारक, रसखान, सेनापति, सुन्दरदास, विहारीलाल, चिन्तामणि, भूपण, मतिराम, कुलपति मिश्र, जसवन्तसिंह, बनवारी, गोपालचन्द्र, बेनी, सुखदेव मिश्र, सबलसिंह चौहान, कालिदास त्रिवेदी, आलम और शेख, लाल, गुरु गोविन्दसिंह, घनघानन्द, देव, श्रीपति, वृन्द, बैताल, उदयनाथ (कवीन्द्र), नेवाज, रसलीन, घाघ, दास, रसनिधि, नागरीदान, बनीठनीजी, चरनदास, तोप, रघुनाथ, गुमान मिश्र, दूलह, गिरिधर कविराय, सूदन, शीतल, ब्रजवासी-

दास, सहजोबाई, दयाबाई, ठाकुर, बोधा, पदमाकर, लल्लूजीलाल, जय-सिंह, रामसहाय दास, ग्वाल, दीनदयाल गिरि, रणधीरसिंह, विश्वनाथ-सिंह, राय ईश्वरीप्रताप, नारायण राय, पजनेस, शिवसिंह सेंगर, रघुराज-सिंह, द्विजदेव, रामदयाल नेवटिया, लक्ष्मणसिंह, गिरिधरदास, लछिराम, गोविन्द गिह्लाभाई के जीवन चरित्रों और उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह है। प्रारम्भ में हिन्दी का एक हजार वर्षों का इतिहास बड़ी खोज से लिखा गया है। अन्त में प्रेम, हास्य, शृङ्गार और नीति के बड़े ही मनोरञ्जक घनाक्षरी, सवैया, कवित्त, दोहे, पहेलियाँ, खेती की कहावतें और अन्योक्तियों संगृहीत हैं। यह पुस्तक शिचित्त मनुष्य के हाथ, हृदय और वाणी का शृङ्गार है। बड़िया कागज़, उत्तम छपाई और स्वर्णाक्षरो से अङ्कित, रङ्गीन कपड़े की मनोहर जिल्द से सुसज्जित यह पुस्तक सुन्दर हाथों में सर्वथा स्थान पाने योग्य है। दाम ३)

कविता-कौमुदी

दूसरा भाग—हिन्दी

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

इसमें नीचे लिखे कवियों की जीवनियों और उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह है.—

हरिश्चन्द्र, बदरीनारायण चौधरी, विनायकराव, प्रतापनारायण मिश्र, विजयानन्द त्रिपाठी, अम्बिकादत्त व्यास, लाला सीताराम, नाथूराम शङ्कर शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद “भानु”, श्रीधर पाठक, सुधाकर द्विवेदी, शिव-सम्पत्ति, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय, राधाकृष्णदास, बालमुकुन्द गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, लाला भगवानदीन, जगन्नाथदास रत्नाकर, राय देवीप्रसाद “पूर्ण”, कन्हैयालाल पोद्दार, रामचरित उपाध्याय, मैयट अमीर अली “मीर”, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी,

कामताप्रसाद गुरु, मिश्रबन्धु, गिरिधर शर्मा, रामदास गौड़, माधव शुक, गयाप्रसाद शुक "सनेही", रूपनारायण पाण्डेय, राचन्द्र शुक, सत्यनारायण, मन्नन द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, लोचनप्रसाद पाण्डेय, लक्ष्मीधर बाजपेयी, शिवाधार पाण्डेय, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशङ्कर प्रसाद, गोपालशरणसिंह, बदरीनाथ भट्ट, सियारामशरण गुप्त, मुकुटधर, वियोगी हरि, गोविन्ददास, सूर्यकान्त त्रिपाठी, सुमित्रानन्द पन्त, सुभद्राकुमारी चौहान ।

प्रारम्भ में खड़ी बोली को कविता का बड़ा मनोरञ्जक इतिहास और अन्त में "कौमुदी-कुञ्ज" नाम से फुटकर कविताओं का बड़ा अचूठा संग्रह है । इसका तीसरा संस्करण बड़ी सजधज से निकला है । बढ़िया, सफ़ेद, चिकना कागज, अच्छी छपाई, कपड़े की सुन्दर और मज़बूत जिल्द और दाम सिर्फ़ तीन रुपये ।

कविता-कौमुदी

तीसरा भाग—संस्कृत

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

इसमें निम्नलिखित संस्कृत-कवियों की जीवनियाँ और उनकी चमत्कार-पूर्ण कविताएँ संगृहीत हैं —

अकालजलद, अर्प्पय दीक्षित, अभिनव गुप्ताचार्य, अमरुक, अमित-गति, अमोघवर्ष, अश्वघोष, आनन्दवर्धन, अल्हण, कविपुत्र, कविराज,, कालिदाम, कुमारदास, कृष्ण मिश्र, हेमेन्द्र, गोवर्धनाचार्य, चन्द्रक, घाणक्य, जगद्धर, जगन्नाथ परिडतराज, जयदेव, जोनराज, त्रिविक्रम भट्ट, दामोदर, गुप्त, टंटी, धनञ्जय, पाजक, पद्मगुप्त, प्रकाशवर्ष, पाणिनि, वाण, विक्रान्तम्बा, विल्हण, भट्टभल्लट, भवभूति, भर्तृहरि, भारवि, भामट, भिष्मटन, भोज, भास, मङ्गक, मयूर, माघ, मातङ्गट्टिवाकर,

मातृगुप्त, मुरारि, मोरिका, रत्नाकर, राजगोखर, लीलाशुक, वररुचि, वाल्मीकि, वासुदेव, विज्जका, विद्यारण्य, व्यासदेव, शिवस्वामी, गीला भट्टारिका, श्रीहर्ष, सुबन्धु, हर्षदेव आदि ।

प्रारम्भ में संस्कृत-साहित्य का इतिहास है । अन्त में कौमुदी-कुञ्ज में संस्कृत के रस, ऋतु पहेली, नायिका-भेद, निन्दा-प्रशंसा-विषयक मनोहर श्लोको का बड़ा ललित और आनन्दवर्धक संग्रह है । पुस्तक सुन्दर सजिल्द, छपाई-सफ़ाई बढ़िया । दाम तीन रुपये । डम्का संशोधित नया संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित होगा ।

कविता-कौमुदी

चौथा भाग—उर्दू

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

हिन्दी-अक्षरों में उर्दू के बली, आवरु, मज़मून, नाजी, यकरङ्ग, हातिम थारजू, फ़ुग़ाँ, मज़हर, सौदा, मीर, दर्द, सोज़, जुरअत, हसन, इन्शा, मसहफ़ी, नज़ीर, नासिख़, आतिश, ज़ौक़, गालिब, रिन्द, मोमिन, अनीस, दबीर, नसीम, अमीर, दाग, आसी, हाली, अकबर आदि मशहूर शायरो की, दिल को हुलसानेवाली, तवीयत को फडकानेवाली, कलेजे में गुदगुदी पैदा करनेवाली, आशिक़-माशूक़ के चोचलो से चुहचुहाती हुई, महावरो की मौज में खुलबुलाती हुई, बारीक विचारो की मिठास से दिमाग़ को मस्त करनेवाली, निहायत शोख़, बातो ही से हँसाने और रुलानेवाली उर्दू-गज़लों और तीर की तरह चुभनेवाले शेरों का अनोखा संग्रह है । इसमें उर्दू-भाषा का निहायत दिलचस्प इतिहास भी है ।

कौमुदी-कुञ्ज में निहायत मजेदार शेरों और गज़लों का संग्रह है ।

छपाई-सफ़ाई मनोहर, कागज़ बढ़िया, कपडे की सुवर्णांकित जिल्द, दाम केवल तीन रुपये ।

कविता-कौमुदी

पाँचवाँ भाग—ग्राम-गीत

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

इसमें निम्नलिखित विषय हैं—

ग्रामगीतो का परिचय, सोहर, जनेऊ के गीत, विवाह के गीत, जॉत के गीत, सावन के गीत, निरवाही और हिँ ढोले के गीत, कोरू के गीत, मेले के गीत, बारहमासा ।

प्रारम्भ में विस्तृत भूमिका है, जिसमें लेखक की गीत-यात्रा का बड़ा ही मजेदार वर्णन है । भूमिका के बाद गीतों का परिचय है जो बड़ी विद्वत्ता से लिखा गया है ।

बढिया ऐंटिक कागज़ पर, सुन्दर छपी हुई, मनोहर सजिन्द पुस्तक का मूल्य केवल तीन रुपये ।

कविता-कौमुदी

छठौँ भाग—ग्राम-गीत

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

इस भाग में निम्नलिखित विषय हैं—

आल्हा, चनैनी, हीर-रौम्मा, डोला-भारू, नयकवा आदि बड़े-बड़े गीतों की संचित कथाएँ और नमूने, घाघ और भड्डरी की उक्तिर्याँ, खेती की कहावतें, पहेलियाँ, लोकोक्तियाँ, नीति के पद्य, चारमीरी गीत, पंजाबी गीत, मारवाडी गीत, भीलों के गीत; गुजराती गीत, मराठी गीत, मलयाली गीत, तामिल गीत, तेलगू गीत, उडिया गीत, बंगला गीत, आसामी गीत, मैथिल गीत, नेपाली गीत, पहाडी गीत—अलमोटा और गटवाल के गीत ।

कौमुदी-कुञ्ज में—बिरहे, कहकशा, पचग, लावनी, होली, रसिया, चैती, खेमटा, पूरबी, वादग, वोहे, नौगटे, नवैया, कवित्त, छन्द, भजन इत्यादि ।

छपाई-सफ़ाई बहुत उम्दा , कागज़ बढिया जिल्द सुन्दर, दाम ३) ।
(प्रेस में)

पथिक

रचयिता—रामनरेश त्रिपाठी

पथिक एक खंड-काव्य है । पाँच सर्गों में समाप्त हुआ है । पथिक की कथा पढ़कर कौन ऐसा सहृदय है, जो न रो उठे । स्थान-स्थान पर प्राकृतिक सौन्दर्य का बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन है । देश की दशा, कर्तव्य-पालन की दृढ़ता, आत्मबल की महिमा और आत्मत्याग की कथा बड़े ही मार्मिक शब्दों में लिखी गई है ।

पुस्तक बढिया कागज़ पर बड़ी सुन्दरता से छपी है । दाम आठ आना । कपडे की जिल्द तथा ५ सुन्दर चित्रों से अलंकृत राज-संस्करण का मूल्य एक रुपया ।

मिलन

रचयिता—रामनरेश त्रिपाठी

यह एक खण्ड-काव्य है । पाँच सर्गों में समाप्त हुआ है । पथिक और मिलन दोनों दो सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर लिखे गये हैं । ग्राहिल्य-रमिक लोग इसकी कथा को पथिक से उत्तम बताते हैं । नया संस्करण बहुत सुन्दर निकला है । मूल्य आठ आने ।

स्वप्न

रचयिता—रामनरेश त्रिपाठी

यह काव्य भू-स्वर्ग काश्मीर में लिखा गया है। जिन्होंने मिलन और पथिक पढ़ा है, वे इस काव्य का अवश्य पढ़ें। इसमें प्रकृति-वर्णन के साथ शृङ्गार, विरह-प्रेम और देश-भक्ति का अनुपम मिश्रण है।

इस पुस्तक पर रचयिता को हिन्दुस्तानी एकेडेमी से १००) का पुरस्कार मिला है।

मानसी

सम्पादक—श्रीगोपाल नेवटिया

इससे पठित रामनरेश त्रिपाठीजी की फुटकर चुनी हुई कविताओं का संग्रह है। सम्पादक ने प्रारंभ में एक सारगर्भित भूमिका लिखी है जिनको खडीबोली की कविता से अनुराग हो, वे इसे अवश्य पढ़ें। छपाई बहुत ही उत्तम। मूल्य आठ आने।

स्वप्नों के चित्र

लेखक—रामनरेश त्रिपाठी

इस पुस्तक के प्रहसन और कहानियों पढ़कर हँसते-हँसते लोटपोट हो जाइयेगा। सज्जन-समझ कर फिर हँसियेगा। भापा यही मरस, वर्णन-शैली बढ़ी मनोहर, विषय बहुत रोचक। पाठकों को इन प्रहसनों और कहानियों से साहित्य-सम्बन्धी कितनी ही नई बातें मालूम होंगी।

प्रहसन और कहानियाँ के नाम ये हैं—

(१) कवि का स्वप्न, (२) नख-शिख (कहानी), (३) नायिका-भेद (कहानी), (४) कवियों की कौसिल (प्रहसन), (५) स्त्रियों की दामिल (प्रहसन), (६) कवि (प्रहसन), (७) दिमागी पेयाणी कहानी, (८) योजन टल है (प्रहसन) (९) कुणाल (कहानी)।

छपाई-सफाई दर्शनीय। मूल्य बारह आने।

काश्मीर

लेखक—श्रीगोपाल नेवटिया

काश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। काश्मीर भारत का गारव है। काश्मीर प्रकृति का रङ्ग-मञ्च है। काश्मीर सौन्दर्य का केन्द्र है।

इस पुस्तक में काश्मीर के हिम-पर्वतों, झरनों, नदी-नालों, वन-उप-वनों, मनोहर घाटियों और वहाँ के सुन्दर स्त्री-पुरुषों का आँखो-देखा वर्णन ऐसी सजीव भाषा में किया गया है, कि पढ़ते समय काश्मीर आँखों के आगे आ जाता है।

हिन्दी में काश्मीर विषयक यह सबसे पहली पुस्तक है। इसमें १४ रंगीन और १६१ साटे चित्र भी हैं। छपाई-सफाई काश्मीर ही की तरह सुन्दर है। रंगीन कपड़े की सुन्दर सुवर्णाङ्कित जिल्ड से अलंकृत इस पुस्तक का मूल्य केवल पाँच रुपये। —

अंग्रेजी शिष्टाचार

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

अंग्रेजी समाज की रहन-सहन, चाल-ढाल, बोली-बानी, रस्म-रिवाज, खान-पान, रङ्ग-ढङ्ग, तौर-तरीका, उठ-बैठ, लोकाचार, तहजीब, अमोद-प्रमोद आदि का वर्णन इस पुस्तक में है। संसार की स्वतंत्र जातियों के बराबर बैठने का हौसला रखने वाले भारतीयों को प्रत्येक समाज के क्रायदे-कानून की जानकारी बहुत जरूरी है। जो लोग समाज में जाने-आने के नियम नहीं जानते, वे असभ्य गिने जाते हैं और सभ्य लोगों की नज़रों से गिर जाते हैं। इस पुस्तक-द्वारा बिना विलायत गये ही अंग्रेजों की गति-भाँति का ज्ञान हो जाता है। मूल्य २)

इसमें इन विषयों का वर्णन है —

(१) पहनावा, (२) परिचय, (३) मिलने जाने और कार्ड देने की शिष्टता, (४) पहुँचने का समय, (५) ऐट-होम और स्वागत, (६) त्रिज

पार्टियों और ब्रिज-सम्बन्धी चाय-पार्टियों, (७) नाचो के प्राइवेट उत्सव, (८) सार्वजनिक बॉल और नृत्य के जलसे, (९) क्लब, (१०) नाटक मे, (११) मोटर, गाड़ी और घोड़े की सवारी हॉकना, (१२) मैदान के खेल-सम्बन्धी शिष्टाचार, (१३) थॉटिंग या छोटे जहाज़ पर समुद्र की सैर, (१४) शृङ्गार के सम्बन्ध में कुछ बातें, (१५) पिकनिक और नदी के सैर की पार्टियों, (१६) गार्डन पार्टियाँ (उद्यान-भोज), (१७) सगाई, (१८) विवाह, (१९) देहात की यात्रा, (२०) यात्रा, (२१) जहाज़ पर, (२२) मृत्यु के जलूस और मातम, (२३) चिट्ठी-पत्री, (२४) पेशे-सम्बन्धी शिष्टाचार, (२५) गृहस्थो के लिए कुछ हिदायतें, (२६) स्वामी और नौकर ।

कुल-लक्ष्मी

स्त्रियों के लिये यह बड़े ही काम की पुस्तक है । ऐसी उपयोगी पुस्तक स्त्रियों के लिये अभी तक हिन्दी-भाषा में दूसरी नहीं निकली । इसमें इन विषयों का वर्णन है —

स्त्रियों के गुण—सौन्दर्य की सृष्टि, लज्जा, नम्रता, गम्भीरता, सरलता, सन्तोष, श्रमशीलता, स्नेहशीलता, अतिथि-सेवा, देव-सेवा, सेवा-शुश्रूषा, सुजनता, कर्तव्य-ज्ञान, सतीत्व ।

स्त्रियों के दोष—आलस्य, विलासिता, स्वेच्छा-चांगिता, अव्यवस्था, कलह, दूसरे की निन्दा और ईर्ष्या-द्वेष, अभिमान और अहंकार, स्वान्ध से लापरवाही, हास-परिहास और व्यर्थ वार्तालाप, श्रमहनशीलता, अपव्यय ।

पति के प्रति स्त्री का कर्तव्य । नारद-पुराण के प्रति द्रष्टृ का कर्तव्य । अन्यान्य आत्मीयों के प्रति स्त्री का कर्तव्य । जेठ, देवर, जेठानी, देवरानी और ननद इत्यादि, नौकर नौकरानी प्रादि ।

रोज़ के काम—सबरे का काम, रसेई, पान बनाना, स्वच्छता और सुव्यवस्था, लिखना-पढ़ना और दस्तकारी, गेजाना हिंगात्र, सेवा-शुश्रूषा, व्रत-उपवास, पढ़ने योग्य पुस्तकें, मित-यय ।

पौराणिक नीति-कथा—लक्ष्मी और कृष्णगी का संवाद, सुमना और गांडिली का संवाद, पर्वती का श्री-वर्त्म-वर्णन । द्रौपदी और गत्यभामा का संवाद ।

मनाहर जिल्दवाली बढ़िया छपी हुई पुस्तक का दाम केवल नवा रुपया । उपहार में देने योग्य पुस्तक है ।

दम्पति-सुहृद्

स्वर्गीय सतीशचन्द्र चक्रवर्ती-लिखित बंगला-पुस्तक का हिन्दी अनुवाद । यह पुस्तक स्त्री-पुरुष दोनों के लिये बड़े काम की है । प्रत्येक पढ़े-लिखे नर-नारी को एक बार इस पुस्तक का पाठ कर जाना चाहिये । इसमें इन विषयों का वर्णन है :—

दम्पति, दाम्पत्यप्रेम, रूपतृष्णा, सुखतृष्णा, संसार और गृहकार्य, सन्तान-पालन, चरित्र-गठन, नाना कथा, विलासिता, दाम्पत्य कलह, क्षमागुण, अथवस्था, मितव्ययता, दान, भिक्षा, माहात्म्य-प्रार्थना, कृतज्ञता, पारिवारिक सम्मान, रहस्य-रक्षा, विविध । पुस्तक मजिल्द है । दाम नवा रुपया ।

सद्गुरु-रहस्य

लेखक—कुमार काशालेन्द्रप्रताप साहि, रायबहादुर, दिव्यराज राज

इस पुस्तक को आप एक बार पढ़ डालिये, अपने पुत्र-पुत्रियों को पुरस्कार और मित्रों को उपहार में दीजिये, आप का कल्याण होगा । आप भगवान् के चरणों की उम शीतल छाया में जाकर बड़े होंगे, जहाँ

संसार के दुःख-दावानल की आंच नहीं पहुँचती । बीसवीं सदी के घोर नास्तिकता-पूर्ण नातावरण में तो इस पुस्तक का प्रचार घर-घर होना चाहिए । यह अवध के एक राजवशीय नररत भगवद्भक्त के दश वर्षों के गम्भीर मनन का फल है । इसमें काल-दर्शन, ज्ञान और प्रेम तथा ज्ञान-विज्ञान की परीक्षा करके तथा वैज्ञानिक सच्चाइयों के द्वारा भी भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है । विद्वान् लेखक ने भक्त कवियों के मर्म-स्पर्शी पदों, दोहों और विविध छंदों से भाषा में ऐसा प्राण डाल दिया है कि पढ़ते-पढ़ते मन लहालोट हो जाता है । हिन्दी में अभी तक ऐसी अच्छी पुस्तक नहीं निकली । यह पुस्तक इतनी सुन्दरता से छपाई गई है कि देखकर नेत्रों का जीवन सफल हो जाता है । पुस्तक में आठ चित्र भी हैं । कपड़े का मनोहर जिल्द लगी है । सद्गुरु-रहस्य आप के हृदय-मन्दिर का दीपक, बाणी का अलंकार, हाथों का भूषण और आलमारी का शृङ्गार है । दाम लागतमात्र २।।) ।

अयोध्याकाण्ड, सटीक

टीकाकार—रामनरेश त्रिपाठी

राजापुरवाली प्रति के अनुसार मूल पाठ ठीक करके यह अयोध्या-काण्ड टीका-सहित हमने प्रकाशित किया है । टीका इसकी ऐसी मजल है कि साधारण पढ़े-लिखे लोग भी चौपाइयों का अर्थ आसानी से समझ लेते हैं । हिन्दी-मन्दिर से प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की छपाई-सफाई का प्रसिद्ध ही है । इस पर भी साठे तीन सौ पृष्ठों की पुस्तक का दाम केवल बारह आना रक्का गया है । कपड़े की जिल्द का एक रूपया । इतना सस्ता पुस्तक हिन्दी में कोई नहीं है । हिन्दुओं के घर-घर में रामायण का प्रचार होने के लिये ही हमने इतना सस्ता दाम रक्का है । आशा है, हमारे हिन्दू-धर्माभिमानों पाठक इसे हाथों-हाथ लेंगे ।

मटीक

भूषण-ग्रन्थावली

टीकाकार—रामनरेश त्रिपाठी

भूषण-ग्रन्थावली का विल्कुल नया और सब से अधिक पूर्ण संस्करण । पाठ बहुत शुद्ध, टीका बहुत सरल, ऐतिहासिक विवरण बहुत सच्चा । प्रारम्भ में भूषण और शिवाजी की जीवनी ।

भूषण की वीर रसमयी कविता पढ़कर सुदों की नस भी फटक उठती है । अलङ्कारों के ज्ञान के साथ वीररस की कविता का रमास्वाद बहुत ही उत्साहवर्द्धक और मनोरञ्जक है । प्रत्येक हिन्दू में शिवाजी का सा तेज और प्रत्येक कवि में भूषण जैसा स्वजात्याभिमान होना चाहिए ।

यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षा में है । इसमें भूषण के बहुत से नये कवित्त भी दिये गये हैं, जो पीछे मिले हैं । छपाई-सफ़ाई बहुत बढ़िया । दाम केवल एक रुपया ।

हिन्दुओं के व्रत और त्योहार

लेखक—कुँवर कन्हैया जू

हिन्दी में अपने विषय की यह पहिली पुस्तक है, जिसमें हिन्दुओं में प्रचलित व्रतों और त्योहारों का सुलासा वर्णन दिया गया है । व्रतों के साथ जो कथाएँ प्रचलित हैं, वे भी लिख दी गई हैं । भाषा ऐसी सरल है कि साधारण पढ़ी-लिखी कन्याएँ और बहुएँ भी इसे अच्छी तरह समझकर लाभ उठा सकती हैं । यह पुस्तक प्रत्येक हिन्दू-परिवार में रहनी चाहिये । कन्याओं, बहुओं और बहनों को यह पुस्तक उपहार में देनी चाहिये । उपहार के लिये ही हमने यह पुस्तक बड़े मज-धज से छपाई है । जिल्द भी बहुत सुन्दर लगा दिया है । फिर भी दाम केवल दूढ़ रुपये ।

हिन्दी-पद्य-रचना

लेखक—रामनरेश त्रिपाठी

श्याजकल के नवयुवको की रुचि हिन्दी कविता रचने की ओर बहुत बढ़ रही है। किन्तु रचना की विधि न जानने से उन्हें सफलता बहुत कम मिलती है। यह पुस्तक उन्हें हिन्दी-पद्य-रचना का मार्ग बतलाती है। यह हिन्दी का पिङ्गल है। नौसिख पद्य-रचयिताओं को यह पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ लेनी चाहिये। यह हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षा में भी स्वीकृत है। दाम चार आना। —

सुभद्रा

लेखक—रामनरेश त्रिपाठी

यह एक उपन्यास है। संसार में कैसे-कैसे मनुष्य पड़े हैं, इसमें उनका चित्र है। एक घण्टे का मनोरंजन है और जन्म भर के लिये शिक्षा। दाम आठ आना। —

बाल-कथा कहानी

लेखक—रामनरेश त्रिपाठी

हमारे यहाँ से इस नाम की एक सीरीज़ निकलती है, जिसमें अभी तक दस भाग तैयार हुये हैं। सभी भाग अच्छे हैं। रंग-विरंगी स्याहियो ने छपे हुये हैं। सब में चिकना और मोटा कागज़ लगा है। सब के कवर बड़े ही सुन्दर और आकर्षक हैं। कहानियाँ एक से एक बढ़कर रोचक और मनोहर हैं। बच्चे कहानियों पढ़कर लोट-पोट हो जाते हैं। इन पुस्तकों को पढ़कर बच्चे इतना प्रसन्न होते हैं कि उम्का श्वनर उनकी तन्दुरुस्ती पर पढ़ता है। प्रत्येक बाल-बच्चेवाले परिवार में ये पुस्तकें अवश्य होनी चाहियें। प्रत्येक भाग का मूल्य छ आने है। छपाई-सफाई और कागज़ देखते हुये यह दाम बहुत ही मन्ना है।

नीति-शिखावली

संग्रहकर्ता—रामनरेश त्रिपाठी

इसमें नीति के उत्तम श्लोकों का संग्रह है। हिन्दी में अर्थ भी लिख दिये गये हैं। ये श्लोक सब को कंठस्थ रखने चाहिये। बच्चों को बालक-पत्र से ही इन्हें याद कराते रहना चाहिये। दाम आठ आने।

हिन्दी का संक्षिप्त इतिहास

लेखक—रामनरेश त्रिपाठी

इस पुस्तक में हिन्दी का एक हजार वर्षों का इतिहास बड़ी खोज से लिखा गया है। दाम छः आने।

कौन जाग रहा है ?

(नाटक)

अनुवादक—रामनरेश त्रिपाठी

श्रीयुक्त वी० एन० मेहता, आई० सी० एस०, जो युक्तप्रात के कई जिलों में कलक्टर रह चुके हैं और आजकल युक्तप्रात की गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं, बड़े विद्वान् पुरुष हैं। वे कई भाषाओं के बड़े मार्मिक जानकार तो हईं हैं, प्रसिद्ध लेखक और नाटककार भी हैं। उन्होंने गुजराती में 'कोजाग्रि' नाम से एक नाटक लिखा है, जिसका 'प्लाट' बड़ा सुन्दर और उपदेश-ग्रह है। मेहता साहब ने उसमें मानव-स्वभाव का जैसा सुन्दर चित्रण किया है, उमसे उनकी बहुज्ञता और बहुदर्शिता का परिचय मिलता है। प्रस्तुत पुस्तक उसी गुजराती पुस्तक का अनुवाद है। अनुवाद में भाषा की सरसता और भावों की गंभीरता क्लायम रखने का ध्यान रक्खा गया है। कागज़, छपाई-सफ़ाई बहुत बढ़िया। दाम आठ आने।

रहीम

सम्पादक—रामनरेश त्रिपाठी

रहीम खानखाना बादशाह अकबर के वज़ीर थे । वे हिन्दी के अच्छे कवि भी थे । उनकी जीवनी और उनकी कुछ कविताओं का, जो अबतक मिल सकी हैं, इस पुस्तक में संग्रह है । नया संस्करण । दाम आठ आने । (प्रेस में)

चिन्तामणि

संग्रहकर्ता—रामनरेश त्रिपाठी

भगवद्भक्तों की वाणी की बड़ी महिमा है; उसमें बड़ी शक्ति है । वह संसार-सागर में डूबते हुए प्राणियों को उबार लेती है; दुःख-दावानल में जलते हुए जीवों को शीतलता और शान्ति प्रदान करती है; बहकी हुई नौका में वह पाल का काम देती है । जीवन-रथ में विजय पाने की लालसावाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः-काल और संध्या को भक्तों और संतों की वाणियों का गान किया करे । यह गान वर्तमान जगत् के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य महात्मा गाँधी के दैनिक जीवन का एक प्रधान अंग है ।

हमने कबीर, तुलसी, सूर, नानक, दादू, रैदास, मलूक, मीरा आदि संतों और भक्तों के सुमधुर पदों का संग्रह इस चिन्तामणि में किया है । इसका प्रत्येक पद श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति, माधुर्य और शक्त्यागति की ओर खींचनेवाला है । इसका आकार भी इस हिमाव से छोटा रक्खा गया है कि यह यात्रा में भी साथ रक्खा जा सके और जेब में भी आ सके । फिर भी मूल्य केवल आठ आने ।

इतना तो जानो

('आटलें तो जाणजो' नामक गुजराती पुस्तक का अनुवाद)

अनुवादक—रामनरेश त्रिपाठी

इस पुस्तक में ये विषय हैं—

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| १—शासन-प्रणाली | ६—हिन्दू-मुसलिम ऐक्य |
| २—नौकरशाही | १०—स्वराज्य |
| ३—महासभा (१) | ११—ग्राम-पंचायत |
| ४— ,, ,, (२) | १२—म्युनिसिपैलिटी और लोकल बोर्ड |
| ५—असहयोग | १३—लगान |
| ६—स्वदेशी | १४—अदालत |
| ७—राष्ट्रीय शिक्षा | १५—हिन्दुस्तान कैसे बरबाद हुआ ? |
| ८—अस्पृश्यता | |

इस पुस्तक की सब बातें प्रत्येक भारतवासी को जाननी चाहिये । स्वतंत्र स्कूलों में यह पुस्तक पढ़ाई जानी चाहिये । दाम आठ आने ।

रीडरें

लेखक—रामनरेश त्रिपाठी

बालकों के लिये

बालिकाओं के लिये

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|----|
| हिन्दो-प्राइम | १) हिन्दी-प्राइमर | १) |
| हिन्दो की पहली पुस्तक | २) कन्या-शिक्षावली, पहला भाग | १) |
| हिन्दी की दूसरी पुस्तक | ३) कन्या-शिक्षावली, दूसरा भाग | २) |
| हिन्दो की तीसरी पुस्तक | ४) कन्या-शिक्षावली, तीसरा भाग | ३) |
| हिन्दो की चौथी पुस्तक | ५) कन्या-शिक्षावली, चौथा भाग | ४) |
- पाँचवाँ, छठी पुस्तकें छप रही हैं । पाँचवाँ और छठाँ भाग छप रहा है ।

